

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 6]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 फरवरी 2017—माघ 21, शक 1938

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2017

क्र. ई-5-644-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री संजय कुमार शुक्ल, आयएएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पावर मेनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 23 नवम्बर 2016 द्वारा दिनांक 21 से 31 दिसम्बर 2016 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 23 से 31 दिसम्बर 2016 तक नौ दिन संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 23 नवम्बर 2016 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.

क्र. ई-5-988-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती उमा माहेश्वरी आर., आयएएस., सहायक कलेक्टर, जिला जबलपुर को दिनांक 1 से 30 सितम्बर 2016 तक, तीस दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्रीमती उमा माहेश्वरी आर. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती उमा माहेश्वरी आर. अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

भोपाल, दिनांक 16 जनवरी 2017

क्र. ई-5-934-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती सुरभि गुप्ता, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छिन्दवाड़ा

को दिनांक 16 से 20 जनवरी 2017 तक पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 एवं 21, 22 जनवरी 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुरभि गुप्ता को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छिन्दवाड़ा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती सुरभि गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सुरभि गुप्ता अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

भोपाल, दिनांक 18 जनवरी 2017

क्र. ई-5-709-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती सीमा शर्मा, आयएएस., तत्कालीन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 6 जनवरी 2017 द्वारा दिनांक 13 से 17 फरवरी 2017 तक पाँच दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 11, 12 एवं 17, 18 फरवरी 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 13 से 17 फरवरी 2017 तक पाँच दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश दिनांक 10, 11, 12 एवं 18, 19 फरवरी 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 6 जनवरी 2017 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी।

क्र. ई-5-885-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री तरुण राठी, भाप्रसे (2010) उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा कार्यपालक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम को दिनांक 23 से 28 जनवरी 2017 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 21, 22 एवं 29 जनवरी 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की भी अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री तरुण राठी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, खनिज साधन विभाग तथा कार्यपालक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री तरुण राठी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तरुण राठी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 19 जनवरी 2017

क्र. ई-5-687-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री नीतेश कुमार व्यास, आयएएस., आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग को दिनांक 20 फरवरी से 4 मार्च 2017 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 19 फरवरी एवं 5 मार्च 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री नीतेश कुमार व्यास की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री संदीप यादव, भाप्रसे, आयुक्त-सह-संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश तथा आयुक्त, विमानन को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री नीतेश कुमार व्यास को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री नीतेश कुमार व्यास द्वारा आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री संदीप यादव उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री नीतेश कुमार व्यास को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नीतेश कुमार व्यास अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2017

क्र. ई-5-829-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री नागरगोजे मदन विभीषण, आयएएस., कलेक्टर, जिला दतिया को दिनांक 27 जनवरी से 9 फरवरी 2017 तक चौदह दिन अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 10, 11, 12 फरवरी 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री नागरगोजे मदन विभीषण, भाप्रसे की अवकाश अवधि में श्री आशीष गुप्ता, अपर कलेक्टर, दतिया को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक कलेक्टर, दतिया का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री नागरगोजे मदन विभीषण को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, जिला दतिया के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री नागरगोजे मदन विभीषण द्वारा कलेक्टर, दतिया का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आशीष गुप्ता कलेक्टर, दतिया के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री नागरगोजे मदन विभीषण को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नागरगोजे मदन विभीषण अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-900-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री आनन्द कुमार शर्मा, आयएस., अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर को समसंख्यक आदेश दिनांक 7 दिसम्बर 2016 द्वारा दिनांक 29 दिसम्बर 2016 से 7 जनवरी 2017 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 2 से 7 जनवरी 2017 तक छः दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश दिनांक 1 एवं 8 जनवरी 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 7 दिसम्बर 2016 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी।

क्र. ई-5-1005-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री संजय गुप्ता, आयएस., तत्कालीन विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, कलेक्टर कार्यालय, जबलपुर को दिनांक 13 से 27 अगस्त 2016 तक पन्द्रह दिन का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री संजय गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 24 जनवरी 2017

क्र. ई-1-326-2016-5-एक.—भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 13017/41/2016-AIS-I दिनांक 16 जनवरी, 2017 द्वारा सुश्री जे. रीभा, भाप्रसे (MP:2015) सहायक कलेक्टर, जिला सागर को श्री राजागणपति आर., भाप्रसे (UP:2015) से विवाह के आधार पर उत्तर प्रदेश संवर्ग स्थानांतरित कर उत्तर प्रदेश संवर्ग में कार्यभार ग्रहण करने के लिये कार्यमुक्त करने के निर्देश दिए हैं।

(2) अतः राज्य शासन भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग जारी उक्त अधिसूचना के अनुपालन में सुश्री जे. रीभा, भाप्रसे (MP:2015) सहायक कलेक्टर, जिला सागर को उत्तर प्रदेश संवर्ग में कार्यभार ग्रहण करने के लिये तत्काल कार्यमुक्त करता है।

भोपाल, दिनांक 25 जनवरी 2017

क्र. ई-5-608-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री आशीष श्रीवास्तव, आयएस., विकअ-सह-आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली को दिनांक 13 से 17 फरवरी 2017 तक पांच दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 10, 11, 12 एवं 18, 19 फरवरी 2017 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री आशीष श्रीवास्तव की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री आई सी पी केशरी, भाप्रसे, विशेष आयुक्त, (समन्वय) मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आशीष श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न विकअ-सह-आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री आशीष श्रीवास्तव द्वारा विकअ-सह-आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आई सी पी केशरी उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री आशीष श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आशीष श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-907-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री प्रमोद कुमार गुप्ता, आयएस., अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर को दिनांक 30 जनवरी से 4 मार्च 2017 तक चौतीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 29 जनवरी एवं 5 मार्च 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री प्रमोद कुमार गुप्ता को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री प्रमोद कुमार गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रमोद कुमार गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-925-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री रोहित सिंह, आयएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत डिण्डौरी को दिनांक 27 जनवरी से 4 फरवरी 2017 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री रोहित सिंह को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत डिण्डौरी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री रोहित सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रोहित सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-1024-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री रमेश भण्डारी, आयएस., कलेक्टर, जिला छतरपुर को दिनांक 30 जनवरी से 4 फरवरी 2017 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 29 जनवरी एवं 5 फरवरी 2017 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री रमेश भण्डारी की अवकाश अवधि में श्री डी. के. मौर्य, अपर कलेक्टर जिला छतरपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला छतरपुर सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री रमेश भण्डारी को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला छतरपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री रमेश भण्डारी द्वारा कलेक्टर, जिला छतरपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री डी. के. मौर्य कलेक्टर, जिला छतरपुर के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री रमेश भण्डारी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रमेश भण्डारी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसंत प्रताप सिंह, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2017

क्र. एफ 5-19-2016-एक(1).—उच्च न्यायालय, न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, जस्टिस श्रीमती नंदिता दुबे, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत करते हैं:—

अ. क्र.	अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	दिनांक 1-12-2016 से दिनांक 2-12-2016.	02	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.	अवकाश के पश्चात् दिनांक 3 एवं 4 दिसम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने के अनुमति सहित.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
02	दिनांक 13-12-2016 से दिनांक 16-12-2016.	04	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.	अवकाश के पूर्व दिनांक 10, 11 एवं 12 दिसम्बर 2016 तथा अवकाश के पश्चात् दिनांक 17 एवं 18 दिसम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2017

क्र. ई-5-454-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री बसंत प्रताप सिंह, आयएस., मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन को दिनांक 17 से 24 जनवरी 2017 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री बसंत प्रताप सिंह की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री ए. पी. श्रीवास्तव, भाप्रसे, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री बसंत प्रताप सिंह को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री बसंत प्रताप सिंह द्वारा मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री ए. पी. श्रीवास्तव, उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री बसंत प्रताप सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बसंत प्रताप सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुभा श्रीवास्तव, उपसचिव "कार्मिक".

भोपाल, दिनांक 19 जनवरी 2017

क्र. ई-5-649-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती रश्मि अरूण शर्मा, आयएस., सचिव (कार्मिक), मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को समसंख्यक आदेश 10 जनवरी 2017 द्वारा दिनांक 11 से 13 जनवरी 2017 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 14, 15 जनवरी 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया था, एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

क्र. बी-1-10-2017-2-एक.—सुश्री मोहिनी वर्मा, राप्रसे (आर आर 2016) परिवीक्षाधीन डिप्टी कलेक्टर, रायसेन ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर विवाहोपरान्त उप नाम सुश्री मोहिनी वर्मा के स्थान पर श्रीमती मोहिनी शर्मा परिवर्तित करने का अनुरोध किया है।

(2) राज्य शासन एतद्वारा सुश्री मोहिनी वर्मा, राप्रसे के अनुरोध को स्वीकार करते हुए उनका नाम सुश्री मोहिनी वर्मा के स्थान पर श्रीमती मोहिनी शर्मा परिवर्तित करने की स्वीकृति प्रदान करता है।

(3) उपरोक्तानुसार उप नाम परिवर्तन करने की प्रविष्टि श्रीमती मोहिनी शर्मा के सेवा अभिलेखों में की जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
फजल मोहम्मद, अवर सचिव 'कार्मिक'.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2017

फा. क्र. 3(ए)1-2017-इक्कीस-ब(एक)-163.—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी, श्री राकेश श्रोत्रिय, प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, सीहोर एवं श्री संतोष प्रसाद शुक्ला, पांचवे अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, इन्दौर को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से अस्थायी रूप से आगामी आदेश होने तक, अतिरिक्त सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है।

भोपाल, दिनांक 24 जनवरी 2017

फा. क्र. 3(ए)4054-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 02), राज्य शासन, श्री विकास शर्मा पुत्र श्री विनोद कुमार शर्मा को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1994 (यथासंशोधित) के नियम 5(1)(ग) के प्रावधान के अनुसार अधिवक्ताओं में से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद पर अस्थाई रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर, जिसका वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-1380-63070 है, करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला गाजियाबाद, उत्तरप्रदेश है। उसकी जन्मतिथि 18 जून, 1979 है।

फा. क्र. 3(ए)4058-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 03), राज्य शासन, श्री रूपेश शर्मा पुत्र श्री नत्थू राम शर्मा को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1994 (यथासंशोधित) के नियम 5(1)(ग) के प्रावधान के अनुसार अधिवक्ताओं में से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद पर अस्थाई रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर, जिसका वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-1380-63070 है, करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला महेन्द्रगढ़, हरियाणा है। उसकी जन्मतिथि 23 अगस्त, 1973 है।

फा. क्र. 3(ए)4051-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 07), राज्य शासन, श्री अनुज कुमार मित्तल पुत्र स्व. श्री राम कुमार मित्तल को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1994 (यथासंशोधित) के नियम 5(1)(ग) के प्रावधान के अनुसार अधिवक्ताओं में से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद पर अस्थाई रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर, जिसका वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-1380-63070 है, करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला शामली, उत्तरप्रदेश है। उसकी जन्मतिथि 6 सितम्बर, 1971 है।

फा. क्र. 3(ए)4053-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 08), राज्य शासन, श्री मुकेश कुमार पुत्र स्व. श्री रामभगत को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1994 (यथासंशोधित) के नियम 5(1)(ग) के प्रावधान के अनुसार अधिवक्ताओं में से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद पर अस्थाई रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर, जिसका वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-1380-63070 है, करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला दिल्ली है। उसकी जन्मतिथि 24 सितम्बर, 1973 है।

फा. क्र. 3(ए)4056-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 11), राज्य शासन, श्री अजय सिंह पुत्र श्री सूरजभान को मध्यप्रदेश उच्चतर

न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1994 (यथासंशोधित) के नियम 5(1)(ग) के प्रावधान के अनुसार अधिवक्ताओं में से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद पर अस्थाई रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर, जिसका वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-1380-63070 है, करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला रोहतक, हरियाणा है। उसकी जन्मतिथि 14 जनवरी 1972 है।

फा. क्र. 3(बी)3-2015-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 62), राज्य शासन, सुश्री मीता पवार पुत्री श्री प्रेमचंद पवार को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 22 फरवरी, 1989 है।

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2017

फा. क्र. 72-2017-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, श्रीमती अर्चना सिंह, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 जिला एवं सत्र न्यायालय, सीहोर की सेवाएं सचिव/रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अधिकरण नई दिल्ली के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश होने तक, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त विभाग मंत्रालय नई दिल्ली को सौंपता है।

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2017

फा. क्र. 3(ए)6-2014-इक्कीस-ब(एक)-93-2017.—राज्य शासन, उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य श्री दिनेश कुमार नायक, सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर को उनके द्वारा दिनांक 27 दिसम्बर 2016 को प्रस्तुत सूचना पत्र के अनुक्रम में ऑल इंडिया सर्विसेस (डेथ-कम-रिटायरमेंट बेनिफिट) रूल्स, 1958 के नियम 16 (2-ए), सहपठित मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेस (पेंशन) नियम, 1976 के नियम 42(1) सहपठित मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम 1994 के नियम 17 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्त होने के लिए अनुज्ञात किया जाता है तथा उन्हें दिनांक 31 जनवरी 2017 को अपराह्न से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति प्रदान करता है।

फा. क्र. 3(बी)3-2015-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 84), राज्य शासन, सुश्री सुनीता रावत पुत्री श्री श्याम सुंदर रावत को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला रीवा (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 10 फरवरी, 1989 है।

फा. क्र. 3(बी)3-2015-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 93), राज्य शासन, श्री नरेश सिंह गोंड पुत्र श्री रणधीर सिंह को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला दमोह (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 20 मई, 1987 है।

फा. क्र. 3(ए)6-2014-इक्कीस-ब(एक)-462-2017.—राज्य शासन, उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य श्री संजय कुमार जैन, (सीनियर), अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बेगमगंज जिला रायसेन को उनके द्वारा दिनांक 27 अक्टूबर 2016 को प्रस्तुत सूचना पत्र के अनुक्रम में ऑल इंडिया सर्विसेस (डेथ-कम-रिटायरमेंट बेनिफिट) रूल्स, 1958 के नियम 16 (2-ए), सहपठित मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेस (पेंशन) नियम, 1976 के नियम 42(1) सहपठित मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम 1994 के नियम 17 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्त होने के लिए अनुज्ञात किया जाता है तथा उन्हें दिनांक 31 जनवरी 2017 को अपराह्न से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति प्रदान करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एम. सक्सेना, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 30 जनवरी 2017

पंजी क्र. 3239-2016-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन जिला-राजगढ़ में नियुक्त नोटरी श्री हेमन्ध्र प्रसाद श्रीवास्तव का दिनांक 27 सितम्बर 2015 को स्वर्गवास होने के फलस्वरूप मृतक के नोटरी नियुक्ति आदेश दिनांक 29 सितम्बर 1983 एवं नवीनीकरण

आदेश दिनांक 29 सितम्बर 2011 को अपास्त करते हुए, श्री हेमेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता हैं।

पंजी क्र. 3239-2016-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन तहसील-सारंगपुर, जिला-राजगढ़ में नियुक्त नोटरी श्री रामचन्द्र वर्मा का दिनांक 30 अगस्त 2014 को स्वर्गवास होने के फलस्वरूप मृतक के नोटरी नियुक्ति आदेश दिनांक 23 सितम्बर 2000 एवं नवीनीकरण आदेश दिनांक 23 अक्टूबर 2010 को अपास्त करते हुए श्री रामचन्द्र वर्मा का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है।

पंजी क्र. 3455-2016-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन तहसील-नरवर, जिला-शिवपुरी में नियुक्त नोटरी, श्री कुंजबिहारी श्रीवास्तव का दिनांक 17 सितम्बर 2015 एवं श्री मैथलीशरण शर्मा का दिनांक 20 जनवरी 2012 को स्वर्गवास होने के फलस्वरूप, मृतक के नोटरी नियुक्ति आदेश दिनांक 8 दिसम्बर 1997 एवं 11 जून 1999 एवं नवीनीकरण आदेश दिनांक 8 दिसम्बर 2015 तथा 11 सितम्बर 2014 को अपास्त करते हुए श्री कुंजबिहारी श्रीवास्तव एवं श्री मैथलीशरण शर्मा का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है।

पंजी क्र. 4124-2016-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन तहसील-सरदारपुर, जिला-धार में नियुक्त नोटरी श्री लक्ष्मीनारायण गर्ग का दिनांक 22 मार्च 2016 को स्वर्गवास होने के फलस्वरूप मृतक के नोटरी नियुक्ति आदेश दिनांक 7 मार्च 2012 को अपास्त करते हुए श्री लक्ष्मीनारायण गर्ग का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता हैं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. सोनी, अपर सचिव.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 जनवरी 2017

क्र. एफ-5-1-2015-उन्तीस-2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 11 मार्च, 2015 से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का. सं. 68) की धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए श्री शम्भू दयाल अग्रवाल पिता स्वर्गीय श्री के. एल. अग्रवाल निवासी-19, ग्लोबस सिटी, कोलार रोड भोपाल को मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, भोपाल में उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष या 65

वर्ष की आयु इसमें से जो भी पहले हो, तक के लिए सदस्य नियुक्त किया गया है।

(2) उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा श्री शम्भू दयाल अग्रवाल को मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग भोपाल में सदस्य के रूप में कार्यकाल, उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष या 67 वर्ष की आयु, इसमें से जो भी पहले हो, तक के लिए नियुक्त करता है।

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2017

क्र. एफ-5-4-2013-उन्तीस-2.—उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 की सं. 68) की धारा 10 की उपधारा (1-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों, जिनकी सेवाएं माननीय उच्चतर न्यायालय की अनुशंसा क्र. 75-confdl,-2017-दो-2-25-93 (भाग-4) दिनांक 13 जनवरी 2017 द्वारा इस विभाग को प्रतिनियुक्ति पर सौंपी गई है, को चयन समिति की अनुशंसा पर स्थानांतरित करते हुए अध्यक्ष जिला उपभोक्ता फोरम के पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक प्रतिनियुक्ति पर उनके नाम के सामने दर्शाये गये स्थान पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:—

क्र.	न्यायिक अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	श्री प्राणेश कुमार प्राण, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, भोपाल क्रमांक-1.	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, भोपाल क्रमांक-2.
2	श्री जे. आर. बच्चन, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम जबलपुर क्रमांक-1.	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता जबलपुर क्रमांक-2.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. चन्देल, उपसचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 जनवरी 2017

क्र. एफ 9-1-2016-पचास-1.—मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 20 सन् 1996) की धारा-3 की उपधारा (2)(क) सहपठित धारा 4 की उपधारा (4) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों

को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग में निम्नलिखित को सदस्य नियुक्त किया जाता है:—

- (1) श्रीमती प्रमिला बाजपेई, निवासी 10 कृष्णा विहार, सचिन तेन्दुलकर मार्ग, ग्वालियर.
- (2) श्रीमती अंजू सिंह बघेल, निवासी लेन नम्बर-3, चाणक्यपुरी कॉलोनी, एम.पी.आर.टी.सी. के पीछे, सतना.
- (3) श्रीमती संध्या सुमन राय, निवासी, अपूर्व गैस सर्विस, मुरैना रोड, अम्बाह जिला मुरैना.
- (4) श्रीमती सूर्या चौहान, निवासी होली टेकरा रेहटी जिला सीहोर.

2. उक्त सदस्यों का कार्यकाल अधिसूचना जारी होने के दिनांक से दो वर्ष की कालावधि या वर्तमान आयोग का कार्यकाल की अवधि तक जो भी पहले हो, तक रहेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज शर्मा, अवर सचिव.

परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2017

संशोधन

क्र. एफ-1-11-2011-आठ.—मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) के अंक क्र. 39, दिनांक 20 जनवरी 2017 में प्रकाशित इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20 जनवरी 2017 के पृष्ठ क्रमांक 78 पर अनुसूची-तीन के स. क्र. 2 पर “परिवहन यान परिवहन उप निरीक्षक” के स्थान पर मुद्रणालय की त्रुटिवश “परिवहिनयान-परिवहिन उप निरीक्षक” अंकित हो गया है. अतः संशोधित शब्द पढ़ा जाये.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
योगेन्द्र निबसैया, अवर सचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2017

सूचना

क्र. एफ-3-17-2016-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23 “क” की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-17-2016-अठारह-5, दिनांक 28 सितम्बर 2016 द्वारा उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित बैतूल विकास योजना 2021 में उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :—

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ग्राम मौजा टेमनी	19	53.852 हेक्टेयर में से 2.00 हेक्टेयर योग . . . 2.00 हेक्टेयर	कृषि	आवासीय

- (1) भूमि का आवंटन अटल आश्रय योजना हेतु किया गया है. अतः भूमि जिस प्रयोजन हेतु आवंटित की गई है, उससे भिन्न उपयोग प्रतिबंधित रहेगा.
- (2) प्रश्नाधीन भूमि कोसमी जलाशय के समीप है, अतः प्रश्नाधीन भूमि पर दूषित जल के उपचार हेतु सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट की स्थापना की जाना अनिवार्य होगा. परिसर से उत्पन्न होने वाले दूषित जल के प्रवाह की व्यवस्था जलाशय की विपरित दिशा में ही करना अनिवार्य होगा.
- (3) उपरोक्त उपांतरण बैतूल विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. साधव, उपसचिव.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 फरवरी 2017

क्र. एफ-5-3-2017-बाईस-पं.-2.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 शासन को प्रस्तुत अपील/पुनरीक्षण याचिकाओं की सुनवाई के लिए प्रत्यायोजित किए जाने वाले अधिकार संबंधी आदेश दिनांक 3 जून 2016 एतद्वारा निरस्त करते हुए,

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश पंचायत (अपील तथा पुनरीक्षण) नियम, 1995 के नियम 3 एवं 5 के प्रावधानों एवं सहपठित मध्यप्रदेश कार्यपालक शासन के कार्य नियम के भाग 5 के नियम 13 के अन्तर्गत अनुपूरक अनुदेश की कंडिका 2 (ए) के अन्तर्गत राज्य शासन के प्रस्तुत किए जाने वाले अपील/पुनरीक्षण प्रकरणों की सुनवाई एवं उन पर निर्णय माननीय राज्य मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जाएगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. आर. चौधरी, उपसचिव.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, पथरिया जिला-दमोह, मध्यप्रदेश

पथरिया, दिनांक 4 अक्टूबर 2016

क्र. क-प्र.अ.वि.अ.-2016-41.—बंधक श्रम प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 (क्रमांक 76) की धारा 13(3) के अन्तर्गत पथरिया अनुभाग के लिये अनुविभागीय सतर्कता समिति का निम्नलिखित रूप से पुनर्गठित करता हूं:—

- | | | |
|--|---|---|
| 1. अध्यक्ष | : | अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पथरिया |
| 2. अनुसूचित जाति जनजाति | : | 1. श्री गायत्री अठया किन्द्रहो
2. श्री दरयाव आदिवासी सुजनीपुर |
| 3. सामाजिक कार्यकर्ता | : | 1. श्री हनुमत सिंह ठाकुर किन्द्रहो
2. श्री केशरी सिंह लोधी झागरी |
| 4. धारा 13 (3) (सी) | : | 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पथरिया
2. सहायक खाद्य आपूर्ति अधिकारी, पथरिया |
| 5. धारा 13 (3) के तहत वित्त एवं ऋण संस्थानों के प्रतिनिधि. | : | 1. लीड बैंक मैनेजर, पथरिया
2. कार्यपालन यंत्री, अंतव्योसायी, दमोह |

एस. के. अहिरवार, अनुविभागीय अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 29 दिसम्बर 2016

क्र. 11254-क्षेपअ/S.W.-2016.—जबलपुर शहर में भारी वाहनों के कारण आए दिन गंभीर दुर्घटनाओं के कारण शहर में नागरिकों के सुचारू आवागमन तथा यातायात व्यवस्था में कठिनाई आने की जानकारी स्थानीय समाचार पत्रों व विभिन्न माध्यमों से लगातार प्राप्त हो रही है. कई घटनाओं में दिन के समय भारी वाहनों के शहर में प्रवेश करने से नागरिकों की मृत्यु तक हुई है जिसके कारण कानून व्यवस्था की अप्रिय स्थिति निर्मित होती है.

अतः उक्त गंभीर मुद्दे पर जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठकों में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है तथा नगर के सघन एवं व्यस्ततम मार्गों पर तथा यातायात के सुचारू संचालन हेतु जनहित में सार्वजनिक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए, केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 115 तथा मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 के नियम 215 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निम्नानुसार प्रकार के भारवाही वाहनों का प्रवेश जबलपुर नगर निगम सीमा में दिनांक 31 दिसम्बर 2016 को प्रातः 6.00 से लेकर रात्रि 01.00 बजे तक प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक हो गया है. अतः उक्त धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार निम्नानुसार आदेश लागू किया जाता है:—

1. भारी माल वाहक जैसे ट्रक/डम्पर, मध्यम भार क्षमता के ट्रक, कृषि कार्यो से भिन्न प्रयोजन के प्रयोग में लाये जा रहे ट्रैक्टर. नगर निगम सीमा में प्रवेश प्रातः 06.00 से रात्रि 01.00 बजे तक प्रतिबंधित रहेंगे.
2. निम्न मार्गों पर नो एंट्री से दोपहर 02.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक छूट रहेगी:—
 - ए. बाईपास मार्ग तथा पाटन बाईपास चौराहा से चंडालभाटा ट्रांसपोर्ट नगर मार्ग.
 - बी. कछपुरा माल गोदाम से मेहता पेट्रोल पंप, एम.आर. 4, अहिंसा चौक, स्टेट बैंक चौक होते हुए दीन दयाल चौक तक.
3. आवश्यक सेवाओं में लगे निम्नलिखित वाहनों को उक्त प्रतिबंधित आदेश से पूर्णतः मुक्त रखा जाता है:—
 1. दुग्ध वाहन
 2. नगर निगम की स्वास्थ्य सेवाओं में लगे वाहन
 3. पुलिस वाहन
 4. फायर ब्रिगेड
 5. पानी टैंकर
 6. आर्मी के वाहन
 7. विद्युत् मंडल के कार्य में संलग्न वाहन
 8. एल.पी.जी./पेट्रोलियम पदार्थ वाहन.

यह आदेश दिनांक 31 दिसम्बर 2016 को एक दिवस के लिए प्रभावशील होगा.

महेश चंद्र चौधरी, जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला अशोकनगर मध्यप्रदेश

अशोकनगर, दिनांक 9 जनवरी 2017

क्र. एस.डब्ल्यू-9-20-2017-45.—जिला अशोकनगर में नवीन थाना बंगला चौराहा राज्य शासन द्वारा स्वीकृत किये जाने से निम्नलिखित ग्राम एतद्द्वारा थाना बंगला चौराहा में सम्मिलित किये जाते हैं:—

क्रमांक	पुलिस थाने का नाम जिससे अपवर्तित किया गया	ग्रामों के नाम/शहर का सम्मिलित हिस्सा	नवीन पुलिस थाने का नाम जिसमें सम्मिलित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	थाना बहादुरपुर	बंगला चौराहा, गीलारोपा, ओंडेर, अतरेजी, घाटबमूरिया, बरखेड़ा इकोदिया, प्यासी, गुपलिया, हांसली, वगवा (लालमन टपरा), जसैया, बांसखेडी, कानीखेडी, फुटेरा, जमुनिया, नहका ई.टी.टी.टी बीलाखेडी, बीलाखेडा, दंगल्या, बरखेडाकोशल्या, मढीबुजुर्ग, पीपलखेडा, खाकलोन, पाटन, दमदमा, जरौली धुवियाई, बनहाई, अथाईखेडा, अथाई बमूरिया, सागर, ढेंगन, चमराई, लक्ष्मीपुरा, केशलोन, ओझलपुर, बेलई पथरिया, करैया तुर्क नीलीधुरक, मूढराखाना.	पुलिस चौकी बंगला चौराहा

नवसृजित पुलिस चौकी बंगला चौराहा के उपरोक्तानुसार कॉलम नं. 3 में वर्णित कुल 42 ग्राम थाना बंगला चौराहा में एतद्वारा सम्मिलित किये गये तथा पुलिस विनियम के भाग 4 के विनियम 575 में प्रावधानित अनुसार पुलिस अधीक्षक अशोकनगर के कार्यालय में रखी गई है।

उक्त नवसृजित पुलिस चौकी बंगला चौराहा के अस्तित्व में आने से पुलिस चौकी बंगला चौराहा के संचालन एवं संपादन एवं कार्य तथा प्रक्रिया हेतु समय-समय पर शासन एवं पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों, परिपत्रों एवं नियमों का विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत विहित उद्देश्यों हेतु कार्य प्रारंभ करने हेतु एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है।

क्र. एस.डब्ल्यू-9-20-2017-47.—जिला अशोकनगर में नवीन थाना कदवाया राज्य शासन द्वारा स्वीकृत किये जाने से निम्नलिखित ग्राम एतद्वारा थाना कदवाया में सम्मिलित किये जाते हैं:—

क्रमांक	पुलिस थाने का नाम जिससे अपवर्तित किया गया	ग्रामों के नाम/शहर का सम्मिलित हिस्सा	नवीन पुलिस थाने का नाम जिसमें सम्मिलित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	थाना ईसागढ	कदवाया, इन्दौर, सिन्नी, ओखरीखेडा, सिलपटी, छीकरी, बुढिया, गोपालपुर, शर्करा, चक्क इन्दौर, केशोपुर, कमलावदा, मनेठी, गोविन्दपुर, अनघोराचुखरू, बडियादेह, अनघोरादीवान, धनवारा, बख्तर, मुडैरी, कुकरया, जमुन्या, चाटोली, राजगढ़, बघनरी, नयागांव, खिरियाभरका, श्यामगढ़, फुटेरा, छपरा, भैरोगढ़, लालकंकार, बलदेवपुर, गंगापुर, माधोपुर, किशनगढ़, पलकाटोरी, रूपगढ़, गनेशखेडा, तिलहारी, बुढेरा, मामोन, भरका मामोन, पिपरिया, महुअन, गहोरा, मौचार.	पुलिस चौकी बंगला चौराहा

नवसृजित थाना कदवाया के उपरोक्तानुसार कॉलम नं. 3 में वर्णित कुल 47 ग्राम थाना कदवाया में एतद्वारा सम्मिलित किये गये तथा पुलिस विनियम के भाग 4 के विनियम 575 में प्रावधानित अनुसार पुलिस अधीक्षक, अशोकनगर के कार्यालय में रखी गई है।

उक्त नवसृजित थाना कदवाया के अस्तित्व में आने से थाना कदवाया के संचालन एवं संपादन एवं कार्य तथा प्रक्रिया हेतु समय-समय पर शासन एवं पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों, परिपत्रों एवं नियमों का विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत विहित उद्देश्यों हेतु कार्य प्रारंभ करने हेतु एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है।

बी. एस. जामोद, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मंडी निर्वाचन) जिला सतना, मध्यप्रदेश

सतना, दिनांक 9 जनवरी 2017

क्र. 1250-स्था.निर्वा.-मंडी-2016.—एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मंडी समिति नागौद जिला सतना के वार्ड क्रमांक 03 के उप निर्वाचन 2016 में निम्नानुसार कृषक सदस्य निर्वाचित हुए हैं:—

क्रमांक	निर्वाचित सदस्य का नाम	पद जिसके लिए निर्वाचित हुए	पता
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री अशोक सिंह पिता माधव सिंह	कृषक सदस्य	ग्राम खम्पेही पोस्ट हरदुआ कला तहसील नागौद जिला सतना (म. प्र.).

नरेश पाल, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मंडी. निर्वा.).

आर. सी. वी. पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी
मध्यप्रदेश, भोपाल

(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

भोपाल, दिनांक 24 जनवरी 2017

क्र. 620-नोअविप-विपप्र-2017.—सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 10-1-2015-1-9-दिनांक 27 मार्च 2015 द्वारा विभागीय परीक्षा की पुरानी व्यवस्था को समाप्त किया गया है। 1 जुलाई 2015 से प्रभावशील विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा 2015 बैच के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरांत विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 9 से 23 दिसम्बर 2016 को प्रशासन अकादमी के द्वारा किया गया। इस आयोजित परीक्षा के विषय 1. राजस्व विधि एवं प्रक्रिया, 2. राजस्व विधि एवं प्रक्रिया (आदेश लेखन), 3. दाण्डिक विधि एवं प्रक्रिया, 4. दाण्डिक विधि एवं प्रक्रिया (आदेश लेखन) 5. प्रशासनिक विधि एवं प्रक्रिया, 6. सिविल विधि एवं प्रक्रिया, 7. लेखा एवं वित्त, 8. म. प्र. स्थानीय शासन, 9. हिन्दी (केवल गैर हिन्दी भाषी) 10. प्रकरण अध्ययन-में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

क्रमांक (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
1	श्री बालागुरु के.	सहायक कलेक्टर
2	श्री पार्थ जैसवाल	सहायक कलेक्टर
3	श्री हिमांशु चन्द्र	सहायक कलेक्टर
4	सुश्री संस्कृति जैन	सहायक कलेक्टर
5	श्री हर्षल पंचोली	सहायक कलेक्टर
6	श्री मृणाल मीना	सहायक कलेक्टर
7	सुश्री रानी बंसल	सहायक कलेक्टर
8	श्री अर्पित वर्मा	सहायक कलेक्टर
9	सुश्री अदिति गर्ग	सहायक कलेक्टर
10	श्री हर्ष सिंह	सहायक कलेक्टर
11	श्री रौशन कुमार सिंह	सहायक कलेक्टर
12	श्री रितुराज	सहायक कलेक्टर
13	श्री शिवम वर्मा	सहायक कलेक्टर

क्र. 620-नोअविप-विपप्र-2017.—सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 10-1-2015-1-9 दिनांक 27 मार्च 2015 द्वारा विभागीय परीक्षा की पुरानी व्यवस्था को समाप्त किया गया है। 1 जुलाई 2015 से प्रभावशील विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा 2014 बैच के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरांत विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 9 दिसम्बर 2016 से 23 दिसम्बर 2016 को प्रशासन अकादमी के द्वारा किया गया। दिनांक 12 दिसम्बर 2016 एवं 20 दिसम्बर 2016 को इस आयोजित परीक्षा के विषय 1. राजस्व विधि एवं प्रक्रिया (आदेश लेखन), 2. लेखा एवं वित्त की पूरक परीक्षा में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

क्रमांक (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
1	श्रीमती नेहा मीणा	सहायक कलेक्टर.

क्र. 620-नोअविप-विपप्र-2017.—सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 10-1-2015-1-9 दिनांक 27 मार्च 2015 द्वारा विभागीय परीक्षा की पुरानी व्यवस्था को समाप्त किया गया है। 1 जुलाई 2015 से प्रभावशील विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा 2015 बैच के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरांत विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 9 से 23 दिसम्बर, 2016 को प्रशासन अकादमी के द्वारा किया गया। इस आयोजित परीक्षा के विषय 1. राजस्व विधि एवं प्रक्रिया (आदेश लेखन), 2. दाण्डिक विधि एवं प्रक्रिया, 3. दाण्डिक विधि एवं प्रक्रिया (आदेश लेखन), 4. प्रशासनिक विधि एवं प्रक्रिया, 5. सिविल विधि एवं प्रक्रिया, 6. लेखा एवं वित्त, 7. म. प्र. स्थानीय शासन, 8. हिन्दी (केवल गैर हिन्दी भाषी), 9. प्रकरण अध्ययन-में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

क्रमांक (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
1	सुश्री जे. रीभा	सहायक कलेक्टर.

क्र. 620-नोअविप-विपप्र-2017.—सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 10-1-2015-1-9 दिनांक 27 मार्च 2015 द्वारा विभागीय परीक्षा की पुरानी व्यवस्था को समाप्त किया गया है। 1 जुलाई 2015 से प्रभावशील विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा 2014 बैच के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरांत विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 9 दिसम्बर 2016 से 23 दिसम्बर 2016 को प्रशासन अकादमी के द्वारा किया गया। दिनांक 20 दिसम्बर, 2016 को इस आयोजित परीक्षा के विषय—“लेखा एवं वित्त” की पूरक परीक्षा में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

क्रमांक (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
1	श्री क्षितिज सिंघल	सहायक कलेक्टर.

संशोधित

भोपाल, दिनांक 31 जनवरी 2017

क्र. 770-नोअविप-विपप्र-2017.—राज्य शासन, द्वारा किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अधिकारियों के लिये जो दिनांक 20 मार्च 2015 को प्रश्न पत्र द्वितीय लेखा (बिना पुस्तकों के) विषय में संपन्न हुई थी, में निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

क्रमांक (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
1	कु. माया पवार	सहायक संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष रस्तोगी, संचालक एवं नोडल अधिकारी विभागीय परीक्षा.

कार्यालय, कलेक्टर, सीहोर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश

सीहोर, दिनांक 28 जनवरी 2017

क्र. 528-एस.डब्ल्यू-17.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973(1974 का सरल क्रमांक 2) की धारा 2 के खण्ड एस एवं शासन के आदेश क्रमांक-एफ-2(क)-10-2015-बी-3-दो भोपाल दिनांक 23 नवम्बर 2016 तथा शासन के पत्र क्रमांक एफ-2(क)-9-08-बी-3-दो, दिनांक 30 जुलाई 2010 द्वारा नीचे दी सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपान्तरण करते हुए राज्य शासन द्वारा निम्नांकित क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए थाना गोपालपुर एवं चौकी अमलाहा की स्थापना मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से :—

- एक नीचे दी सारणी कालम (1) में उल्लेखित पुलिस थाने से उसके (सारणी) के कालम (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय थानों को अपवर्जित करते हैं.
- दो (सारणी) के कालम (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कालम क्रमांक (3) में उल्लेखित पुलिस थाने सम्मिलित करती है.

नवीन थाना गोपालपुर

सारणी

पुलिस थाने का नाम (तहसील तथा जिला सहित) जिसमें अपवर्जित किया गया है
(1)

स्थानीय क्षेत्र
ग्राम मोहल्ले का नाम
(2)

पुलिस थाने का नाम (तहसील तथा जिला सहित) जिसमें सम्मिलित किया गया है
(3)

पुलिस थाना नसरुल्लागंज तहसील
नसरुल्लागंज जिला सीहोर.

1. गोपालपुर
2. डोबा
3. बरखेड़ी
4. बचगांव
5. कुमनताल
6. बाईबोड़ी
7. चींचली
8. पिपलिया
9. जाट मुहाई
10. सरसोदिया
11. छीपानेर
12. इटावाकलां
13. इटारसी
14. चौरसाखेड़ी
15. ससली
16. नारायणपुरा
17. रानीपुरा
18. झकलाय
19. सीगांव
20. हमीदगंज तूमड़ी
21. डोगलापानी
22. घोघरा
23. बोरखेड़ाखुर्द
24. इटावाखुर्द
25. किशनपुर
26. जूनापानी

पुलिस थाना गोपालपुर तहसील
नसरुल्लागंज जिला सीहोर.

(1)	(2)	(3)
	27. सुकरवास	
	28. वासूदेव	
	29. निमोटा	
	30. गोरखपुर	
	31. श्यामपुर	
	32. मंजाखेड़ी	
	33. मगरिया	
	34. बांकोट	
	35. मंजाखेड़ीछाप	
	36. पिपलानी	
	37. घुटवानी	
	38. आमलापानी	
	39. फंडकी	
	40. सिराली (फंडकी)	
	41. छापरी	
	42. बगलीखेड़ा	
	43. धौलपुर	
	44. बडनगर	
	45. बगवाड़ा	
	46. पांडागांव	
	47. जामुनिया कला	
	48. महागांव कदीम	

नवीन पुलिस चौकी, अमलाहा, थाना आष्टा

सारणी

पुलिस थाने का नाम (तहसील तथा जिला सहित) जिसमें अपवर्जित किया गया है
(1)

थाना आष्टा, तहसील आष्टा, जिला सीहोर

स्थानीय क्षेत्र
ग्राम मोहल्ले का नाम
(2)

1. अमलाहा (आष्टा)
2. कोठरी (आष्टा)
3. लसुडिया खास (आष्टा)
4. गाडराखेड़ी (आष्टा)
5. मैनाखेड़ी (आष्टा)
6. बोरखेड़ा (आष्टा)
7. मानाखेड़ी (आष्टा)
8. गवाखेड़ा (आष्टा)
9. भीलखेड़ी (आष्टा)
10. डेंडी (आष्टा)
11. पारवा गोंसाई (आष्टा)
12. कालियाखेड़ी (आष्टा)
13. मुल्लानी (आष्टा)
14. भाड़ाखेड़ी (आष्टा)
15. कचनारिया (आष्टा)
16. उमरसिंगी (आष्टा)

पुलिस थाने का नाम (तहसील तथा जिला सहित) जिसमें सम्मिलित किया गया है
(3)

पुलिस चौकी अमलाहा, थाना आष्टा
तहसील आष्टा, जिला सीहोर.

(1)	(2)	(3)
	17. निपानिया कलां (आष्टा)	
	18. बेदाखेड़ी (आष्टा)	
	19. मोलूखेड़ी (आष्टा)	
	20. सोण्डा (मण्डी)	
	21. उसमानिया (मण्डी)	
	22. छापरी बरामद (मण्डी)	
	23. मुल्लानी (मण्डी)	
	24. भीमपुरा (मण्डी)	
	25. धामन्दा (इछावर)	
	26. भौजपुरा (इछावर)	
	27. पटारिया बांका (इछावर)	
	28. पटारिया सीधा (इछावर)	
	29. शुक्ल्याहंसराज (इछावर)	
	30. गोलूखेड़ी (इछावर)	
	31. दुर्गपुरा (इछावर)	

No. 528-SW-COLLECTOR-Sehore-2017.—In exercise of the powers conferred by clause (s) Section 2 of the Code of Criminal procedure; 1973 (No. 2 of 1974) and Madhya Pradesh Home (Police) Department order number F2(k)-10-2015-B-3-TWO Bhopal Date 23 November 2016 and F2(k)-9-08-B-3-TWO Bhopal Date 30 July 2010 in partial modification of the previous notification in the specified local areas comprised in respective police stations mentioned in the Table below, the State Government hereby Notifies Police Station Gopalpur and Chouki Amlaha Comprising the areas specified below with effect from the date of publication of this notification in the “Madhya Pradesh Gazette” :—

- 1 Exclude form the police station mentioned in column (I) of the table below the local areas specified in column (2) thereof and
- 2 Includes the local areas specified in column (2) of the said table in the police station mentioned in column (3) of said table.

**NEW POLICE STATION GOPALPUR
TABLE**

Name of Police Station (with tehsil and distt.) from which excluded (1)	LOCAL AREA Name of Villages, and Settlement No. Ward No. (2)	Name of police station (with tehsil and distt.) which included (3)
Police Station Nasrullaganj, Tehsil Nasrullaganj, Distt. Sehore	S. No. Name of Villages 1. Gopalpur 2. Doba 3. Barkhedi 4. Bachgaon 5. Kumantal 6. Baibodi 7. Cheechli 8. Pipaliya 9. Jat Muhai 10. Sarsodiya 11. Chipaner 12. Itawakala 13. Itarsi	Police Station Gopalpur, Tehsil Nasrullaganj Distt. Sehore

(1)	(2)	(3)
	14. Choursakhedi	
	15. Sasli	
	16. Narayanpura	
	17. Ranipura	
	18. Jhaklay	
	19. Seegaon	
	20. Hamidganjtumdi	
	21. Doglapani	
	22. Ghoghra	
	23. Borkhedakhurd	
	24. Itawakhurd	
	25. Kishanpur	
	26. Junapani	
	27. Sukarwas	
	28. Vasudev	
	29. Nimota	
	30. Gorakhpur	
	31. Shyampur	
	32. Manjakhedi	
	33. Magriya	
	34. Baankot	
	35. Manjakhedi Chhap	
	36. Piplani	
	37. Ghutwani	
	38. Amlapani	
	39. Phandki	
	40. Sirali (Phandki)	
	41. Chhapri	
	42. Baglikheda	
	43. Dhoulpur	
	44. Badnagar	
	45. Bagwada	
	46. Pandagaon	
	47. Jamoniyakala	
	48. Mahagaon Kadeem	

NEW POLICE CHOUKI AMLAHA, POLICE STATION ASHTA
TABLE

Name of Police Station (with tehsil and distt.) from which excluded (1)	<u>LOCAL AREA</u> Name of Villages, and Settlement No. Ward No. (2)	Name of police station (with tehsil and distt.) in which included (3)
Police Station Ashta, Tehsil Ashta, Distt. Sehore	S. No. Name of Villages 1. Amlaha (Ashta) 2. Kothri (Ashta) 3. Lasudiya Khas (Ashta) 4. Gadrakhedi (Ashta) 5. Mainakhedi (Ashta) 6. Borkheda (Ashta) 7. Manakhedi (Ashta) 8. Gawakheda (Ashta) 9. Bheelkhedi (Ashta) 10. Dendi (Ashta)	Police Chouki Amlaha Police Station Ashta, Tehsil Ashta, Distt. Sehore

(1)	(2)	(3)
	11. Parwa Gosia (Ashta)	
	12. Kaliyakhedi (Ashta)	
	13. Mullani (Ashta)	
	14. Bhadakhedi (Ashta)	
	15. Kachnariya (Ashta)	
	16. Umarsingi (Ashta)	
	17. Nipaniya kala (Ashta)	
	18. Bedakhedi (Ashta)	
	19. Molukhedi (Ashta)	
	20. Sonda (Mandi)	
	21. Usmaniya (Mandi)	
	22. Chhapri Baramad (Mandi)	
	23. Mullani (Mandi)	
	24. Bheempura (Mandi)	
	25. Dhamanda (Ichhawar)	
	26. Bhojpura (Ichhawar)	
	27. Patariya Banka (Ichhawar)	
	28. Patariya Seedha (Ichhawar)	
	29. Shuklyahansraj (Ichhawar)	
	30. Golukhedi (Ichhawar)	
	31. Durgpura (Ichhawar)	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुदाम खाडे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी, छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव मध्यप्रदेश शासन

छिन्दवाड़ा, दिनांक 28 जनवरी, 2017

क्र. 928-सां. लि.-2017.—मध्यप्रदेश शासन गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ-2(क)-10-2015-बी-3-दो दिनांक 23 नवम्बर 2016 के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्रीजी की घोषणा अनुसार पुलिस विभाग की क्षमता वृद्धि हेतु नवीन पदों के सृजन हेतु दी गयी स्वीकृति के आधार पर तथा राज्य शासन के परिपत्र क्रमांक एफ-2(क)-9-08-बी-3-दो दिनांक 30-जुलाई-2010 द्वारा प्रदत्त किये गये अधिकार के तहत मैं, जे. के. जैन कलेक्टर/जिलादण्डाधिकारी छिन्दवाड़ा एवं पदेन अपर सचिव मध्यप्रदेश शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-2 के खण्ड-(घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग लाते हुये मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से पुलिस चौकी रावनवाड़ा (अंतर्गत थाना परासिया) का थाना में उन्नयन कर जिला छिन्दवाड़ा के अन्तर्गत, पुलिस थाना रावनवाड़ा घोषित करता हूँ.

No. 928-S.W.-2017.—As per circular of Government of Madhya Pradesh Home (Police) Department, Vallabh Bhawan Bhopal, No. F-2(K)-10-2015-B-3-2 dated 23rd November 2016 on the basis of the given sanction by the State Government as per declaration of Honourable Chief Minister for the creation of new posts for the capacity increase of police department and as per powers given by circular of State Government, No. F-2(K)-9-08-K-B-3-2 dated 30 July 2010, I, J. K. JAIN, Collector/District Magistrate Chhindwara & ex-officio Addl. Secretary Government of Madhya Pradesh, in exercise of powers conferred by the clause (s) of section 2 of the code of criminal procedure, 1973, w.e.f. the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette, declare having upgraded Police Chowki Rawanwara (under Parasia police station) as Police Station under district Chhindwara.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. जैन, कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी एवं पदेन अपर सचिव.

राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 7 फरवरी 2017

क्र. एफ 15-8-2016-सात-शाखा-6-146.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार निदेश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में वर्णित गांवों के लिए, उसके कालम (3) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार-अभिलेख तैयार किया जाए:—

अनुसूची

तहसील: बड़ौदा

जिला : श्योपुर

क्र.	पटवारी हलका क्रमांक सहित गांवों के नाम	अधिकार—अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)
1	01. राजपुरा उर्फ झुनझुनीपुरा, प.ह.नं. 05	अधीक्षक, भू—अभिलेख,
2	02. विचगांवड़ी, प.ह.नं. 05	(नियमित) जिला—श्योपुर
3	01. मेखड़ाहेड़ली, प.ह.नं. 20	
4	01. ललितपुरा, प.ह.नं. 27	
5	01. सारंगपुर, प.ह.नं. 28	
6	01. भिलवाड़िया, प.ह.नं. 33	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
किरण मिश्रा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 7 फरवरी 2017

क्र. एफ 15-8-2016-सात-शा.-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-8-2016-सात-शा.-6, दिनांक 7 फरवरी 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
किरण मिश्रा, उपसचिव.

Bhopal, the 7th February 2017

No. F-15-08-2016-VII-Sec.-6-146.—In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the villages mentioned in column (2) of the Schedule below by the Officer mentioned in column (3) thereof:—

SCHEDULE

Tehsil : Baroda

District : Sheopur

Serial No.	Name of village (s) with P.C. No.	Designation of the officer authorised to prepare record of rights
(1)	(2)	(3)
1	01. Rajpura urph jhun jhunipura P.C. No. 05	Superintendent of Land Records,
2	02. Bichganwadi P.C. No. 05.	(regular) District Sheopur.
3	01. Mekhada hedi, P.C. No. 20	
4	01. Lalitpura, P.C. No. 27	
5	01 Sarangpur P.C. No. 28	
6	01. Bhilwadiya P.C. No. 33	

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
KIRAN MISHRA, Dy. Secy.

राज्य शासन के आदेश

कार्यालय कलेक्टर जिला देवास एवं पदेन सचिव म.प्र.शासन राजस्व विभाग

सार्वजनिक सूचना

(भू-अर्जन हेतु मध्यप्रदेश शासन की "आपसी सहमति से भूमि कय नीति" अंतर्गत)

क्रमांक/ 30/भू-अर्जन/17

देवास, दिनांक 10/01/2017

मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग, भोपाल के पत्र दिनांक 12.11.2014 के परिपालन में आपसी सहमति से कय नीति के अंतर्गत निम्नानुसार नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक (2) में उल्लेखित भूमि धारकों की अनुसूची के कॉलम क्रमांक (3 एवं 4) अनुसार भूमि सार्वजनिक प्रयोजन हेतु दतूनी मध्यम सिंचाई परियोजना नहर प्रणाली फेस-2 के अंतर्गत नहर निर्माण के लिए आवश्यक हैं।

अनुसूची

- | | | |
|-----------------|----|---------------|
| 1. ग्राम का नाम | :- | खोनपीरपिपल्या |
| 2. तहसील | :- | सोनकच्छ |
| 3. जिला | :- | देवास |
| 4. कुल प्रस्ताव | :- | 01 |

क्र.	संपत्ति का विवरण	कृषक का नाम	सर्वे क्र.	अर्जन किये जाने वाली भूमि का रकबा (हे. में)
1	2	3	4	5
01	कृषि भूमि	श्री रामप्रसाद पिता कनीराम	316/5	0.020
02	कृषि भूमि	शंकरसिंह पिता कनीराम	316/3	0.050
03	कृषि भूमि	देवकरण पिता कनीराम	318/1	0.020

कुल सर्वे नंबर- 03 कुल प्रस्ताव - 01

उपरोक्त कृषकों की भूमि बागली भौरासा मार्ग के कि.मी. 41/10 में लोधरी नदी पर जलमग्नीय पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण के अंतर्गत ग्राम खोनपीरपिपल्या की उपरोक्तानुसार भूमि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग मध्यप्रदेश के पक्ष में कय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में आपत्ति हो तो वह नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिवस के अंदर) में आधार सहित कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय जिला देवास एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी सोनकच्छ के कार्यालय में देखा जा सकता है।

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन सचिव म.प्र. शासन राजस्व विभाग, जिला देवास (म.प्र.)
क्रमांक/ 96 /भू-अर्जन/2017 देवास दिनांक 13/01/2017

::प्रारंभिक अधिसूचना::

(अंतर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुर्नवास एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 (क्र 30 सन् 2013))

चुकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्र 1 में कन्नौद-सतवास-पुनासा मार्ग (राज्यमार्ग क्र-41) निर्माण के अंतर्गत कि.मी. 21, 22 में कर्व सुधार कार्य हेतु ग्राम बड़कनखारी रा.नि.म सतवास तहसील कन्नौद जिला देवास की प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिये या आवश्यकता पडने की संभावना है। उक्त अर्जन की कार्यवाही में धारा 40 के उपबंध लागू होने से धारा 15 के अंतर्गत कोई उपबंध लागू नहीं होंगे।

अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन मे उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि कि अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

क्र	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टेयर में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	कन्नौद-सतवास-पुनासा मार्ग (राज्यमार्ग क्र-41) निर्माण के अंतर्गत कि.मी. 21, 22 में कर्व सुधार कार्य हेतु ग्राम बड़कनखारी	0.740	0.000	0.740
	योग	0.740	0.000	0.740

अनुसूची (2)

कन्नौद-सतवास-पुनासा मार्ग (राज्यमार्ग क्र-41) निर्माण के अंतर्गत अंतर्गत कि.मी. 21, 22 में कर्व सुधार कार्य ग्राम बड़कनखारी की प्रभावित भूमि का विवरण

क्र	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्र	भूमि का कुल रकबा (हेक्टेयर में)			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टेयर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	श्री बाबूलाल पिता सुन्दरलाल गवली (भू-स्वामी)	148	0.72	0.00	0.72	0.070	0.00	0.070
2	श्री शंकर शोभाराम पिता मुकुन्द गवली (भू-स्वामी)	149	3.80	0.00	3.80	0.24	0.00	0.24
		189	0.36	0.00	0.36	0.05	0.00	0.05
3	श्री बालकृष्ण प्रेमनारायण पिता धन्नालाल गुर्जर	190/3	1.14	0.00	1.14	0.05	0.00	0.05
		191	2.36	0.00	2.36	0.22	0.00	0.22
4	श्री मोतीलाल पिता नंद किशोर गुर्जर	198/1	2.19	0.00	2.19	0.11	0.00	0.11
	योग		10.57	0.00	10.57	0.740	0.00	0.740

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

**कार्यालय कलेक्टर, जिला-टीकमगढ़ (म0प्र0) एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
अधिसूचना**

प्र.क्र./10/अ-82/2015-16/भू-अर्जन/2016

टीकमगढ़, दिनांक-16-1-17

प्र.क्र./10/अ-82/2015-16 भू-अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और परदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक-(2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक-(1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :-

(क) जिला - टीकमगढ़

(ख) तहसील - टीकमगढ़

(ग) नगर/ग्राम - सुजारा

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 25.461 हेक्ट.

क्र.	कास्तकार /कब्जेदा भूमिसवामी का नाम	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा
1	2	3	4
1	योगेन्द्र सिंह तनय नृपेन्द्र सिंह ठाकुर हाल नि. छतरपुर भूमिसवामी	31/1	0.043
2	श्रीमति कुसुमलता पत्नि आदित्य नारायण भटनागर निवासी टीकमगढ़ भूमिसवामी	39/1 185	0.898 0.328
		2	1.226
3	श्रीमति कुसुमलता पत्नि आदित्य नारायण भटनागर निवासी टीकमगढ़ 3/4 हि. झलुवा त0. मुन्नी सुनार 1/4 हि.	52/1	0.033
4	शांति पत्नि कामत जाति धोबी निवासी ग्रामी भूमि स्वामी	106/1	0.003
5	परमा त0 जूजू चमार निवासी ग्रामी भूमि स्वामी	143	0.421
6	जगदीश, रगवीर, रामलाल त0 गनुवा चमार निवासी ग्रामी भूमि स्वामी	158/1/1	0.500
7	गोवर्धन, शिवदयाल त0 धम्मू जाति लोधी नि0 धर्मपुरा भूमि स्वामी	169/1 169/2 169/3	0.506 0.507 0.506
		3	1.519

8	गोवर्धन, शिवदयाल त0 धम्मू 1/2 हि. लोधी नि. धर्मपुरा नत्थू त0 धर्मा 1/2 हि0 जाति लोधी निवासी ग्रामी भूमि स्वामी	169/4	0.506
9	कैलाश तनय झल्लू, मैदा गौराबाई पुत्री झल्लू जाति बसोर निवासी ग्रामी भूमि स्वामी	172	1.137
10	बहोरा तनय मोहना जाति अहिरवार निवासी ग्रामी भूमि स्वामी	173	0.734
11	कन्नू त. बसन्ता पुनुवा त0 भगोला सुखवती पत्नि कन्नू 1/2 हि. बारेलाल त. चिन्टोला गनुवा त. अलमा मुलिया नन्नी पुत्री अलमा धर्मी बेवा रजुवा पार्वती पुत्री रजुवा सुक्का त. भैयालाल 1/2 हि. जाति अहिरवार निवासी ग्रामी भूमि स्वामी	174/1	2.298
12	मिठईयां त. बंशिया जाति बसोर निवासी ग्रामी भूमि स्वामी	128/1	1.000
13	बाबूलाल त0 नन्नाई जाति बसोर निवासी ग्रामी भूमि स्वामी	128/2/2	1.000
14	रामचरन त0 नन्नाई जाति बसोर निवासी ग्रामी भूमि स्वामी	301/9537	0.130
15	द्वारकाप्रसाद त0 परमानंद ब्राह्मण, निवासी ग्रामी भूमि स्वामी	301 305 318	0.020 0.150 0.348
		3	0.518
16	लखन त. नन्नेलाल मुन्ना गुडडी, बलीबाई पुत्री मु. नन्नीबाई बेवा नन्नेलाल जाति लोधी निवासी ग्रामी भूमि स्वामी	306 308 310	0.280 0.350 0.437
		3	1.067
17	रबूदा तनय लछुवा जाति बसोर निवासी ग्रामी भूमि स्वामी	319	0.109
18	गमचा तनय हरिया जाति ढीमर निवासी ग्रामी भूमि स्वामी	308 अ 317/1 315/1 317/अ/1	0.587 0.064 0.073 0.112
		4	0.836
19	बाबू तनय हरलाल जाति लोधी निवासी ग्रामी भूमि स्वामी	328 329	0.040 0.030
		2	0.070
20	कन्नू त. दुर्जना 1/3 हि. जगदीश जालम त0 सरिया 1/6 हि. गदूला त. छत्ता 1/6 हि. करिया त. गुन्टा, फुलिया चिंजी भगुन्ती पुत्री गुन्टा 1/3 हि. जाति अहिरवार निवासी ग्रामी भूमि स्वामी	457 475/1	0.299 0.020
		2	0.319
21	मगनलाल संतोष तुलसी त. हल्कू जाति काछी निवासी लमेरा भूमि स्वामी	385/1 405/1	0.557 0.192
		2	0.749

22	मुन्ना, दशराई तनय गनपत जाति चमार निवासी ग्रामी भूमि स्वामी	478 481/1	0.445 0.150
		2	0.595
23	बारेलाल तनय चिन्टोला खज्जू पुत्री चिन्टोला जाति अहिरवार, निवासी ग्रामी भूमि स्वामी	477/1 484 618	0.098 0.109 0.178
		3	0.385
24	लाल्ले तनय कलुवा रधिया बेवा कलुवा जाति अहिरवार निवासी ग्रामी भूमि स्वामी	476/1 479 484/1187 485 618/1224	0.073 0.109 0.065 0.020 0.202
		5	0.469
25	वृजलाल किशन मुन्नी तनय कूरा जाति ढीमर निवासी ग्रामी भूमि स्वामी	440	0.029
26	गज्जू जगदीश देशराज शीलचन्द्र तनय गमचा जाति ढीमर निवासी ग्रामी भूमि स्वामी	439	0.061
27	गज्जू त. गमचा गनपत त0 हरिया घंसू त. फतुआ प्रेमदुलैया बेवा कूरा वृजलाल मुन्नी किशन त. कूरा श्यामबाई गौना पुत्री कूरा जाति ढीमर निवासी ग्रामी भूमि स्वामी	447/1	0.040
28	घंसू तनय फतुआ जाति ढीमर निवासी ग्रामी भूमि स्वामी	449/1	0.357
29	तांतू त0 धनसींगा 1/6 करिया तनय गुन्डा 1/6 हि. तुलसी मुन्नी त0 करिया 1/6 हि. जाति चमार रामदास त0 रगईयां 1/6 हि. जाति चमार गमचा नन्नु गनपत त. हरिया 1/6 हि. जाति ढीमर रामदीन त. लछुवा 1/12 हि. चुन्टाई त. नन्ने 1/12 हि. जाति लोधी नि. ग्रामी भूमि स्वामी	415/1	0.652
30	सरमन त. नन्नेलाल 1/3 हि. श्रीमति संतोषीबाई पत्नि प्यारेलाल 1/3 हि. रामदीन त. लछू 1/6 हि. जानकी बेवा मलखान राकेश सरूप त0 मलखान पार्वती राजकुमारी पुत्री मलखान 1/6 हि. लोधी निवासी ग्रामी भूमि स्वामी	194/1	0.040
31	प्रेमदुलैया बेवा कूरा वृजलाल मुन्नी किशन त0 कूरा श्यामबाई गौना पुत्री कूरा 1/2 हि. गमचा नन्नु गनपत तनय हरिया 1/2 हि. जाति ढीमर निवासी ग्रामी भूमि स्वामी	423/1	0.040
32	काशीराम तनय भगुन्ता जाति लोधी निवासी ग्रामी भूमि स्वामी	512 488/2 494/2 510/2	0.101 0.066 0.050 0.027
		4	0.244
33	घंसू त गुन्चा 1/2 हि. देवी शोभा राजाराम त. मोहन सुमित्रा लाडबाई पुत्री मोहन मु. लडडू बेवा मोहन 1/2 हि. जाति लोधी निवासी ग्रामी भूमि स्वामी	489 516 490 513	0.267 0.061 0.097 0.053

		4	0.478
34	बैजनाथ त. धर्मा 1/2 हि. दयाल अर्जना 1/8 हि. नन्नेलाल त0 पल्टू लोधी	486 487 515 518	0.069 0.287 0.053 0.077
		4	0.486
35	दयाल तनय अर्जना जाति लोधी निवासी ग्रामी भूमि स्वामी	519 511 514 517 545 547	0.090 0.040 0.053 0.057 0.330 0.320
		6	0.890
36	देवी शोभा राजाराम त0 मोहन सुमंत्रा लाडबाई पुत्री मोहन मु. लडडू बेवा मोहन जाति लोधी निवासी ग्रामी भूमि स्वामी	546	0.350
37	सियारानी बेवा राजाराम संतोष रमेश वृजेश त. राजाराम दीपा पुत्री राजाराम 1/3 हि. किशोरी शोभाराम धानीराम त0 रामनाथ मौना देवी पुत्री रामनाथ मुकेश जागेप्रसाद राजेन्द्रप्रसाद त0 कृपाराम सावित्री पुत्री कृपाराम 1/3 हि. सुखनंदन प्रेमलाल त0 सुन्दरलाल शीला गुडडी पुत्री सुन्दरलाल पियूष राजकुमार त. काशीप्रसाद मु. मीरा बेवा काशीप्रसाद 1/9 हि. शांतिबाई पुत्री जानकी 1/9 हि. बाबूलाल देवेन्द्र राजेन्द्र नरेन्द्र त0 मोतीलाल 1/9 हि. जाति ब्राह्मण भूमि स्वामी	298 300 अ 301 अ 324 616	0.380 0.583 0.255 0.170 0.150
		5	1.538
38	चुन्टाई त. नन्ने जाति लोधी निवासी ग्रामी भूमि स्वामी	37/2 38/2 67/1/2	0.065 0.044 0.292
		3	0.401
39	नत्थू त. धर्मा गोकल त. भूपत जाति लोधी निवासी ग्रामी भूमि स्वामी	37/3 38/3 67/1/4	0.065 0.044 0.292
		3	0.401
40	गिरजा पत्नि गुलाब जाति लोधी निवासी ग्रामी भूमि स्वामी	67/1/3	0.292
41	जालम जगदीश त. सरिया गदूला त. छत्ता कल्लू पुत्री छत्ता 1/4 हि. चमार मुलुवा त0 दरऊवा 1/4 हि, चउदा त. हरिया 1/4 हि. गनपता त. उददेता 1/4हि. जाति चमार निवासी ग्रामी भूमि स्वामी	60/2	1.214
42	भगुन्ता त. धुन्धा जाति लोधी निवासी ग्रामी भूमि स्वामी	275/1/1	0.005
43	मलीदा पुत्री दशराई 1/4हि. अनिल त. हीरा ना.बा. सं. मां गुडडी बेवा हीरा 1/4 हि. गौनाबाई पुत्री दुर्जना पत्नि जगन्नाथ लल्लाबाई पुत्री दुर्जना पत्नि अच्छेलाल 1/2 हि. जाति सौर भूमि स्वामी	411/1184	0.008

44	गमचा नन्नू गनपत त. हरिया जाति ढीमर निवासी ग्रामी भूमि स्वामी	418/1	0.100
45		37/1 38/1 67/1/1	0.065 0.044 0.292
		3	0.401
46		38/5	0.044
47		509	0.105
48		441	0.105
49		461 463	0.308 0.214
		2	0.522
50		527	0.166
51		60/1/1	0.393
52		379/1183	0.202
53		422	0.125
54		449/1188	0.105
	कुल योग :-	99	25.461

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है - बानसुजारा परियोजना डूब क्षेत्र

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, भू-अर्जन कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्रकरण क्रमांक 14/अ-82/भू-अर्जन-2015-16 भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक(1) में वर्णित भूमि, कंडिका क्रमांक(2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

—: अनुसूची :-

1. भूमि का वर्णन :-

(क) जिला-टीकमगढ़

(ख) तहसील- टीकमगढ़

(ग) ग्राम- डिकौली चक-2

(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि- 45.689 हे०

क्र०	कास्तकार/कब्जेदार भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं०	अर्जित रकवा
1	2	3	5
1.	छक्की तनय माधोप्रसाद जाति कायस्थ पता नि.ग्राम 1/4 भाग भूमि स्वामी लच्छी त० हल्कुवा जाति धोबी पता नि.ग्राम 1/2 भाग भूमि स्वामी नरेन्द कुमार संतोष हरिशंकर तनय छक्कीलाल जाति कायस्थ पता नि.ग्राम 1/4 भाग भूमि स्वामी	509	0.070
2.	मोहनलाल, धनीराम, राजाराम, वैजनाथ तनय भइयन जाति यादव पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	611 616	0.120 0.129
3.	रामदयाल, काशीराम तनय अच्छेलाल जाति यादव पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	612 614 664	0.060 0.028 0.036
4.	धुन्ती तनय हरिऊ, गौचू पुत्री हिरऊ पता नि.ग्राम 1/3 भाग भूमि स्वामी रामदयाल, काशीराम तनय अच्छेलाल जाति यादव पता नि.ग्राम 2/3 भाग भूमि स्वामी	613	0.024
5.	वटी तनय केशर, बैनीबाई, श्यामबाई पुत्री केशर 1/3 भाग भूमि स्वामी मोहनलाल धनीराम राजाराम, वैजनाथ तनय भैयन 1/3 हि. आशाराम, रामेश्वर तनय नाथूराम 1/3 हि. जाति यादव पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	617 624 658 661 668 669 675 676 862 1085/1173 1087	0.081 0.113 0.082 0.085 0.109 0.045 0.054 0.055 0.603 0.340 0.170
6.	धुन्ती तनय हरिऊ, गौचू पुत्री हिरऊ जाति यादव पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	615	0.077
7.	ककुवा, रामपति, देशू तनय खल्का, जगना तनय गुरुवा जाति लोधी पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	640	0.090
8.	गोकल, ननुवा, हल्कू तनय जग्गू जाति लोधी पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	628	0.150
9.	छक्की तनय माधोप्रसाद जाति कायस्थ पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	910	0.219

	छिदू तनय मोती 1/4, मोती, राम सिंह, सुखदीन तनय कमतू 1/4 फुन्दी, गंगा मन्जू तनय लछुवाशान्ति, हरबू पुत्री लछुवा मु. वैनीबाई वेबा लछुवा 1/2 जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	818	0.558
11.	जगदीश, जगतनारायण तनय शिवदयाल, प्रेम दुलैया वेबा शिवदयाल 1/2 भाग भूमि स्वामी खडिया तनय हरदास, काशीबाई पुत्री हरदास अच्छेलाल तनय बिन्दे 1/4 भाग भूमि स्वामी छिदू तनय मोती, फुन्दी, गंगा, मन्जू तनय लछुवा शान्ति, हरबू पुत्री लछुवा वैनीबाई वेबा लछुवा 1/4 भाग भूमि स्वामी बृजलाल तनय हरप्रसाद जाति लोधी पता नि. ग्राम 1/4 भाग भूमि स्वामी	816 817	0.040 0.081
12.	जशरथ, वालकिशन, शीलचन्द्र तनय स्वामी, मु० नन्नीबाई बेवा स्वामी, भगवानदास तनय प्रागी, रामदयाल, काशीराम तनय अच्छेलाल जाति यादव पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	860 861 1084/1172 1087/1174 1100	0.210 0.016 0.384 0.275 0.095
13.	जशरथ, वालकिशन, शीलचन्द्र तनय स्वामी, मु० नन्नीबाई बेवा स्वामी जाति यादव पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	670 671	0.150 0.060
14.	नन्नी पुत्री नन्दलाल, गुविन्दा तनय हल्के 1/2 भाग भूमि स्वामी धुन्ती तनय हिरऊ, गौचू पुत्री हिरऊ जाति यादव पता नि. ग्राम 1/2 भूमि स्वामी	999 1001/1 1088 1089	0.125 0.220 0.255 0.291
15.	वटी तनय केशर, बैनीबाई, श्यामबाई पुत्री केशर मोहनलाल धनीराम राजाराम, बैजनाथ तनय भैयन ठाकुरदास तनय अधार 1/3 भाग भूमि स्वामी जसरथ, वालकिशन, शीलचन्द्र तनय स्वामी प्रसाद जाति यादव पता नि. ग्राम 1/6 समान भाग भूमि स्वामी अर्जना, सद्दू, विसना तनय रगवर 1/6 भाग भूमि स्वामी जसरथ वालकिशन शीलचन्द्र तनय स्वामी, मु० नन्नीबाई वेबा स्वामी भगवानदास त. प्रागी रामदयाल काशीराम तनय अच्छेलाल जाति यादव पता नि. ग्राम 1/3 भाग भूमि स्वामी	1090 1095 1096 1099 1101	0.780 0.073 0.210 0.090 0.045
16.	बृजेन्द्र तनय भैयालाल हि. 1/2 यादव देवकीनन्दन, राजेन्द्र कमलेश बट्टी तनय किशोरी, राजकुमारी, ममता पुत्री किशोरी हि. 1/4 जाति बैश्य पता नि. ग्राम भूमि स्वामी मुन्नालाल, जगदीश, ओमप्रकाश बाबूलाल, कैलाशचन्द्र तनय लच्छी, सीता, इन्द्रा, कुसुम पुत्री लच्छी हि. 1/4 जाति बैश्य पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1103	0.110
17.	बृजेन्द्र तनय भैयालाल हि. 1/4 हीरालाल भगवानदास मथुरा तनय मन्जू यादव 1/4 हि. भूमि स्वामी मुन्ना, जगदीश, ओमप्रकाश कैलाश बाबूलाल तनय लच्छी, 1/4 भाग भूमि स्वामी देवकीनन्दन, राजेन्द्र कमलेश, बट्टी तनय किशोरीलाल राजकुमारी ममता पुत्री किशोरीलाल जाति बैश्य पता नि. ग्राम 1/4 भाग भूमि स्वामी	858 859	0.089 0.012
18.	भुअन, फुल्लू, मोती तनय कुददू, कुइया वेबा कुददू जाति यादव पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	1086 1102	0.470 0.180
19.	भुअन, कल्लू, मोती तनय कुददू, कुइया वेबा कुददू जाति यादव 1/2 भाग भूमि स्वामी रत्तू, शिवदीन त० बंशिया जाति यादव पता नि. ग्राम 1/2 भाग भूमि स्वामी	656 657 659 660 665 666 674	0.030 0.117 0.036 0.040 0.101 0.050 0.064
20.	मथराप्रसाद भगवानदास तनय मन्जू प्रभूदयाल मुलायमसिंह तनय मथराप्रसाद जाति यादव भूमि स्वामी	851 857/1	0.619 0.567

21.	मोहन तनय भइयन 2/3 भाग भूमि स्वामी धनीराम , राजाराम, बैजनाथ तनय भइयन 1/3 भाग भूमि स्वामी	620 621 622 623 962/1/1	0.320 0.045 0.049 0.295 0.363
22.	मोहन तनय भइयन 1/4 हि. धनीराम , राजाराम, बैजनाथ तनय भइयन 1/4हि. नथू तनय चन्ना 1/2हि. जाति यादव पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	963/2/1	0.606
23.	आशाराम, रामेश्वर तनय नाथूराम जाति यादव पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	951	0.372
24.	अर्जना घनश्याम विशनलाल किशना तनय रगवर 1/2 भाग भूमि स्वामी गोरेलाल देशराज तनय पलुवा जाति यादव पता नि.ग्राम 1/2 भाग भूमि स्वामी रगवर तनय सुन्दारमतू तनय सुन्टा जाति चमार पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	998/1	0.121
25.	मोहनलाल,तनय भइयन जाति यादव पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	838 841	0.308 0.032
26.	रामदीन तनय मलुरिया हल्कीबाई बेवा मलुरिया जाति लोधी पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	626 629 638	0.113 0.007 0.100
27.	वटी तनय केशर, बैनीबाई, श्यामबाई पुत्री केशर जाति यादव पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	990/1	0.299
28.	वटी तनय केशर, बैनीबाई, श्यामबाई पुत्री केशर 1/4 मोहनलाल, धनीराम राजाराम बैजनाथ तनय भैयन आशाराम रामेश्वर तनय नाथूराम 1/4 भाग भूमि स्वामी मोहन तनय भैयन वटी तनय केशर जाति यादव पता नि.ग्राम 1/2 भूमि स्वामी	662 663 672	0.138 0.089 0.006
29.	वटी तनय केशर फुलिया, वि.केशर , बैनीबाई श्यामबाई पुत्री केशर मोहनलाल धनीराम राजाराम बैजनाथ तनय भइयन रामेश्वर आशाराम तनय नाथूराम जशरथ वालकिशन शीलचन्द्र तनय स्वामी, मु0 नन्नीबाई बेवा स्वामी जाति यादव 11/5.4 भाग भुवन फुल्लू मोती तनय कुदू, कुइया वि.कुदू 1/4 भाग रतू, शिवदीन तनय बंशिया 1/6 भाग मोहन तनय भइयन 1/8 भाग रामदयाल केशरीराम तनय अच्छेलाल भगवानदास तनय प्रागी यादव 2/27भाग	667	0.030
30.	वटी तनय केशर जाति अहीर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	835 837	0.960 0.417
31.	वटी तनय केशर बैनी, श्यामबाई पुत्री केशर 1/4 भाग भूमि स्वामी मोहन लाल धनीराम राजाराम बैजनाथ तनय भैयन आशाराम रामेश्वर त0 नाथूराम पता नि. ग्राम 1/2 भाग भूमि स्वामी जशरथ वालकिशन शीलचन्द्र तनय स्वामी मु0 नन्नीबाई बेवा स्वामी भगवानदास तनय प्रागी रामदयाल काशीराम तनय अच्छेलाल जाति यादव पता नि.ग्राम 1/4 भाग भूमि स्वामी	618	0.070
32.	शिवदीन रतू तनय बंशिया 1/2 भाग भूमि स्वामी कुइया बेवा कुदू जाति यादव पता नि. ग्राम 1/2 भाग भूमि स्वामी	997/1	0.333
33.	सकूरा अनंदी तनय जरसू मु. नोनीदुलैया वि. सकूरा गुडडी पुत्री जरसू जाति लोधी पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	641 642	0.125 0.028
34.	गोवर्धन तनय बृजभूषण जाति ब्राह्मण पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	907/1	0.900
35.	घनश्याम, पूरन, देशराज , आशाराम, तनय प्रागी जाति लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	919 822/1183	0.018 0.101

36.	छक्की तनय माधोप्रसाद जाति कायस्थ पता नि.ग्राम हि. 1/2 भाग भूमि स्वामी नरेन्द्रकुमार संतोष ,हरिशंकर तनय छक्कीलाल जाति कायस्थ पता निवासी ग्राम हि. 1/2 भाग भूमि स्वामी	911	0.900
		912	0.850
37.	छक्की तनय माधोप्रसाद जाति कायस्थ 3/10 भाग भूमि स्वामी ,नरेन्द्रकुमार, संतोष , हरिशंकर तनय छक्की लाल जाति कायस्थ पता नि.ग्राम 3/10 भाग भूमि स्वामी ,गोवर्धन तनय बृजभूषण जाति ब्राह्मण पता नि.ग्राम 2/5 भाग भूमि स्वामी	906	1.100
		908	2.124
		909	0.129
38.	जगदीश , जगतनारायण तनय शिवदयाल,प्रेम दुलैया वि. जाति लोधी पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	815	0.020
		887	1.117
39.	तुलसा बेवा गोविन्दप्रसाद प्रता नि.बादा ,उ.प्र. भूमि स्वामी भुवन पत्नि शिवदयाल जाति ब्राह्मण पता नि.छतरपुर भूमि स्वामी	709	0.025
		710	1.680
		711	0.109
		713	0.340
40.	देवकीनन्दन ,राजेन्द्र, कमलेश ,बद्री तनय किशोरी राजकुमारी ,ममता पुत्रियाँ किशोरी जाति बैश्य पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	872	0.240
		880	0.100
		881	0.459
		882	0.150
41.	धनीराम , राजाराम ,बैजनाथ तनय भैय्यन जाति यादव पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	960	0.110
		961	0.120
42.	नाथूराम ,महेश ,सुन्दर तनय भूरे जाति ब्राह्मण पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	712	1.137
43.	नाथूराम ,महेश ,सुन्दर तनय भूरे ,सुकू पुत्री भूरे ,मैदाबाई वि. भूरे 1/2 भाग भूमि स्वामी गोवर्धन तनय बृजभूषण जाति ब्राह्मण पता नि.ग्राम 1/2 भाग भूमि स्वामी	686	0.120
44.	बृजेन्द्र तनय भैयालाल जाति यादव पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	834	0.714
		842	0.304
		843	0.494
		844	0.870
		845	0.109
		846	0.028
		847	0.154
		848	0.829
		849	0.053
		850	0.154
		852	0.028
		853	0.462
854/1	0.589		
855/1	0.320		
45.	बिन्दावन ,नाथूराम तनय मन्तू 1/8 भाग भूमि स्वामी अंगद ,ज्वाला तनय रामदास 1/4 भाग भूमि स्वामी सहुद्रा ,कमला ,रामप्यारी पुत्रियाँ जशरथ 1/8 भाग भूमि स्वामी मुन्नालाल ,जगदीश ,ओमप्रकाश ,बाबूलाल ,कैलाशचन्द्र तनय लच्छी 1/4 भाग भूमि स्वामी देवकीनन्दन ,राजेन्द्र ,कमलेश ,बद्री तनय किशोरीलाल ,राजकुमारी ,ममता पुत्री किशोरीलाल जाति बैश्य पता नि.ग्राम 1/4 भाग भूमि स्वामी	871/1	0.700
		874	0.030
		875	0.567
		876	0.338
		879	0.037
		884	0.033
		885	0.142
		888/2	0.350

46.	बिहारी ,सुखनन्दी ,त0 तिजुवा माया पुत्री तिजुवा ,हल्कू .त. गज्जू ,मोतीलाल ,शीलचन्द्र ,घनश्याम ,फूलचन्द्र तनय नन्नाई मु. भुमानीबाई बे0 नन्नाई जाति लोधी पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	625 627	0.138 0.020
47.	मोतीलाल ,सुखदीन ,रामसींग तनय कमतू जाति लोधी पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	888/1	0.450
48.	मोहन ,धनीराम ,बैजनाथ तनय भैईयन जाति यादव पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	839 840	0.502 1.189
49.	रामरतन तनय धुन्धा मुलडडू बेबा धुन्धा जाति बाढई 1/4 भाग भूमि स्वामी पार्वती बेबा जमना ,लीलाधर प्रमु ,महेन्द्र तनय जमना जाति बाढई पता नि.ग्राम हि.1/4 भाग भूमि स्वामी परमा तनय विहारी 1/4 भाग हि. जाति बाढई पता नि.ग्राम भूमि स्वामी रामलाल ,दयाराम तनय बसुवा जाति बाढई पता नि.ग्राम1/4 भाग भूमि स्वामी	646 647 648 649 650 651 652 653 654	0.182 0.032 0.194 0.692 0.833 0.194 0.040 0.109 0.500
50.	विन्द्रावन ,नाथूराम तनय मन्लूलाल पता नि.ग्राम 1/4 भाग भूमि स्वामी रामेश्वर तनय विन्द्रावन जाति ब्रा. पता नि.ग्राम 1/4 भाग भूमि स्वामी सीताराम ,राकेश ,जमना तनय ज्वाला मु. लल्लाबाई बे0 ज्वाला जाति ब्रा. पता नि.ग्राम हि.1/4 बराबर भाग भूमि स्वामी सहद्रा ,कमला ,रामप्यारी पुत्री जशरथ जाति ब्राह्मण पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	643 644 645 920 921 922 923 924 939/2/1	0.287 0.040 0.125 0.025 0.113 0.101 0.125 0.146 1.000
51.	बैजनात तनय भइयन जाति यादव पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	939/1	0.162
52.	वटी तनय केशर ,बैनीबाई ,श्यामबाई पुत्री केशर 1/6 मोहनलाल ,धनीराम ,राजाराम ,बैजनाथ तनय भैयन आशाराम ,रामेश्वर तनय नाथूराम 1/6 भाग भूमि स्वामी वटी तनय केशर 1/6भाग भूमि स्वामी जशरथ वालकिशन शीलचन्द्र तनय स्वामी मु0 नन्नीबाई बेबा स्वामी भगवानदास त0 प्राणी रामदयाल काशीराम तनय अच्छेलाल जाति यादव पता नि.ग्राम 1/3 भाग भूमि स्वामी	655	0.030
53.	वटी तनय केशर जाति यादव1/2 भाग भूमि स्वामी अर्जना ,विसन ,सद्दू तनय रगवर जाति चमार पता नि.ग्राम1/2 भूमि स्वामी	863 1085/1171 1087/1175	0.845 0.287 0.090
54.	करई बाई पुत्री बाबू जाति यादव पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	963/1	0.523
55.	कलुवा ,धनीराम ,ग्यासी भागीरथ तनय जमुवा ,बाबा तनय उददेता ,कल्लू बेबा वालकिशन नावा0 रक्खू रामदीन ,रमेश तनय वालकिशन सं0 चाचा बाबा तनय उददेता नावा0 रामसखी ,किलकी पुत्री वालकिशन सं0 चाचा बाबा तनय उददेता 1/4 भाग भूमि स्वामी बृजलाल तनय हरलाल लोधी1/4 भाग भूमि स्वामी छिदू तनय मोती ,फुन्दी गंगा ,मन्नु ,तनय लछुवा ,शान्ति ,हरबू पुत्री लछुवा बैनीबाई वि. लछुवा 1/4 भाग भूमि स्वामी जगदीश ,जगत ,नारायण त0 शिवदयाल ,प्रेमदुलैया वि. शिवदयाल 1/12 भाग भूमि स्वामी मु. सुक्कन वि. हरचरन ,नथू तनय हरचरन 1/12 भाग भूमि स्वामी चन्ना ,मथरा तनय देवी जाति लोधी पता नि. ग्राम 1/12 भाग भूमि स्वामी	836	0.263
56.	भू राजस्व	854/2 855/2	0.321 0.140

57.	बृजलाल मोती रामदीन तनय हरचरन पता नि. ग्राम हि.1/3 भाग भूमि स्वामी बेनीबाई पत्नि गोकल पता नि. ग्राम हि.6/15 भाग भूमि स्वामी पवन रघुवीर चतुर छोटेलाल तनय गोकल पता नि.ग्राम हि. 4/15 भाग भूमि स्वामी	953 954	0.057 0.020
58-	बृजेन्द्र तनय भैयालाल जाति यादव 1/2 भूमि स्वामी वेटी त0 केशर जाति यादव 1/8 भाग भूमि स्वामी अर्जना बिसना सदू जमय रगवर अहिरवार 1/8 भाग भूमि स्वामी मोहनलाल धनीराम राजाराम वैजनाथ तनय भइयन आशाराम रामेश्वर त. नाथूराम मु. फुल्ली बे0 नाथूराम चम्पा पुत्री नाथूराम जाति यादव 1/4 भाग भूमि स्वामी भू राजस्व 8	866	1.505
59	वटी तनय केशर यादव 1/2 भाग भूरा तनय गनपता गडरिया 1/2 भाग पता निवासी ग्रामी भूमिस्वामी	1063 1064 1065 1067/1167	0.101 0.214 0.040 0.206
60	वटी तनय केशर बेनी बाई श्यामबाई पुत्री केशर 1/6 भाग मोहनलाल धनीराम राजाराम वैजनाथ तनय भैयन आशाराम रामेश्वर तनय नाथूराम 1/6 भाग वटी तनय केशर 1/6 भाग जशरथ बालकिशन शीलचन्द तनय स्वामी मु0नन्नीबाई बेबा स्वामी भगवानदास तनय प्रागी रामदयाल काशीराम तनय अच्छेलाल यादव 1/3भाग	1066	0.065
61	विन्दावन, नाथूराम तनय मन्नु लाल 1/4 भाग, रामेश्वर त0 विन्दावन ब्राह्मण 1/4 भाग, सीताराम राकेश जमना तनय ज्वाला मु. लल्लाबाइ बेवा ज्वाला ब्राह्मण 1/4 बराबर भाग सहुद्रा कमला रामप्यारी पुत्री जसरथ जाति ब्राह्मण पता-नि0ग्राम भूमि स्वामी	917/1	0.200
62	कलुवा धनीराम ग्यासी भागीरथ तनय जमुवा, बाबा तनय उददेता, कल्लू बेवा बालकिशन, नाबा0 रक्खूं रामदीन रमेश तनय बालकिशन सं0 चाचा बाबा तनय उददेता, नाबा0रामसखी किलकी पुत्री बालकिशन सं0 चाचा बाबा तनय उददेता 1/4 भाग भूमि स्वामी बृजलाल तनय हरलाल लोधी 1/4 भाग छिदू तनय मोती फुन्दीगंगा, मन्नु तनय लछुवा, शांति हरबू पुत्री लछुवाबैनीबाई वि.लछुवा 1/4 भाग भूमि स्वामी जगदीश, जगत, नारायण तनय शिवदयाल, प्रेमदुलैया वि. शिवदयाल 1/12 भाग भूमि स्वामी मु.सुककन वि.हरचरन नथू तनय हरचरन 1/12 भाग भूमि स्वामी चन्ना, मथरा तनय देवी जाति लोधी पता नि. ग्राम 1/12 भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.75	822/1182	0.020
	योग	165	45.689 हे.

- बान सुजारा बांध के डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि ग्राम डिकौली चक-2 के भू-अर्जन के लिए भूमि की आवश्यकता है।
- भूमि के नक्से (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) टीकमगढ़ में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रियंका दास, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग जिला राजगढ़ (ब्यावरा) म.प्र.

—: अनुसूची :-

कमांक /भू-अर्जन/2015 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (3) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (4) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण कमांक /अ-82/2013-2014 चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम चौकी के लिए डूब क्षेत्र में शेष वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूँकि मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना का निर्माण पूर्व से चल है एवं इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

—: अनुसूची (1) :-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम चौकी

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर
(1)	(2)	(3)
1	चौकी	10.395
कुलयोग :-		10.395

—: अनुसूची (2) :-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम चौकी

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	कुल प्रभावित भूमि हे.में
1	2	3	4	7
1	गंगाराम पिता देवीराम जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी	3/1/3 ✓ 13/1/3 ✓ 13/2/2 ✓	0.023 0.064 0.127	0.023 0.064 0.127
	योग	3	0.214	0.214
2	चैनसिंह, घीसालाल पिता गोपी जाति लोड़ा निवासी ग्राम भू-स्वामी	13/2/1	0.128	0.128
	योग	1	0.128	0.128
3	रामचरण पिता देवीलाल जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी	32/160/2/1/3	0.499	0.499
	योग	1	0.499	0.499
4	मोड़सिंह, रामप्रसाद, सुन्दरबाई, पारवतीबाई, हरकुबाई, गुलाबबाई, नोरंगबाई, रमकूबाई पिता पूरा जाति लोड़ा निवासी ग्राम भू-स्वामी	73/3/1	3.128	3.128
	योग	1	3.128	3.128

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	कुल प्रभावित भूमि हे.में
1	2	3	4	7
5	रूपाबाई बेवा मानसिंह जाति लोड़ा निवासी ग्राम भू-स्वामी	73/3/2	0.237	0.237
	योग	1	0.237	0.237
6	रामचन्द्र पिता नन्दराम जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी	131/2	1.265	1.265
		104/1/7	0.100	0.100
	योग	2	1.365	1.365
7	बापूलाल पिता गिरधारी जाति लोड़ा निवासी ग्राम भू-स्वामी	107/2	0.055	0.055
	योग	1	0.055	0.055
8	हजारी, रामचन्द्र, केशरबाई, गुलाबबाई, प्रेमबाई पिता नंदा मु.रोशनीबाई बेवा नंदा जाति लोड़ा नि ग्राम भू-स्वामी	112	0.013	0.013
	योग	1	0.013	0.013
9	धनसिंह, प्रेमनारायण, जगदीश पिता पन्नालाल जाति अहिर निवासी ग्राम भू-स्वामी	152/2	1.581	1.581
		152/3	0.506	0.506
		152/4	0.885	0.885
	योग	3	2.972	2.972
10	रंगलाल पिता बापूलाल जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी	154/1	0.477	0.477
	योग	1	0.477	0.477
11	पर्वतसिंह पिता बजेसिंह जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी	154/2	0.475	0.475
	योग	1	0.475	0.475
12	रामप्रसाद पिता गिरधारी जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी	154/3	0.475	0.475
	योग	1	0.475	0.475
13	बनेसिंह पिता गिरधारी जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी	126/2	0.100	0.100
	योग	1	0.100	0.100
14	जगदीश पिता करणसिंह जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी	152/1/3	0.027	0.027
	योग	1	0.027	0.027
15	बजेसिंह पिता गोरधन जाति लोड़ा नि.ग्राम भू-स्वामी	34/1	0.007	0.007
	योग	1	0.007	0.007
16	नरसंग पिता सालगराम जाति दांगी निवासी ग्राम भू-स्वामी	8/1/1	0.009	0.009
	योग	1	0.009	0.009
17	रामप्रसाद पिता छोटेलाल	32/160/2/3	0.214	0.214
	योग	1	0.214	0.214
कुलयोग :-		22	10.395	10.395

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

10934
13/01/2017

—: अनुसूची :-

कमांक /भू-अर्जन/2015-16 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (3) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (4) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण कमांक /अ-82/2013-2014 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में मोहनपुरा वृहद बहुउद्देशीय परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम कराडिया के लिए डूब क्षेत्र में शेष वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि मोहनपुरा वृहद बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण पूर्व से चल है एवं इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

—: अनुसूची (1) :-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम कराडिया

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर	प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)
1	शेष भूमि	13.187	मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण
कुलयोग :-		13.187	

अनुसूची (2)

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम कराडिया

स.क्र.	नाम / पिता का नाम	सर्वे नं.	रकबा	कुल प्रभावित भूमि हे. में
1	2	3	4	4
1	भंवरलाल, कमलसिंह पिता गोरीलाल जाति बंजारा	31/1/1	0.360	0.360 ✓
		33/2	0.013	0.013 ✓
		47/7/1	0.379	0.379 ✓
	योग	3	0.752	0.752 ✓
2	कालू पिता मानसिंह जाति बंजारा	31/1/2	0.036	0.036 ✓
		33/1	0.013	0.013 ✓
		47/7/2	0.380	0.380 ✓
		3	0.429	0.429 ✓
3	भंवरबाई पिता भागीरथ जाति बंजारा	31/2	0.010	0.010 ✓
		1	0.010	0.010 ✓

4	रोडया, जमनीबाई, गंदीबाई पिता अमरा जाति बंजारा	34	0.038	0.038 ✓
		36	0.013	0.013 ✓
		2	0.051	0.051 ✓
5	सैयद राहत अली पिता सैयद रहमत अली जाति मुसलमान नि.ग्राम राजगढ	37/2	0.104	0.104 ✓
		3	0.104	0.104 ✓
6	भंवरलाल पिता गोरीलाल, सीताबाई पिता गोरीलाल, मीराबाई बेवा गोरेलाल जाति बंजारा	37/6	0.100	0.100
		1	0.100	0.100
7	रूगनाथ पिता हरचंद जाति भोई नि.ग्रम भू स्वामी	47/6/2	0.068	0.068
		1	0.068	0.068
8	मोहन पिता हरचंद जाति भोई	40/7	0.019	0.019
		1	0.019	0.019
9	श्रीमति नजमा हाजमी पति सैयद मोहम्मद अली जाति मुसलमान	43	2.206	2.206
		1	2.206	2.206
10	तेजसिंह, मानसिंह पिता हनुमंतसिंह जाति राजपूत	44/4	0.085	0.085
		1	0.085	0.085
11	उदा पिता चुन्नीलाल जाति भोई	44/8	0.095	0.095
		1	0.095	0.095
12	सालगराम पिता चुन्नीलाल जाति भोई	44/9	0.041	0.041
		1	0.041	0.041
13	लक्ष्मीनारायण पिता पूरालाल जाति कुम्हार	44/10/1	0.282	0.282
		1	0.282	0.282
14	भागीरथ पिता पूरालाल जाति कुम्हार	44/10/2	0.318	0.318
		1	0.318	0.318
15	जगन्नाथ पिता हरचंद जाति भोई	45/2	0.425	0.425
		47/6/1	0.203	0.203
		2	0.628	0.628
16	लक्ष्मीनारायण पिता हरचंद जाति भोई	45/3	0.183	0.183
		47/6/3	0.068	0.068
		2	0.251	0.251
17	गोकुल पिता हरचंद जाति भोई	45/4	0.183	0.183
		47/6/4	0.068	0.068
		2	0.251	0.251

18	रामनाथ पिता हरचंद जाति भोई	45/5	0.466	0.466
		47/6/5	0.260	0.260
		2	0.726	0.726
19	विक्रमसिंह पिता भंवरलाल जाति राजपूत	47/2/1	0.127	0.127
		47/1/2	1.265	1.265
		2	1.392	1.392
20	भगवानसिंह पिता भंवरलाल जाति राजपूत	47/2/2	0.126	0.126
		1	0.126	0.126
21	तंवरलाल पिता भंवरलाल जाति राजपूत	47/2/3	0.126	0.126
		1	0.126	0.126
22	केशरसिंह पिता कालूसिंह जाति राजपूत	47/3/1	0.059	0.059
		265/5	0.493	0.493
		2	0.552	0.552
23	भगवतसिंह पिता कालूसिंह जाति राजपूत	265/4	0.493	0.493
		47/3/4	0.058	0.058
		161/5	0.010	0.010
		3	0.561	0.561
24	भंवरलाल पिता कालूसिंह जाति राजपूत	47/3/2	0.058	0.058
		69/2	0.099	0.099
		129/5	0.015	0.015
		171/5	0.008	0.008
		4	0.180	0.180
25	रामनाथसिंह पिता कालूसिंह जाति राजपूत	47/3/3	0.058	0.058
		181/3	0.036	0.036
		155/1	0.005	0.005
		69/3	0.099	0.099
		143/3	0.011	0.011
		5	0.209	0.209
26	मोतीसिंह पिता कालूसिंह जाति राजपूत	47/3/5	0.058	0.058
		241/3	0.268	0.268
		2	0.326	0.326
27	अनोखबाई पति लक्ष्मीनारायण जाति अहीर	47/4	1.012	1.012
		1	1.012	1.012
28	देवीसिंह पिता रामप्रसाद व रेशमबाई बेवा रामप्रसाद जाति लोडा	47/8	0.380	0.380
		1	0.380	0.380
29	बापूलाल पिता शंकरलाल जाति कुम्हार	47/13	0.380	0.380
		1	0.380	0.380

30	मदनलाल पिता किशोर व धापूबाई बेवा किशोर जाति भोई	48	0.177	0.177
		1	0.177	0.177
31	सोमनाथसिंह, राजपालसिंह पिता बजरंगसिंह, विष्णुकुंवर बेवा बजरंगसिंह जाति राजपूत	49	1.003	1.003
		1	1.003	1.003
32	गोरधनसिंह पिता प्यारसिंह जाति राजपूत	68/3/2	0.023	0.023
		1	0.023	0.023
33	अन्तरसिंह पिता प्यारसिंह जाति राजपूत	68/3/3	0.023	0.023
		1	0.023	0.023
34	लक्ष्मणसिंह पिता प्यारसिंह जाति राजपूत	68/3/4	0.023	0.023
		1	0.023	0.023
35	रघुवीरसिंह पिता करणसिंह जाति राजपूत	168	0.025	0.025
		1	0.025	0.025
36	कुमेरसिंह पिता सरदारसिंह जाति राजपूत	60/10	0.253	0.253
		1	0.253	0.253
	कुलयोग :-	57	13.187	13.187

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्रकरण क्रमांक /अ-82/2015-2016

राजगढ़ दिनांक 11/10

24/01/17

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ के ग्राम कराड़िया के लिए डूब में शेष प्रभावित मकान हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि आबादी की भूमि सर्वे न. 22 रकबा 0.177 हेक्टेयर, सर्वे न. 27/1/2 रकबा 0.101, सर्वे न. 27/1/3 रकबा 0.101, सर्वे न. 156 रकबा 0.051, सर्वे न. 232 रकबा 0.013 एवं सर्वे न. 27/3/1 रकबा 0.250 पर स्थित परिसम्पत्ति निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

—: अनुसूची :—

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित मकान :- ग्राम कराड़िया

स.क्र.	आबादी का विवरण हे.में.		नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	मकान नम्बर	अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
	आबादी के सर्वे नं.	कुल रकबा			
1	2	3	4		5
1			शंकरलाल पिता मन्नालाल जाति तंवर	29	72.800 ✓
2			बद्रीलाल, राधेश्याम पिता रतनलाल जाति प्रजापति	115	140.460 ✓
3			फूलसिंह पिता गोरीलाल जाति बंजारा	133	15.000 ✓
योग :-					228.260 ✓
				या (हे.में)	0.023

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्रकरण क्रमांक /अ-82/2015-2016

राजगढ़ दिनांक 24/01/17

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ के ग्राम लाड़नपुर के लिए डूब में प्रभावित मकान हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि आबादी की भूमि सर्वे न. 209 रकबा 0.885 हे., सर्वे न. 282/2 रकबा 0.569 हे. , सर्वे न. 282/4 रकबा 1.000 हे., सर्वे न. 284/1 रकबा 0.759 हे., सर्वे न. 206/2 रकबा 0.013 हे. एवं सर्वे न. 205/3 रकबा 0.013 हे. पर स्थित परिसम्पत्ति निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

-: अनुसूची :-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित मकान :- ग्राम लाड़नपुर

स.क्र.	आबादी का विवरण हे.में.		नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	मकान नम्बर	अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
	आबादी के सर्वे नं.	कुल रकबा			
1	2	3	4		5
1	209	0.885	राधेश्याम पिता घीसालाल बलराम पिता चंदर, गिरराज पिता घीसालाल	1	332.280
2			प्रहलादसिंह पिता भंवरलाल	2(A)	20.610
3			रमेश पिता जालमसिंह	2/(B)	141.400
4			प्रेमनारायण पिता जालमसिंह	2/(C)	102.410
5			राधेश्याम पिता जालमसिंह	2/(D)	94.090
6			दुधारसिंह पिता जालमसिंह	2/(E)	113.210
7			रेवाराम पिता मांगीलाल	3/1	145.690
8			शौभाराम पिता मांगीलाल	3/2	145.690
9			बलराम पिता मांगीलाल	3/3	145.690
10			लालसिंह पिता मुन्नालाल	4	127.220
11			छोगमल पिता मुन्नालाल	5	119.510
12			हरीनारायण पिता मुन्नालाल	6	111.340
13			शंकरलाल पिता मुन्नालाल	7	115.240
14			शिवनारायण पिता मुन्नालाल	8/1	77.860
15			देवनारायण पिता शिवनारायण	8/2	59.620
16			विजयसिंह पिता मुन्नालाल	9	116.010

17			भंवरलाल पिता भागमल	10	✓ 293.950			
18			जीतमल पिता भागमल	11	✓ 276.550			
19			मांगीलाल पिता नंदराम	12	✓ 139.040			
			बलराम पिता मांगीलाल					
योग :-					✓ 2677.410			
20	206/2	0.013	दिनेश पिता नरसिंहलाल	13	✓ 130.720			
योग :-					✓ 130.720			
21	205/3	0.013	भारतसिंह पिता मोकमसिंह	16	✓ 118.840			
योग :-					✓ 118.840			
22	284/1	0.759	रतीराम पिता नंदराम	14	✓ 274.240			
			लक्ष्मीनारायण पिता रतीराम					
			धीरष पिता रतीराम					
			पूनम पिता रतीराम					
			बाबू पिता रतीराम					
			23			हेमराज पिता मोकमसिंह	15	✓ 204.490
			24			इंदरसिंह पिता पर्वतसिंह	17	✓ 116.690
			25			अनोखसिंह पिता पर्वतसिंह	18	✓ 114.220
			26			विपतसिंह पिता रतनसिंह	19/1	✓ 114.240
			27			हरकूवर पुत्री विपतसिंह पत्नि उदमसिंह	19/2	✓ 43.520
			28			सुंदरसिंह पिता रतनसिंह	19/3	✓ 58.600
			29			आजादसिंह पिता विपतसिंह	19/4	✓ 41.360
			30			रघुनंदन पिता शिवनारायण	20	✓ 40.800
			31			हरिसिंह पिता कोकसिंह	21/1	✓ 112.360
			32			प्रहलादसिंह पिता हरिसिंह	21/2	✓ 58.770
			33			तंवरलाल पिता विजयसिंह	22/1	✓ 71.140
			34			राजेन्द्रसिंह पिता विजयसिंह	22/2	✓ 120.810
			35			भगवतसिंह पिता विजयसिंह	22/3	✓ 97.110
			36			विजय पिता उमरावसिंह	22/4	✓ 78.760
			37			खुमानसिंह पिता हरिसिंह	23	✓ 45.480
			38			लाखनसिंह पिता अनारसिंह	24	✓ 227.180
			39			पप्पूसिंह पिता अनारसिंह	25	✓ 161.780
40			किशन पिता हरिसिंह	60	✓ 80.980			
41			जगदीश पिता हरिसिंह	76/1	✓ 76.860			

42			दीपसिंह पिता जगदीशसिंह	76/2	✓ 82.950	
43			नारायण पिता कालुराम	77/1	✓ 36.670	
44			रामकृष्ण पिता नारायणसिंह	77/2	✓ 36.670	
45			सुरेन्द्र पिता नारायणसिंह	77/3	✓ 36.670	
46			शांताबाई बेवा लालसिंह	77/4	✓ 69.840	
47			प्रभुलाल पिता घीसालाल	78/1	✓ 179.930	
48			जयराम पिता शंभूलाल	78/2	✓ 52.920	
49			घनश्याम पिता शंभूलाल	78/3	✓ 52.920	
50			फूलसिंह पिता शंभूलाल	78/4	✓ 52.920	
51			बापूलाल पिता शंभूलाल	78/5	✓ 76.920	
52			डोमसिंह पिता रामलाल	79	✓ 42.190	
53			प्रेमसिंह पिता ग्यारसीराम	80/1	✓ 73.790	
54			संतोष पिता प्रेमसिंह	80/2	✓ 73.790	
55			ग्यारसीराम पिता घीसालाल	81/1	✓ 86.480	
56			रामबाबू पिता ग्यारसीराम	81/2	✓ 111.660	
57			मदन पिता प्रभुलाल	82	✓ 84.330	
58			कालूराम पिता प्रभुलाल	83/1	✓ 64.620	
59			देवकरण पिता कालूराम	83/2	✓ 64.620	
60			रतनलाल पिता जयराम	84	✓ 33.250	
योग :-					✓ 3452.530	
61	282/4	1.000	हिन्दुसिंह पिता उमरावसिंह	26	✓ 247.900	
62			कमलसिंह पिता रामसिंह	27	✓ 74.350	
63			मोहनसिंह पिता भेरूसिंह	28	बाबूसिंह पिता मोहनसिंह	✓ 135.500
			शिवराजसिंह पिता मोहनसिंह			
			कालूसिंह पिता देवीसिंह			
64			मनोहरसिंह पिता देवीसिंह	29	राजकुंवर पिता जगदीशसिंह	✓ 301.720
			सूरजसिंह पिता अनारसिंह			
65			गोरधनसिंह पिता उमरावसिंह	30	✓ 116.960	
66			प्रेमसिंह पिता उमरावसिंह	31	✓ 59.550	
67			भंवरलाल पिता प्रेमसिंह	32/1	✓ 112.270	
68			कमलसिंह पिता उमरावसिंह	32/2	✓ 91.850	
69			श्रीनाथ पिता प्रेमसिंह	32/3	✓ 84.870	
70					32/4	✓ 80.800

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

कुमेर पिता अर्जुनसिंह	33/1	/ 76.990
देवराजसिंह पिता कुमेरसिंह	33/2	/ 40.920
रामनारायण पिता बापूलाल	34/1	/ 159.420
शिवनारायण पिता रामनारायण	34/2	/ 196.360
खुशीलाल पिता कन्हैयाराम	35/1	/ 119.460
नारायणसिंह पिता खुशीराम	35/2	/ 123.760
रूगनाथ पिता खुशीलाल	35/3	/ 136.360
प्रभुलाल पिता कनीराम	36/1	/ 166.680
गंगाधर पिता प्रभुलाल	36/2	/ 135.250
जीतमल पिता प्रभुलाल	36/3	/ 141.100
घीसीबाई बेवा पन्नालाल	37	/ 120.360
देवनारायण पिता पन्नालाल		
भंवरलाल पिता कनीराम	38/1	/ 34.930
रतीराम पिता भंवरलाल	38/2	/ 114.010
प्यारसिंह पिता भीमसिंह	39	/ 84.350
दिलीपसिंह पिता अर्जुनसिंह	40/1	/ 96.300
जशरथसिंह पिता दिलीपसिंह	40/2	/ 59.650
अर्जुनसिंह पिता मोहरसिंह	40/3	/ 22.950
कृष्णापालसिंह पिता कुमेरसिंह	40/4	/ 11.360
हिम्मतसिंह पिता भीमसिंह	41/1	/ 85.100
रूपकुंवर बेवा भीमसिंह	41/2	/ 17.400
गोपालसिंह पिता भीमसिंह	42	/ 83.060
करणसिंह पिता भीमसिंह	43/1	/ 44.400
ईश्वरसिंह पिता करणसिंह	43/2	/ 46.080
रघुवीरसिंह पिता भीमसिंह	44/1	/ 35.890
शिवराजसिंह पिता रघुवीरसिंह	44/2	/ 28.540
राजेन्द्रसिंह पिता रघुवीरसिंह	44/3	/ 119.040
मांगीलाल पिता घीसालाल	45/1	/ 108.680
रामचंदर पिता मांगीलाल	45/2	/ 108.680
छोटेराल पिता गोपीलाल	46/1	/ 57.570
गोपीलाल पिता उम्मेदराम	46/2	/ 67.710
भोनजी पिता कनीराम	47/1	/ 16.380
सम्पतबाई बेवा घीसालाल	47/2	/ 31.110
राधेश्याम पिता घीसालाल	47/3	/ 78.000

104	रामरतन पिता घीसालाल	47/4	/ 64.240
105	भंवरलाल पिता घीसालाल	47/5	/ 51.140
106	धनराज पिता घीसालाल	47/6	/ 31.200
107	बापूलाल पिता प्यारजी	48/1	/ 73.350
108	चैनसिंह पिता प्यारजी	48/2	/ 77.350
109	नारायणसिंह पिता प्यारजी	48/3	/ 80.600
110	बंशीलाल पिता प्यारजी	48/4	/ 54.970
111	धीरपसिंह पिता प्यारजी	48/5	/ 47.910
112	फूलसिंह पिता प्यारजी	48/6	/ 25.170
113	राकेश पिता धीरपसिंह	48/7	/ 34.400
114	केशरबाई बेवा प्यारजी	48/8	/ 14.680
115	मांगीलाल पिता उम्मेदसिंह	49	/ 75.980
116	मोतीलाल पिता गोपीलाल	50/1	/ 40.830
117	नौरंगबाई पिता गोपीलाल	50/2	/ 62.330
118	छोटूलाल पिता गोपीलाल	51	/ 47.730
119	बीरम पिता गोपीलाल	52	/ 44.140
120	छगनलाल पिता भागमल	53	/ 176.980
121	दरयावसिंह पिता भागमल	54/1	/ 95.360
122	नानजी पिता मुन्नालाल	54/2	/ 67.270
123	बिहारीलाल पिता जगन्नाथ	55/1	/ 28.220
124	राधेश्याम पिता बिहारीलाल	55/2	/ 35.910
125	गजराज पिता जगन्नाथ	55/3	/ 69.830
126	भारतसिंह पिता जगन्नाथ	55/4	/ 81.210
127	प्रेमसिंह पिता जगन्नाथ	55/5	/ 27.200
128	रामनारायण पिता प्रेमनारायण	55/6	/ 58.550
129	रामबाबू पिता बद्रीलाल	56/1	/ 90.220
130	तुलाराम पिता बद्रीलाल	56/2	/ 85.960
131	जानीबाई बेवा जगन्नाथ	56/3	/ 28.500
132	घीसालाल पिता बंशीलाल	57/1	/ 360.430
	चंदरसिंह पिता बंशीलाल		
	कालूराम पिता बंशीलाल		
133	देवचंद पिता किशनलाल	57/2	/ 169.520
134	एलकार पिता बिहारीलाल	58/1	/ 171.010
135	रामस्वरूप पिता प्रेमनारायण	58/2	/ 144.910
योग :-			/ 6590.720

136	282/2	0.569	देवराजसिंह पिता गोरधन	59/1	89.470
137			गेंदकुंवर पिता गोरधन पति जितेन्द्रसिंह	59/2	106.160
138			नानूराम पिता मिश्रीलाल	61/1	52.610
139			श्यामलाल पिता नानूराम	61/2	52.610
140			शोभाराम पिता मुन्नालाल	62	124.310
141			बहादुर पिता गोपीलाल	63/1	55.050
142			गोपीलाल पिता मुन्नालाल	63/2	59.770
143			जगदीश पिता गोपीलाल	64	96.720
144			चंदरसिंह पिता तेजसिंह	65	59.960
145			चतरसिंह पिता मांगीलाल	66	58.560
146			मांगीलाल पिता मुन्नालाल	67	99.750
147			बलराम पिता मांगीलाल	68	60.950
148			तेजसिंह पिता मुन्नालाल	69	299.190
149			कनीराम पिता मुन्नालाल	70/1	205.160
150			फूलसिंह पिता कनीराम	70/2	111.380
151			नारायण पिता कनीराम	71	112.430
152			गुलाबसिंह पिता गोपीलाल	72	74.500
153			प्रभुलाल पिता गोपीलाल	73	53.470
154			बजेसिंह पिता मांगीलाल	74	85.990
155			लक्ष्मण पिता विजयसिंह	75	24.790
योग :-					1882.830
कुल योग :-					14853.050
					या (हे.मै) 1.485

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

11108

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ के ग्राम मांजरीखो के लिए डूब में शेष प्रभावित मकान हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि आबादी की भूमि सर्वे न. 48 रकबा 0.252 हेक्टेयर पर स्थित परिसम्पत्ति निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

:- अनुसूची :-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित मकान :- ग्राम मांजरीखो

स.क्र.	आबादी का विवरण हे.मै.		नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	मकान नम्बर	अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
	आबादी के सर्वे नं.	कुल रकबा			
1	2	3	4	5	5
1	48	0.252	देवी सिंह पिता गोपीलाल जाति तंवर	10 स	38.610
				23 अ	27.850
2			कन्हैयालाल पिता मांगीलाल जाति तंवर	23 ब	27.850
				23 स	27.850
				23 द	27.850
				27 इ	27.850
3		लाल सिंह पिता देवचन्द्र जाति तंवर	37 स	88.330	
योग	0.252			266.190	
					या (हे.मै) 0.027

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्रकरण क्रमांक 11113/अ-82/2015-2016

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ के ग्राम समेली के लिए डूब में शेष प्रभावित मकान हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि आबादी की भूमि सर्वे नं. 230/1/2 रकबा 1.000 हेक्टेयर, सर्वे नं. 167/4 रकबा 1.341 एवं सर्वे नं. 199 रकबा 0.038 हेक्टेयर पर स्थित परिसम्पत्ति निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

-: अनुसूची :-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित मकान :- ग्राम समेली

स.क्र.	आबादी का विवरण हे.में.		नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	मकान नम्बर	अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
	आबादी के सर्वे नं.	कुल रकबा			
1	2	3	4		5
1	230/1/2	1.000 ✓	लक्ष्मीनारायण पिता स्व. श्री देवाजी जाति रुहेला	03	168.210
2			बेवा नानू बाई पत्नि स्व. श्री देवाजी जाति रुहेला		
3			रामचन्द्र पिता श्री अमरसिंह जाति प्रजापति	04	334.400
4			गिरराज पिता श्री रामचन्द्र जाति प्रजापति		
5			घनश्याम पिता श्री भेरू सिंह जाति प्रजापति	05	162.540
6			अयोध्या बाई पति नागूजी जाति बेलदार	06	34.460
7			बेवा सम्पत बाई पति स्व. किशनलाल जाति बेलदार	07	59.200
8			भागचन्द पिता श्री नंदराम जाति सेन	08	155.600
9			गौतम पिता श्री भागचन्द जाति सेन	8/1	92.750
10			महेश पिता श्री प्रेम जाति धनगर	09	136.050
11			रामनरेश पिता श्री गोपीलाल जाति धनगर	10	320.320
12			गोपीलाल पिता भंवरलाल जाति धनगर		
13			बजेसिंह पिता श्री गोपीलाल जाति धनगर	10/1	242.720
14			भारत पिता श्री बजेसिंह जाति धनगर		
15			इन्दरनाथ सिंह पिता श्री सरदारनाथ जाति कालबेलिया	11	242.910
16			मोरम बाई पति कालूनाथ जाति कालबेलिया	12	117.100
17			कमल पिता कालूनाथ जाति कालबेलिया		

18	बेवा भंवरी बाई पति स्व. भीमानाथ जाति कालबेलिया	13	67.090
19	नाथूलाल पिता श्री जयसिंह जाति कालबेलिया	14	47.000
20	अर्जुन पिता नाथूलाल जाति कालबेलिया		
21	जीतेन्द्र पिता श्री बीरमनाथ जाति कालबेलिया	15	44.280
22	बेवा सूरज बाई पति स्व. श्री जुझारनाथ जाति कालबेलिया		85.400
23	बीरम नाथ पिता श्री जुझारनाथ जाति कालबेलिया	16	54.560
24	होकम नाथ पिता श्री सरदार नाथ जाति कालबेलिया	17	99.520
25	राकेश पिता होकम नाथ जाति कालबेलिया		
26	सरदारनाथ पिता श्री जगन्नाथ जाति कालबेलिया	18	67.980
27	कमलनाथ पिता श्री कालूराम जाति कालबेलिया	19	57.500
28	बजेसिंह पिता श्री गोपीलाल जाति धनगर	20	40.670
29	रामनरेश पिता गोपीलाल जाति धनगर	20/1	40.670
30	प्रेमनारायण पिता श्री गोपीलाल जाति धनगर	21	78.800
31	सोनू पिता प्रेमनारायण जाति धनगर		
32	बलराम पिता श्री प्रभूलाल जाति धनगर	168	134.590
33	बापूलाल पिता श्री दोलाजी जाति धनगर	168/1	134.600
34	अमरसिंह पिता श्री बापूलाल जाति धनगर		
35	राजेन्द्र पिता श्री अमरसिंह जाति धनगर		
36	शिवलाल पिता श्री किशनलाल जाति धनगर	168/2	134.600
37	रामबाबू पिता श्री शिवलाल जाति धनगर		
38	बनवारी पिता श्री शिवलाल जाति धनगर		
39	केशरसिंह पिता श्री हजारीलाल जाति धनगर	168/3	134.600
40	अनोख सिंह पिता श्री केशर सिंह जाति धनगर		
41	रामचन्द्र पिता श्री केशरसिंह जाति धनगर		
42	आनंदी पिता श्री केशरसिंह जाति धनगर		

43			पूनमचंद पिता श्री लक्ष्मण सिंह जाति धनगर		
44			अखिलेश पिता श्री पूनमचंद जाति धनगर	168/4	134.600
45			ओमप्रकाश पिता श्री पूनमचंद जाति धनगर		
46			बेवा रोड़ी बाई पति स्व. श्री लक्ष्मण संह जाति धनगर		
47			जगदीश पिता श्री धूलजी जाति साहू		
48			राजन्द्र पिता श्री अमरसिंह जाति धनगर	170	38.000
49			जसमन पिता श्री प्रभूलाल जाति धनगर	171	151.470
50			देव बाई पति स्व. रतिराम जाति रुहेला	172	29.250
51			राधेश्याम पिता प्रभूलाल जाति चमार	173	26.580
52			कसो बाई पति प्रभूलाल जाति चमार	173/1	26.590
53			गंगाप्रसाद शर्मा पिता मदनलाल शर्मा	174	156.100
54			राहुल पिता श्री रमेश जाति रुहेला	175	378.060
55			गिरजा बाई पति श्री रमेश जाति रुहेला	175/1	104.940
56			बद्रीलाल पिता श्री गोपीलाल जाति धनगर	22	231.250
योग :-					4757.830
57	167/4	1.341 ✓	संजय पिता श्री बद्रीलाल जाति धनगर	23	156.960
58			रामचन्द्र पिता श्री गिरधारीलाल शर्मा जाति ब्राह्मण	24	129.870
59			राजेश पिता रामचन्द्र शर्मा जाति ब्राह्मण		
60			गिरराज पिता रामचन्द्र जाति ब्राह्मण		
61			अशोक पिता गिरधारी जाति ब्राह्मण	25	29.760
62			बेवा कमला बाई पति स्व. श्री गिरधारीलाल जाति ब्राह्मण		
63			सुमित्रा पति रामचन्द्र शर्मा जाति ब्राह्मण		
64			राजेन्द्र पिता श्री अमरसिंह जाति धनगर	26	90.040
65			अमरसिंह पिता श्री बापूलाल जाति धनगर	170	38.000
66			छगनलाल पिता श्री पन्नलाल जाति रुहेला	26/1	129.620
67			लखन पिता श्री धूलजी जाति साहू	27	52.480
68			धूलजी पिता श्री गंगाधर जाति साहू	28	70.790
69			लक्ष्मीनारायण पिता श्री गंगाधर जाति साहू	29	130.700
70			कुमेर सिंह पिता श्री शिवसिंह जाति सौंधिया	30	116.600
71			सत्यनारायण पिता श्री कुमेर सिंह जाति सौंधिया	31	27.340
72			विष्णु पिता श्री कुमेर सिंह जाति सौंधिया		
73			नेनसिंह पिता कुमेरसिंह जाति सौंधिया		
74			पूजा पूत्री श्री कुमेरसिंह जाति सौंधिया		

75	रामनारायण पिता श्री शिवसिंह जाति सौंधिया	31/1	27.340
76	गोरधन पिता रामनारायण जाति सौंधिया		
77	रोड़जी पिता श्री रामनारायण जाति सौंधिया	31/2	27.340
78	प्रेमनारायण पिता श्री शिवसिंह जाति सौंधिया		
79	लखन सिंह पिता प्रेमनारायण जाति सौंधिया	31/3	27.330
80	राहुल पिता प्रेमनारायण जाति सौंधिया		
81	नरबदा बाई पूत्री श्री प्रेमनारायण जाति सौंधिया		
82	नंदकिशोर पिता श्री गंगाप्रसाद शर्मा	32	72.050
83	ओमप्रकाश पिता श्री गंगाप्रसाद शर्मा	33	52.080
84	दिनेश पिता श्री गंगाप्रसाद शर्मा	33/1	52.080
85	राधेश्याम पिता बापूलाल जाति रूहेला	34	302.400
86	अमरसिंह पिता प्यार जी जाति रूहेला		
87	रामस्वरूप सिंह पिता अमरसिंह जाति रूहेला	35	218.880
88	छगनलाल पिता गंगाराम जाति रूहेला	36	76.230
89	रामचरण पिता भंवरलाल जाति प्रजापति	37	149.800
90	कमलसिंह पिता भंवरलाल जाति प्रजापति	37/1	149.800
91	मांगीलाल पिता गंगाराम रूहेला	38	67.640
92	अमृतलाल पिता गंगाराम रूहेला	38/1	67.640
93	रमेश पिता मांगीलाल रूहेला	39	149.280
94	मांगीलाल पिता शालिगराम रूहेला	39/1	30.000
95	जगदीश पिता बद्रीलाल रूहेला	40	81.800
96	बद्रीलाल पिता हीरालाल रूहेला	40/1	81.800
97	विष्णुप्रसाद पिता श्री बिहारी लाल जाति प्रजापति	41	45.230
98	कँवरलाल पिता श्री जगन्नाथ प्रजापति		
99	राहुल पिता श्री कँवरलाल प्रजापति	42	63.180
100	रवि पिता श्री कँवरलाल प्रजापति		
101	बिहारी लाल पिता श्री नन्दराम प्रजापति		
102	ममता बाई पिता श्री बिहारीलाल जाति प्रजापति	43	178.990
103	रामबाबू पिता श्री रेवाराम जाति प्रजापति	44	68.800
104	राकेश पिता श्री रेवाराम जाति प्रजापति	44/1	33.540
105	खूबचंद पिता श्री रेवाराम जाति प्रजापति	44/2	33.540

106	बेवा भंवरी बाई पति स्व. श्री लक्ष्मणप्रसाद जाति प्रजापति	44/3	96.000
107	भेरूसिंह पिता श्री प्रभूलाल जाति प्रजापति	45	91.800
108	रामबाबू पिता श्री भेरूसिंह जाति प्रजापति		
109	जगदीश पिता श्री प्रभूलाल जाति प्रजापति	46	95.560
110	बृजमोहन पिता श्री नारायण सिंह जाति प्रजापति	47	65.330
111	लखन पिता श्री नारायण सिंह जाति प्रजापति	47/1	65.330
112	दिनेश सिंह पिता श्री भागीरथ जाति प्रजापति	48	67.900
113	भगवान सिंह पिता श्री भागीरथ जाति प्रजापति	48/1	67.900
114	विह्वल पिता श्री अमरसिंह जाति प्रजापति	49	86.400
115	प्रकाश पिता श्री कैलाश जाति प्रजापति	50	42.460
116	जितेन्द्र पिता श्री कैलाश जाति प्रजापति	50/1	42.460
117	हरीसिंह पिता श्री भंवरलाल जाति प्रजापति	51	63.510
118	रामचरण पिता श्री भंवरलाल जाति प्रजापति	51/1	102.840
119	भेरूसिंह पिता श्री रामचरण जाति प्रजापति		
120	छगनलाल पिता श्री भंवरलाल जाति प्रजापति	51/2	82.150
121	सुगन बाई पिता श्री छगनलाल जाति प्रजापति		
122	रमेश पिता श्री भंवरलाल जाति प्रजापति	51/3	74.940
123	धर्मेन्द्र पिता श्री रमेश जाति प्रजापति		
124	जितेन्द्र पिता श्री कमल सिंह जाति प्रजापति	52	30.680
125	जगदीश पिता श्री कमल सिंह जाति प्रजापति	52/1	30.680
126	सुनील पिता श्री करन सिंह जाति प्रजापति	53	57.000
127	अनिल पिता श्री करन सिंह जाति प्रजापति	53/1	57.000
128	करन सिंह पिता श्री मुन्नालाल जाति प्रजापति	53/2	76.000
129	सीमा पुत्री श्री करन सिंह जाति प्रजापति		
130	राधेश्याम पिता बापूलाल जाति प्रजापति	54	47.560
131	संतोष पिता श्री बापूलाल जाति प्रजापति	55	27.500
132	मुकेश पिता श्री बापूलाल जाति प्रजापति	55/1	27.500
133	बापूलाल पिता श्री भंवरलाल जाति प्रजापति	55/2	27.500

134	छगनलाल पिता श्री भंवरलाल जाति प्रजापति	56	33.540
135	गोरेलाल पिता श्री मुन्नालाल जाति प्रजापति	57	119.560
136	धनसिंह पिता श्री मुन्नालाल जाति प्रजापति	58	136.120
137	मुकेश पिता श्री श्रीलाल जाति प्रजापति	59	42.350
138	कृपाल पिता श्री श्रीलाल जाति प्रजापति	59/1	42.350
139	श्रीलाल पिता श्री भंवरलाल जाति प्रजापति	60	24.000
140	विष्णु पिता श्री बिहारीलाल जाति प्रजापति	61	54.640
141	भागीरथ पिता श्री बदाजी जाति प्रजापति	62	31.310
142	नारायण सिंह पिता श्री बदाजी जाति प्रजापति	62/1	41.520
143	प्रभूलाल पिता श्री बदाजी जाति प्रजापति	62/2	43.640
144	रेवाराम पिता श्री नंदराम जाति प्रजापति	62/3	35.550
145	बेवा जानी बाई स्व. अमरसिंह जाति प्रजापति	62/4	51.600
146	बेवा कंचन बाई स्व. जगन्नाथ जाति प्रजापति	62/5	31.960
147	हरिनारायण पिता श्री नरसिंह लाल जाति रुहेला	63	280.850
148	बेवा पार्वती पति स्व. नरसिंह लाल जाति रुहेला		
149	कौशल्य बाई पति अमृतलाल जाति रुहेला		
150	मोहन पिता श्री रामचरण जाति भिलाला	64	52.650
151	डालचंद पिता श्री रामचरण जाति भिलाला	64/1	52.650
152	बेवा रामकुंवर पति स्व. रामचरण जाति भिलाला	65	43.610
153	बालू पिता श्री मोतीलाल जाति भिलाला	66	62.250
154	जगदीश पिता श्री मोतीलाल जाति भिलाला	66/1	29.000
155	गोपाल पिता श्री मोतीलाल जाति भिलाला	66/2	22.500
156	मोतीलाल पिता श्री बदाजी जाति भिलाला	66/3	47.000
157	सुरेश पिता श्री मोतीलाल जाति भिलाला	66/4	46.410
158	भगवान सिंह पिता श्री मोतीलाल जाति भिलाला	66/5	86.330
159	भेरूसिंह पिता श्री रोड़जी जाति भिलाला	67	32.080
160	जसमन पिता श्री रोड़जी जाति भिलाला	67/1	37.630
161	रोड़जी पिता श्री रविराम जाति भिलाला	67/2	15.600
162	गोवर्धन पिता श्री गंगाराम जाति भिलाला	68	183.870
163	बद्रीलाल पिता श्री गंगाराम जाति भिलाला	69	117.880

164	रामबाबू पिता श्री स्व. हीरालाल जाति रुहेला	70	107.200
165	बिहारी लाल पिता श्री मुन्नालाल जाति रुहेला	71	80.580
		71/1	79.200
166	लक्ष्मीनारायण पिता श्री स्व. मुन्नालाल जाति रुहेला	72	114.020
167	बेवा तुलसी बाई पति स्व. श्री मुन्नालाल जाति रुहेला		
168	मांगीलाल पिता श्री शालिगराम जाति रुहेला	73	137.940
169	अमृतलाल पिता श्री शालिगराम जाति रुहेला	74	86.740
170	गोरीलाल पिता श्री बंशीलाल जाति रुहेला	75	209.760
171	गोरेलाल पिता श्री नन्दराम जाति रुहेला	76	61.060
172	जगदीश पिता श्री भंवरलाल जाति रुहेला	77	72.040
173	बनेसिंह पिता श्री गोपीलाल जाति रुहेला	78	56.000
174	देवीलाल पिता श्री नन्दराम जाति रुहेला	79	77.840
175	राजेश पिता श्री देवीलाल जाति रुहेला		
176	छोगमल पिता श्री नंदराम जाति रुहेला	80	90.720
177	नारायण सिंह पिता श्री नन्दराम जाति रुहेला	81	75.510
178	दुधारसिंह पिता श्री. नन्दराम जाति रुहेला	81/1	75.510
179	गोरेलाल पिता श्री नन्दराम जाति रुहेला	81/2	75.530
180	भंवरलाल पिता श्री गोपीलाल जाति रुहेला	82	211.140
181	जगदीश पिता श्री भंवरलाल जाति रुहेला		
182	बेवा जशोदा बाई पति स्व. गोपीलाल जाति रुहेला		
183	छगनलाल पिता श्री गोपीलाल जाति रुहेला	83	94.710
184	राधेश्याम पिता श्री मुन्नालाल जाति रुहेला	84	92.650
185	बेवा उमराव पति स्व. मुन्नालाल जाति रुहेला	85	7.360
186	विजयसिंह पिता श्री मुन्नालाल जाति रुहेला	86	90.210
187	शंकरलाल पिता श्री मुन्नालाल जाति रुहेला	87	47.530
188	बलराम पिता स्व. घीसालाल जाति रुहेला	88	101.150
189	बेवा अनोखबाई पति स्व. घीसालाल जाति रुहेला		
190	किशनलाल पिता स्व. श्री रामलाल जाति रुहेला		

191	मनीष पिता श्री गोपीलाल जाति कारपेन्टर	89	38.530
192	बापूलाल पिता श्री गोपीलाल जाति कारपेन्टर	89/1	96.950
193	लक्ष्मीनारायण पिता देवजी जाति रुहेला	90	48.700
194	भारत पिता श्री देव जी जाति रुहेला	90/1	48.710
195	चन्दर सिंह पिता श्री देव जी जाति रुहेला	90/2	48.700
196	देवीलाल पिता श्री देव जी जाति रुहेला	90/3	48.710
197	रामबाबू पिता श्री देव जी जाति रुहेला	90/4	48.710
198	देवसिंह पिता श्री प्रभुलाल जाति रुहेला	91	212.090
199	प्रभुलाल पिता प्यार जी जाति रुहेला		
200	बलराम पिता श्री मांगीलाल जाति रुहेला	92	54.680
201	अमृतलाल पिता श्री गंगाराम जाति रुहेला	92/2	54.690
202	मांगीलाल पिता श्री गंगाराम जाति रुहेला	92/1	54.680
203	बेवा रुकमा बाई पति स्व. श्री गंगाराम जाति रुहेला		
204	पप्पू पिता श्री मांगीलाल जाति रुहेला		
205	छगनलाल पिता श्री गंगाराम जाति रुहेला	93	80.600
206	रामदयाल पिता श्री मांगीलाल जाति विश्वकर्मा	94	87.910
207	राहुल पिता श्री रामदयाल जाति विश्वकर्मा		
208	सरजनसिंह पिता श्री मांगीलाल जाति विश्वकर्मा	95	86.940
209	मांगीलाल पिता श्री गोपीलाल जाति विश्वकर्मा	96	23.800
210	पवन पिता स्व. श्री कालूराम जाति धनगर	97	113.400
211	बेवा सावित्री बाई पति स्व. श्री कालूराम जाति धनगर		
212	प्रेमनारायण पिता श्री गोपीलाल जाति धनगर	98	98.100
213	बद्रीलाल पिता श्री गोपीलाल जाति धनगर	98/1	98.100
214	विजयसिंह पिता श्री गोपीलाल जाति धनगर	98/2	98.100
215	रामनरेश पिता श्री गोपीलाल जाति धनगर	98/3	98.100
216	देवचंद पिता श्री भूरा जी जाति रुहेला	99	218.400
217	जगदीश पिता श्री देवचंद जाति रुहेला		
218	दरयावसिंह पिता श्री देवचंदर जाति रुहेला		
219	कालूराम पिता श्री मुन्नालाल जाति रुहेला	100	158.760
220	रतनसिंह पिता श्री कालूराम जाति रुहेला		
221	कमल पिता श्री कालूराम जाति रुहेला		

222	भगवत सिंह पिता श्री छगनलाल जाति रुहेला	101	85.100
223	बाबू पिता श्री छगनलाल जाति रुहेला	101/1	85.100
224	देवबाई पति स्व. श्री छगनलाल जाति रुहेला		
225	रमेश पिता श्री मांगीलाल जाति रुहेला	102	154.280
226	देवचंद पिता श्री मांगीलाल जाति रुहेला		
227	देवनारायण पिता श्री रमेश जाति रुहेला		
228	मांगीलाल पिता श्री उँकार जी जाति रुहेला		
229	प्रेमनारायण पिता श्री मुन्नालाल जाति रुहेला	103	54.720
230	हरिनारायण पिता श्री प्रेमनारायण जाति रुहेला	103/1	54.720
231	बेवा रानीबाई पति स्व. श्री कालूराम जाति रुहेला	104	52.540
232	छोगमल पिता श्री स्व. श्री मांगीलाल जाति रुहेला	105	22.200
233	बजेसिंह पिता श्री मांगीलाल जाति रुहेला	105/1	22.200
234	राधेश्याम पिता स्व. श्री शंभूलाल जाति रुहेला	106	50.100
235	बेवा सुन्दर बाई पति स्व. श्री शंभूलाल जाति रुहेला	106/1	50.100
236	गोरीशंकर पिता श्री प्यार जी जाति रुहेला	108	158.110
237	लक्ष्मीनारायण पिता श्री गोरीलाल जाति रुहेला	108/1	158.110
238	रवि पिता श्री गोरीशंकर जाति रुहेला		
239	भूलीबाई पुत्री स्व. श्री प्यार जी जाति रुहेला		
240	बेवा नानूबाई पति श्री स्व. प्यार जी जाति रुहेला		
241	जगदीश पिता श्री खुशीराम जाति रुहेला	109	98.250
242	पर्वत पिता स्व. श्री रतिराम जाति रुहेला		
243	बेवा देवबाई पति स्व. श्री रतिराम जाति रुहेला		
244	भंवरलाल पिता श्री बिहारीलाल जाति रुहेला	110	54.580
245	बेवा तुलसी बाई पति स्व. श्री बिहारी लाल जाति रुहेला		

246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276

बनेसिंह पिता श्री देवचन्द जाति रुहेला	110/1	77.980
बेवा प्रेमबाई पति स्व. श्री देवचन्द जाति रुहेला		
हरिनारायण पिता श्री देवचन्द जाति रुहेला	110/2	65.590
गोरीलाल पिता भागमल जाति रुहेला	111	96.880
राधेश्याम पिता श्री गोरीलाल जाति रुहेला		
रचना पुत्री श्री गोरीलाल जाति रुहेला		
शंकरलाल पिता श्री भागमल जी जाति रुहेला	111/1	96.880
हरिनारायण पिता श्री शंकरलाल जाति रुहेला		
रामस्वरूप पिता श्री जगन्नाथ जाति सुतार	112	44.250
जगन्नाथ पिता श्री कनीराम जाति सुतार	112/1	60.140
गोपाल पिता श्री भंवरलाल जाति सुतार	113	53.820
भंवरलाल पिता श्री कलीराम जाति सुतार		
हरीसिंह पिता श्री भंवरलाल जाति सुतार	114	31.265
गोपाल पिता श्री भंवरलाल जाति सुतार	114/1	31.265
राधेश्याम पिता श्री भंवरलाल जाति सुतार	114/2	31.260
नरेन्द्र पिता श्री भंवरलाल जाति सुतार	114/3	31.270
भारत सिंह पिता श्री कनीराम जाति सुतार	115	81.940
लक्ष्मीनारायण पिता श्री भारतसिंह जाति सुतार	115/1	81.940
रामचन्द्र पिता श्री उमराव जाति गोसाई	117	23.780
महेश पिता श्री रामचन्द्र जाति गोसाई	117/1	23.780
लक्ष्मीनारायण पिता चैना जाति वर्मा	118	113.520
भगवान सिंह पिता श्री लक्ष्मीनारायण जाति वर्मा		
सुगन बाई पति ग्यारसीराम जाति चमार	119	35.530
राधेश्याम पिता श्री प्रभूलाल जाति चमार	119/1	35.530
दुलीचंद पिता श्री प्रभूलाल जाति चमार	119/2	35.540
चन्दूलाल पिता श्री गंगाराम जाति चमार	120	10.360
रतनलाल पिता श्री गंगाराम जाति चमार	120/1	10.350
गंगाराम पिता श्री दुलजी जाति चमार	120/2	10.35
सोदरा बाई पिता श्री गंगाराम जाति चमार		
शंकरलाल पिता श्री गंगाराम जाति चमार	120/3	10.360
बबलू पिता श्री शंकरलाल जाति चमार		

277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306

रेखाबाई (रोड़ी बाई) पति श्री रामबाबू जाति चमार	120/4	20.710
ललिता पति श्री रूगनाथ जाति चमार		20.710
हेमराज पिता श्री गंगाधर जाति रूहेला	121	94.800
जगदीश पिता श्री शिवनारायण जाति रूहेला	122	35.640
बेवा डाली बाई पति स्व. श्री करणसिंह जाति चमार		
राकेश पिता स्व. श्री करणसिंह जाति चमार	123	44.200
अनुराग पिता स्व. श्री करणसिंह जाति चमार		
बीरम पिता स्व. श्री करणसिंह जाति चमार	123/1	44.190
रामप्रसाद पिता श्री अमान सिंह जाति चमार		
आत्माराम पिता श्री रामप्रसाद जाति चमार	124	79.800
नरेन्द्र पिता श्री रामप्रसाद जाति चमार		
गनपत पिता श्री कोदर जी जाति चमार	125	41.850
कन्हैयालाल पिता श्री कोदर जी जाति चमार	125/1	41.850
कुमेर सिंह पिता श्री कोदर जी जाति चमार	126	63.210
बापूलाल पिता श्री कोदर जी जाति चमार	127	70.400
रामनारायण पिता श्री अमान सिंह जाति चमार	128	89.760
मदनलाल पिता श्री धूलजी जाति चमार	129	20.090
बाबूलाल पिता श्री धूलजी जाति चमार	130	19.840
मोहन पिता श्री धूलजी जाति चमार	130/1	19.840
जगदीश पिता श्री धूलजी जाति चमार	130/2	19.840
कैलाश पिता श्री मांगीलाल जाति चमार	131	27.070
देवसिंह पिता श्री मांगीलाल जाति चमार		
बेवा धापू बाई पति स्व. मांगीलाल जाति चमार	131/1	27.080
रमेश पिता श्री मांगीलाल जाति चमार		
दीपक पिता श्री रमेश जाति चमार	132	56.230
किरण पिता श्री रमेश जाति चमार		
शंभू पिता श्री चिमना जाति चमार	133	24.850
बद्रीलाल पिता श्री शंभू जाति चमार	133/1	24.850
बेवा रेखा बाई पति स्व. श्री पर्वत सिंह जाति चमार	133/2	24.850
धीरप सिंह पिता श्री शंभू जाति चमार	133/3	24.850

307	बेवा सम्पत बाई पति स्व. श्री धूलजी जाति चमार	134	47.840
308	कोदर जी पिता श्री हीरा जाति चमार	135	56.810
309	बनवारी पिता श्री देवीलाल जाति चमार	135/1	46.620
310	देवीलाल पिता श्री अमरा जी जाति चमार	135/2	46.620
311	उरजन सिंह पिता श्री मांगीलाल जाति चमार	135/3	36.720
312	मांगीलाल पिता श्री अमरा जाति चमार	135/4	36.850
313	रामबाबू पिता श्री लक्ष्मीनारायण जाति चमार	135/5	47.380
314	कमल सिंह पिता श्री मानसिंह जाति चमार	135/6	28.880
315	बेवा जड़ाव बाई पति स्व. श्री अमान जाति चमार	135/6 /1	
316	बेवा धापू बाई पति स्व. देवचंद जाति चमार	136	35.000
317	बजेसिंह पिता स्व. श्री देवचंद जाति चमार	136/1	32.640
318	भारत सिंह पिता स्व. श्री देवचंद वर्मा जाति चमार	136/2	61.190
319	शंभूलाल पिता श्री बागमल जाति चमार	137	36.400
320	मनोहर पिता श्री शंभूलाल जाति चमार	137/1	36.410
321	मदन पिता श्री भागमल जाति चमार	138	75.640
322	प्रकाश पिता श्री मदन जाति चमार		
323	नारायण पिता श्री भागमल जाति चमार	139	30.800
324	रामगोपाल पिता श्री नारायण जाति चमार	139/1	30.800
325	जगदीश पिता श्री नारायण जाति चमार	139/2	30.800
326	बाबूलाल पिता श्री नारायण जाति चमार	139/3	30.800
327	रमेश पिता श्री भागमल जाति चमार	140	56.710
328	लाड़सिंह पिता श्री भागमल जाति चमार	140/1	
329	बल्देव पिता श्री पन्नालाल जाति चमार	141	99.810
330	बनवारी पिता श्री पन्नालाल जाति चमार		
331	बनेसिंह पिता श्री पन्नालाल जाति चमार	141/1	66.080
332	हेमराज पिता श्री बनेसिंह जाति चमार	141/2	66.080
333	विनोद पिता श्री बनेसिंह जाति चमार	141/3	66.080
334	मुकेश पिता श्री शिव जाति चमार	142	45.120
335	काशी बाई पति स्व. श्री गोपीलाल जाति चमार	143	42.120
336	उरजन पिता शिव जाति चमार	144	46.980
337	शिव पिता श्री गोपीलाल जाति चमार	145	190.380
338	दिनेश पिता श्री शंभूलाल जाति चमार	146	65.450

339	जगदीश पिता स्व. श्री शिवनारायण जाति रुहेला	147	152.250
340	रेवजी पिता स्व. श्री शिवनारायण जाति रुहेला		
341	गंगाधर पिता श्री लक्ष्मण जाति रुहेला		
342	हेमराज पिता श्री गंगाधर जाति रुहेला	147/1	100.650
343	रामबाबू पिता श्री गंगाधर जाति रुहेला		
344	गजराज पिता श्री अमरसिंह जाति रुहेला	148	74.830
345	अमृतलाल पिता श्री शंभूलाल जाति रुहेला	148/1	74.830
346	जीतमल पिता श्री शंभूलाल जाति रुहेला	149	146.300
347	शिवनारायण पिता श्री बद्रीलाल जाति रुहेला	150	129.210
348	कालूराम पिता श्री बद्रीलाल जाति रुहेला	150/1	141.690
349	शंकरलाल पिता श्री भंवरलाल जाति रुहेला	151	124.600
350	घीसालाल पिता श्री बापूलाल जाति रुहेला	152	77.490
351	शिवलाल पिता स्व. श्री किशनलाल जाति धनगर	153	113.870
352	बनवारी पिता श्री शिवलाल जाति धनगर		
353	देवचंद पिता स्व. श्री किशनलाल जाति धनगर		
354	धर्मेन्द्र पिता श्री देवचंद जाति धनगर	153/1	93.710
355	घीसी बाई पति स्व. श्री किशनलाल जाति धनगर		
356	पूनमचंद पिता स्व. श्री लक्ष्मण सिंह जाति गड़रिया		
357	ओमप्रकाश पिता श्री पूनमचंद जाति गड़रिया	153/2	26.460
358	बेवा रोड़ी बाई पति स्व. श्री लक्ष्मण सिंह जाति गड़रिया		
359	अखिलेश पिता श्री पूनमचंद जाति गड़रिया	153/3	34.410
360	रामबाबू पिता श्री शिवलाल जाति गड़रिया		
361	लीला बाई पति स्व. श्री शिवलाल जाति गड़रिया	153/4	25.840
362	बलराम पिता स्व. श्री प्रभूलाल जाति गड़रिया	153/5	46.400
363	बेवा धापू बाई पति स्व. श्री प्रभूलाल जाति गड़रिया	153/6	68.170
364	अन्तर सिंह पिता श्री मांगीलाल जाति धनगर	154	58.480

365	गणपत पिता श्री पन्नालाल जाति रुहेला	155	179.000
366	नारायण पिता श्री गणपत जाति रुहेला		
367	लखन पिता श्री गणपत जाति रुहेला		
368	बेवा रामकुंवर बाई पति स्व. श्री कमल सिंह जाति धनगर	156	127.200
369	राहुल पिता स्व. श्री कमल सिंह जाति धनगर		
370	शंभूलाल पिता श्री मेहताब जी जाति रुहेला	157	67.080
371	अमरसिंह पिता श्री मेहताब जी जाति रुहेला	157 / 1	116.440
372	जगदीश पिता श्री बीरम सिंह जाति बेलदार	158	38.400
373	बीरम सिंह पिता श्री गंगाराम जाति बेलदार	158 / 1	93.420
374	प्रहलाद पिता श्री बीरम सिंह जाति बेलदार	158 / 2	34.650
375	देवचंद पिता श्री गणेशराम जाति बेलदार	159	58.000
376	बेवा शैतान बाई पति स्व. श्री गणेशराम जाति बेलदार		
377	अमृत पिता श्री किशनलाल जाति बेलदार	160	50.020
378	इन्दर सिंह पिता श्री किशनलाल जाति बेलदार	161	45.140
379	हरीसिंह पिता श्री हजारीसिंह जाति धनगर	162	197.970
380	मुकेश पिता श्री हरीसिंह जाति धनगर		
381	विक्रम पिता श्री हरीसिंह जाति धनगर		
382	नाथूलाल पिता श्री हजारीलाल जाति धनगर	163	46.080
383	रामगोपाल पिता श्री नाथूलाल जाति धनगर	163 / 1	57.120
384	बबलू पिता श्री नाथूलाल जाति धनगर	163 / 2	36.300
385	बेवा श्याम बाई पति स्व. श्री बद्रीलाल जाति धनगर	164	73.180
386	आनंदीलाल पिता श्री केशर सिंह जाति धनगर	164 / 1	74.710
387	अनोख सिंह पिता श्री केशर सिंह जाति धनगर	164 / 2	98.800
		167	16.280
388	केशरसिंह पिता स्व. श्री हजारीलाल जाति धनगर	164 / 3	28.500
389	देवसिंह पिता स्व. श्री मांगीलाल जाति धनगर	165	50.150
390	सरजन सिंह पिता श्री देवसिंह जाति धनगर		
391	बेवा कमला बाई पति स्व. श्री मांगीलाल जाति धनगर		

392			अन्तर सिंह पिता स्व. श्री मांगीलाल जाति धनगर	165/1	50.150	✓	
393			अनार सिंह पिता स्व. श्री मांगीलाल जाति धनगर	165/2	50.150	✓	
394			संजय पिता श्री बद्रीलाल जाति धनगर	166	17.490	✓	
योग :-						17923.420	
395	199	0.038	रामजी मंदिर	107	44.550		
396			संकट मोचन हनुमान मंदिर	116	114.000	✓	
397			रामदेव बाबा मंदिर	66/5 (1)	7.750	✓	
398			आंगनबाड़ी	26/1 (1)	100.750	✓	
योग :-						267.050	✓
कुल योग :-						22948.300	✓
					या (हे.में)	2.295	✓

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्रकरण क्रमांक 11113/अ-82/2015-2016

राजगढ़ दिनांक

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम बलवीरपुरा के लिए डूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

—: अनुसूची :-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम बलवीरपुरा

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
1	2	3	4	5	6	7
1	बापूलाल पिता देवाजी जाति सौदिया नि.ग्राम भूमि स्वामी	✓ 65/2 ✓	0.087	0.000	0.087	0.087 ✓
		✓ 46/2/1 ✓	0.013	0.000	0.013	0.013 ✓
	योग	2	0.100	0.000	0.100	0.100
2	धूलजी पिता अमरसिंह जाति सौधिया नि.ग्राम भूमि स्वामी	✓ 27 ✓	0.721	0.000	0.109	0.109 ✓
		✓ 37 ✓	0.455	0.000	0.455	0.455 ✓
	योग	2	1.176	0.000	0.564	0.564 ✓

3	गंगाबाई पति पर्वत जाति चमार नि.ग्राम भूमि स्वामी	31/6/1	✓ 0.398	0.000	0.398	0.398 ✓
	योग	1	0.398	0.000	0.398	0.398
4	करणसिंह बजेसिंह पिता देवजी जाति सौधिया नि.ग्राम भूमि स्वामी	✓ 39	✓ 0.177	0.000	0.177	0.177 ✓
		✓ 40/1	✓ 0.265	0.000	0.053	0.053 ✓
		✓ 42	✓ 0.051	0.000	0.051	0.051 ✓
	योग	✓ 3	0.493	0.000	0.281	0.281 ✓
5	देवीलाल पिता पूरजी जाति सौधिया नि.ग्राम भूमि स्वामी	✓ 43	✓ 0.038	0.000	0.038	0.038 ✓
		46/5	✓ 0.095	0.000	0.095	0.095 ✓
		✓ 75/2	✓ 1.434	0.000	1.434	1.434 ✓
	योग	3	1.567	0.000	1.567	1.567 ✓
6	लखनसिंह पिता अनारसिंह, दोलीबाई बेवा अनारसिंह जाति सौधिया नि.ग्राम भूमि स्वामी	✓ 44/1	✓ 0.023	0.000	0.023	0.023 ✓
		45/1	✓ 0.016	0.000	0.016	0.016 ✓
	योग	2	0.039	0.000	0.039	0.039 ✓
7	हरिसिंह पिता गंगाराम जाति सौधिया नि.ग्राम भूमि स्वामी	✓ 44/2	0.022	0.000	0.022	0.022 ✓
		✓ 46/3/2	0.063	0.000	0.063	0.063 ✓
		✓ 45/2	0.016	0.000	0.016	0.016 ✓
	योग	3	0.101	0.000	0.101	0.101 ✓
8	कुमेरसिंह, धीरपसिंह, रतनलाल, सजन सिंह पिता मांगीलाल जाति सौधिया नि.ग्राम भूमि स्वामी	✓ 44/3	0.022	0.000	0.022	0.022 ✓
		✓ 45/3	0.015	0.000	0.015	0.015 ✓
		✓ 46/3/3	0.063	0.000	0.063	0.063 ✓
		✓ 66/3	0.234	0.000	0.117	0.117 ✓
	योग	4	0.334	0.000	0.217	0.217 ✓
9	किशनलाल, जगन्नाथ संपतबाई पिता भंवरिया जाति नट नि.ग्राम भूमि स्वामी	48	0.632	0.316	0.000	0.316 ✓
	योग	1	0.632	0.316	0.000	0.316 ✓
10	हिन्दूसिंह जगदीश मोहनलाल पिता जगन्नाथ रमेशबाई ललताबाई पिता जगन्नाथ जलतनबाई बेवा जगन्नाथ जाति सौधिया नि.ग्राम भूमि स्वामी	✓ 65/1	✓ 0.436	0.000	0.348	0.348 ✓
		✓ 46/2/2	✓ 0.012	0.000	0.012	0.012 ✓
	योग	2	0.448	0.000	0.360	0.360

11	हजारी पिता गोपी जाति चमार नि.ग्राम भूमि स्वामी	✓ 73 ✓	1.202	0.000	1.202	1.202 ✓
		✓ 75/3 ✓	0.681	0.000	0.681	0.681 ✓
	योग	2	1.883	0.000	1.883	1.883 ✓
12	लालजी पिता पूरजी जाति सौधिया नि.ग्राम भूमि स्वामी	✓ 42/76 ✓	0.038	0.000	0.038	0.038 ✓
		✓ 46/4 ✓	0.190	0.000	0.095	0.095 ✓
	योग	2	0.228	0.000	0.133	0.133 ✓
13	भंवरलाल पिता प्यारजी जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	✓ 46/3/1 ✓	0.062	0.000	0.062	0.062 ✓
	योग	1	0.062	0.000	0.062	0.062 ✓
14	करणसिंह पिता मांगीलाल जाति सौधिया नि.ग्राम भूमि स्वामी	✓ 46/3/4 ✓	0.064	0.000	0.064	0.064 ✓
		✓ 45/4 ✓	0.016	0.000	0.016	0.016 ✓
		✓ 44/4 ✓	0.022	0.000	0.022	0.022 ✓
	योग	3	0.102	0.000	0.102	0.102 ✓
15	गोपाल पिता भंवरलाल जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी	✓ 40/2 ✓	0.266	0.000	0.266	0.266 ✓
			0.000	0.000	0.000	0.000 ✓
	योग	1	0.266	0.000	0.266	0.266 ✓
16	कमला बाई बेवा मांग्या जाति नट नि. ग्राम भू- स्वामी	✓ 53/5 ✓	3.035	0.730	0.000	0.730 ✓
			0.000	0.000	0.000	0.000 ✓
	योग	1	3.035	0.730	0.000	0.730 ✓
	कुलयोग :-	33	10.864	1.046	6.073	7.119 ✓

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तरुण कुमार पिथोड़े, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 19 जनवरी 2017

प्र. क्र. 054-अ-82-वर्ष 2015-16.— भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—गुनौर

(ग) ग्राम—धरवारा, प.ह.नं. 00053

(घ) क्षेत्रफल—8.657 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार	(1)	(2)	(3)
(1)	(2)	(3)			
237/2	0.053	निजी भूमि	814/1/क/6	0.016	निजी भूमि
237/3	0.270	निजी भूमि	814/1/क/3	0.010	निजी भूमि
237/4	0.320	निजी भूमि	814/1/क/4	0.040	निजी भूमि
238	0.165	निजी भूमि	814/2	0.080	निजी भूमि
246/1	0.070	निजी भूमि	814/1/क/2	0.080	निजी भूमि
249	0.176	निजी भूमि	814/1/क/7	0.140	निजी भूमि
251	0.214	निजी भूमि	814/1/ख	0.045	निजी भूमि
252	0.040	निजी भूमि	814/1/क/5	0.100	निजी भूमि
253	0.350	निजी भूमि	814/1/क/1	0.016	निजी भूमि
255/1/क	0.030	निजी भूमि	821	0.480	निजी भूमि
367/1	0.110	निजी भूमि	870	0.136	निजी भूमि
367/2	0.115	निजी भूमि	873/1/ख	0.070	निजी भूमि
			874	0.080	निजी भूमि
			875/1	0.045	निजी भूमि
			875/4	0.055	निजी भूमि
			877	0.054	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(ग) ग्राम—मटेवरा, प.ह.नं. 00053	(घ) क्षेत्रफल—3.879 हेक्टेयर.		
			खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार	
			(1)	(2)	(3)	
878	0.054	निजी भूमि	13	0.375	निजी भूमि	
880	0.048	निजी भूमि	18	0.412	निजी भूमि	
881	0.079	निजी भूमि	22	0.190	निजी भूमि	
882/2/क	0.007	निजी भूमि	25	0.056	निजी भूमि	
951	0.140	निजी भूमि	72	0.162	निजी भूमि	
952	0.225	निजी भूमि	70	0.050	निजी भूमि	
957	0.105	निजी भूमि	71/1	0.200	निजी भूमि	
958	0.185	निजी भूमि	162	0.126	निजी भूमि	
969	0.022	निजी भूमि	163	0.204	निजी भूमि	
970	0.258	निजी भूमि	166	0.330	निजी भूमि	
982	0.400	निजी भूमि	170	0.325	निजी भूमि	
985	0.019	निजी भूमि	174	0.125	निजी भूमि	
986	0.729	निजी भूमि	193	0.194	निजी भूमि	
987	0.012	निजी भूमि	169	0.001	निजी भूमि	
634	0.048	निजी भूमि	175	0.210	निजी भूमि	
953	0.013	निजी भूमि	182	0.089	निजी भूमि	
516/1	0.004	निजी भूमि	184	0.140	निजी भूमि	
441	0.015	निजी भूमि	192/1	0.436	निजी भूमि	
445	0.053	निजी भूमि	203	0.254	निजी भूमि	
235/1	0.045	निजी भूमि	कुल रकबा निजी भूमि ..	3.879		
कुल रकबा निजी भूमि ..	8.657					

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—टिरी गुरने तालाब योजना के अन्तर्गत मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुनौर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 055-अ-82-वर्ष 2015-16.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—गुनौर

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—टिरी गुरने तालाब योजना के अन्तर्गत मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुनौर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 056-अ-82-वर्ष 2015-16.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की

कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—गुनौर

(ग) ग्राम—कचनारा, प.ह.नं. 00029

(घ) क्षेत्रफल—3.404 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार	(1)	(2)	(3)
(1)	(2)	(3)			
1633	0.008	निजी भूमि	1443	0.064	निजी भूमि
1634	0.022	निजी भूमि	1449	0.020	निजी भूमि
1585	0.008	निजी भूमि	1450	0.039	निजी भूमि
1632	0.030	निजी भूमि	1444	0.044	निजी भूमि
1597	0.012	निजी भूमि	1445	0.020	निजी भूमि
1635	0.007	निजी भूमि	1446	0.034	निजी भूमि
1521	0.072	निजी भूमि	1447/3	0.056	निजी भूमि
1523/2	0.079	निजी भूमि	936	0.032	निजी भूमि
1640	0.035	निजी भूमि	2014	0.058	निजी भूमि
1639	0.022	निजी भूमि	2015	0.014	निजी भूमि
1641	0.004	निजी भूमि	934/1	0.012	निजी भूमि
1524	0.060	निजी भूमि	935	0.026	निजी भूमि
1577	0.043	निजी भूमि	928/1	0.058	निजी भूमि
1604	0.030	निजी भूमि	2110	0.038	निजी भूमि
1605	0.004	निजी भूमि	2098	0.015	निजी भूमि
1599	0.037	निजी भूमि	2111	0.094	निजी भूमि
1644	0.036	निजी भूमि	2112	0.032	निजी भूमि
1643	0.050	निजी भूमि	1458/2	0.080	निजी भूमि
1646	0.050	निजी भूमि	2097	0.052	निजी भूमि
1652	0.008	निजी भूमि	1601	0.065	निजी भूमि
1655	0.076	निजी भूमि	1586	0.024	निजी भूमि
1687	0.094	निजी भूमि	1602	0.036	निजी भूमि
1642	0.076	निजी भूमि	1939	0.022	निजी भूमि
1650	0.010	निजी भूमि	1598	0.009	निजी भूमि
1651	0.025	निजी भूमि	1934	0.002	निजी भूमि
1529	0.045	निजी भूमि	1938	0.036	निजी भूमि
1474	0.009	निजी भूमि	2011	0.003	निजी भूमि
1475/2	0.090	निजी भूमि	2012	0.027	निजी भूमि
1527/1	0.005	निजी भूमि	1935	0.012	निजी भूमि
1472/1	0.037	निजी भूमि	1936	0.129	निजी भूमि
1473	0.008	निजी भूमि	1937	0.029	निजी भूमि
1471	0.010	निजी भूमि	2017	0.002	निजी भूमि
1472/2	0.037	निजी भूमि	2018	0.031	निजी भूमि
1527/2	0.030	निजी भूमि	2019	0.002	निजी भूमि
1458/1	0.090	निजी भूमि	2091	0.009	निजी भूमि
2113/1	0.137	निजी भूमि	2033/1	0.037	निजी भूमि
1442	0.013	निजी भूमि	2034/1	0.012	निजी भूमि
			2035/1	0.018	निजी भूमि
			2095/1	0.006	निजी भूमि
			2096/1	0.020	निजी भूमि
			2031/2	0.017	निजी भूमि
			2033/2	0.054	निजी भूमि
			2035/2	0.036	निजी भूमि
			2095/2	0.008	निजी भूमि
			2096/2	0.018	निजी भूमि
			2099	0.045	निजी भूमि
			2100	0.006	निजी भूमि
			2101	0.148	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
2105	0.096	निजी भूमि	653/2/क	0.072	निजी भूमि
2106	0.160	निजी भूमि	653/1/ग	0.048	निजी भूमि
2013	0.010	निजी भूमि	653/2/ख	0.010	निजी भूमि
2008	0.001	निजी भूमि	653/1/क	0.080	निजी भूमि
1928	0.020	निजी भूमि	781/1	0.096	निजी भूमि
1929	0.040	निजी भूमि	774/2/क	0.040	निजी भूमि
1930	0.017	निजी भूमि	752/2/क	0.001	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि ..	3.404		780/3/ख	0.002	निजी भूमि
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—टिरी गुरने तालाब योजना के अन्तर्गत मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.			778/2/ख	0.048	निजी भूमि
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुनौर में किया जा सकता है.			654/1/क	0.120	निजी भूमि
प्र. क्र. 057-अ-82-वर्ष 2015-16.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:—			751/1/क	0.065	निजी भूमि
			780/2/ख	0.035	निजी भूमि
			778/1/क	0.006	निजी भूमि
			775	0.032	निजी भूमि
			752/3	0.043	निजी भूमि
			750/1	0.090	निजी भूमि
			749/1/क	0.043	निजी भूमि
			748	0.032	निजी भूमि
			747	0.054	निजी भूमि
			736	0.003	निजी भूमि
			746	0.017	निजी भूमि
			738	0.056	निजी भूमि
			718	0.050	निजी भूमि
			737	0.036	निजी भूमि
			723	0.037	निजी भूमि
			722	0.003	निजी भूमि
			719	0.018	निजी भूमि
			620/1	0.142	निजी भूमि
			620/2	0.124	निजी भूमि
			618	0.222	निजी भूमि
			619	0.106	निजी भूमि
			624	0.019	निजी भूमि
			654/1/ख	0.034	निजी भूमि
			648/2/ख	0.340	निजी भूमि
			780/2/क	0.012	निजी भूमि
			779/2/ख	0.092	निजी भूमि
			779/2/क	0.007	निजी भूमि
			778/1/ख	0.140	निजी भूमि
			753/2	0.003	निजी भूमि
			752/2/ग	0.028	निजी भूमि
			750/3/ख	0.090	निजी भूमि
			617	0.020	निजी भूमि
			कुल रकबा निजी भूमि ..	2.959	
खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार			
(1)	(2)	(3)			
647	0.045	निजी भूमि			
774/2/ख	0.013	निजी भूमि			
752/2/ख	0.055	निजी भूमि			
648/1/क	0.136	निजी भूमि			
753/1	0.058	निजी भूमि			
648/2/क	0.136	निजी भूमि			

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—टिरी गुरने तालाब योजना के अन्तर्गत मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुनौर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. पी. आईरीन सिंथिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 24 जनवरी 2017

क्र. 42-भू-अर्जन-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—मझगवां

(ग) नगर/ग्राम—नयागांव

(घ) लगभग क्षेत्रफल—8.961 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
865/4	0.209
865/3/1	0.133
865/2	0.146
865/3/2/क	0.120
865/3/2/ख	0.060
865/1	0.765
865/5/क	0.133
865/5/ख	0.133
865/5/ग	0.133
865/5/घ	0.133
865/6/क	0.102
865/6/ख	0.060
892/13/ब	0.101
865/15/1क	0.020
892/15/2	0.040

(1) (2)

892/16	0.050
892/2	1.162
892/12	0.620
892/6/ख/7	0.003
892/1ग	0.020
892/6/ख/2	0.003
892/6/ख/3	0.003
892/6/ख/12/8	0.002
892/6/ख/12/9	0.005
892/6/ख/5	0.031
892/5/1	0.818
892/6/ख/6	0.002
892/6/ख/8	0.020
898/ब/3	0.523
901/1	0.668
879/1	0.010
879/2	0.010
892/3/6	0.418
901/2	0.409
901/3	1.054
892/1/ख/1	0.105
892/1/ख/2	0.105
892/6/ख/11/1	0.241
892/6/ख/11/4	0.121

निजी खाता भूमि योग रकबा . . . 8.961

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—संभागीय प्रबंधक मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लि. संभाग क्र.-1, रीवा (म. प्र.) के अन्तर्गत मझगवां से चित्रकूट मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 43-भू-अर्जन-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—मझगवां

(ग) नगर/ग्राम—मोहकमगढ़
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.306 हेक्टर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
18/1ख, 18/2ग	0.628
18/1ग	0.072
18/1घ	0.125
18/2ख	0.010
18/2घ	0.020
18/2ङ	0.020
18/2च	0.096
18/2छ	0.025
18/2ज	0.025
18/2झ	0.025
18/2ट	0.025
18/2ठ	0.050
18/2ड	0.050
16	1.152
17	0.028
7/2	0.128
7/3	0.030
7/4	0.030
18/1/क/1	0.405
18/2क	0.160
19	0.202

निजी खाता भूमि योग रकबा . . . 3.306

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—संभागीय प्रबंधक मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लि. संभाग क्र.-1, रीवा (म. प्र.) के अन्तर्गत मझगवां से चित्रकूट मार्ग निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 44-भू-अर्जन-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)
- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—मझगवां

(ग) नगर/ग्राम—रजौला
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.783 हेक्टर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
170/1	0.245
170/2	0.350
170/3	0.550
162/2	0.330
163/461	0.250
172/2/2/ख	0.058
निजी खाता भूमि योग रकबा . . .	1.783

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—संभागीय प्रबंधक मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लि. संभाग क्र.-1, रीवा (म. प्र.) के अन्तर्गत मझगवां से चित्रकूट मार्ग निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नरेश पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 27 जनवरी 2017

क्र. दस-भू-अर्जन-26-अ-82-2015-16-350.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए की आवश्यक है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013” (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—शहडोल
(ख) तहसील—जयसिंहनगर

(ग) ग्राम—सीधी		(1)	(2)
(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—33.143 हे. सम्पत्ति.		770	0.004
खसरा	रकबा	772	0.264
नम्बर	(हेक्टर में)	801/2	1.214
(1)	(2)	801/4	0.405
627	0.491	801/5	0.405
631	0.258	809/2	1.560
632	0.089	775	0.212
634	0.065	776	0.037
635	0.204	802	2.489
636	0.144	806/1	0.546
637	0.097	803/2	0.809
639	0.360	806/3	1.011
742	0.320	806/4	0.506
650	0.098	811	0.539
651	0.098	807	2.221
738	0.120	808	0.129
739	0.246	748	0.263
740	0.760	749/2	0.202
741/2	0.129	750	0.129
745/3	0.405	752	0.279
743	0.049	820	0.154
751	0.182	822/1	0.190
757	0.304	753	1.801
744/1	0.303	806/2	1.530
744/2	0.070	754	2.051
746/2	0.089	755	0.304
747	0.202	756	0.219
745/2	0.405	758	0.186
745/4	0.405	759	0.036
745/5	0.405	760	0.053
746/1	0.040	829	0.150
761/1	0.218	783/1	0.006
762	0.231	800/3/क	0.022
764/1	0.284	800/4	0.064
765	0.352	809/1	1.560
766	0.158	810	0.287
767	0.166	812	1.048
768	0.085	817	0.040
761/2	0.049	818	0.198
763/1	0.126	824	0.162
763/2	0.101	825	0.310
764/2	0.036	819	0.267
		821	0.170

(1)	(2)	(1)	(2)
822/2	0.190	575	0.140
826	0.259	673	0.802
827/1	0.072	564	1.453
827/2	0.072	609	0.425
827/3	0.072	614	1.092
775/1	0.140	565	0.062
799/9/ख	0.140	604	0.178
800/3/ख	0.022	605	0.154
योग . .	33.143	558	1.070
		592	0.960
		617	0.607
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—रिमार जलाशय योजना के निर्माण हेतु.		593	0.405
		594	0.333
		595	2.371
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जयसिंहनगर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.		596	0.166
		597/1	0.049
		598	0.595
		609/2	0.105
		601/3	0.105
		609/3	0.105
		603	0.709
		606	0.316
		607/1	0.129
		610	0.158
		607/2	0.065
		608/1/क	0.442
		678/2	0.186
		608/1/ख	0.425
		608/1/ग	0.473
		608/1/घ	0.250
		608/2	0.607
		613	0.405
		618	0.405
		671/2	0.166
		615	0.081
		619	0.405
		620	0.202
		667/2	0.206
		621	0.202
		623	0.202
		667/1	0.664
		671/1	0.243
		672	0.064
		667/3	0.105
		599/1	4.128
		602	0.723
		599/2	2.146
		556	0.308
		601/1	0.101
खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)		
559	0.231		
560	0.110		
576	0.275		
560/2	0.111		
561	0.693		
582	0.072		
562	0.101		
563	0.896		
567	1.012		
669	1.259		

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—शहडोल
(ख) तहसील—जयसिंहनगर
(ग) ग्राम—रिमार
(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—31.244 हे. एवं सम्पत्ति.

(1)	(2)	(1)	(2)
609/1	0.101	390	0.036
601/2	0.105	391	0.020
667/4	0.105	392	0.040
667/5	0.053	393	0.112
667/7	0.053		
667/6	0.053		
667/8	0.049		
578	0.272		
योग . .	<u>31.244</u>		योग . . <u>1.018</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—रिमार जलाशय योजना के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जयसिंहनगर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-28-अ-82-2015-16-352.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए की आवश्यक है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013” (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—शहडोल
(ख) तहसील—जयसिंहनगर
(ग) ग्राम—महुआटोला
(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—1.018 हे. एवं सम्पत्ति.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
287	0.096
288	0.016
289	0.108
294	0.080
301	0.008
302	0.122
381	0.088
382	0.092
386	0.140
389	0.060

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—रिमार जलाशय योजना के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जयसिंहनगर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-27-अ-82-2015-16-353.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए की आवश्यक है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013” (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—शहडोल
(ख) तहसील—जयसिंहनगर
(ग) ग्राम—भर्री
(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—2.319 हे. एवं सम्पत्ति.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
61	0.120
80	0.108
81	0.016
82	0.024
202	0.040
205	0.280
207	0.056
208	0.032
214	0.128
215	0.024
216	0.140
217/1	0.031
217/2	0.031
224	0.024

(1)	(2)	(1)	(2)
254	0.056	1357/1	0.129
256	0.156	1344/2	0.077
270	0.044	1345/2	0.053
274	0.120	1351/2	0.066
311	0.072	1357/2	0.065
322	0.280	1346	0.057
324	0.038	1346/3	0.057
325	0.160	1352/2	0.149
327	0.010	1346/1	0.057
337	0.088	1346/2	0.057
338	0.080	1346/4	0.057
339	0.040	1356/1	0.040
479/8	0.101	1347	0.324
479/9	0.020	1350/2	0.085
योग . .	<u>2.319</u>	1348/1	0.069
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—रिमार जलाशय योजना के निर्माण हेतु.		1350/4	0.101
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जयसिंहनगर एवं कार्यपालन यंत्रि, जल संसाधन संभाग क्र. 2, शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.		1348/2	0.069
		1350/1	0.081
		1350/3	0.061
		1349/1/क	0.069
		1349/1/ख	0.065
क्र. दस-भू-अर्जन-24-अ-82-2015-16-354.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए की आवश्यक है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013" (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—		1352/1	0.304
		1353/1	0.040
		1353/2	0.040
		1353/3	0.032
		1353/4	0.028
		1353/5	0.061
		1353/6	0.040
		1353/7	0.121
		1355	0.085
(1) भूमि का वर्णन—		1356	0.093
(क) जिला—शहडोल		1358	0.510
(ख) तहसील—जयसिंहनगर		1382/4	0.607
(ग) ग्राम—सन्नौसी		1382/5	0.303
(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—25.963 हे.		1359	0.016
(भूमि/परिसम्पत्ति).		1364/1	0.064
खसरा	रकबा	1365	0.070
नम्बर	(हेक्टर में)	1438	0.323
(1)	(2)	1440	0.219
1344/1	0.096	1445	0.101
1345/1	0.159	1449	0.409
1351/1	0.634	1451	0.372
		1433	0.494

(1)	(2)	(1)	(2)
1439	0.393	1488/3	0.350
1442	0.158	1488/8	0.120
1444	0.142	1488/2	0.287
1446	0.097	1420/2/ख	0.028
1447	0.162	1421	0.128
1452	0.158	1422/2	0.120
1454	0.450	1428	0.014
1462	0.227	1427	0.013
1664	0.150	1426/2	0.032
1441/1	0.049	1426/4	0.040
1443	0.113	1425	0.180
1448/1	0.219	1495/2/1	0.128
1441/2	0.049	1496	0.100
1443/2	0.113	1506/8	0.010
1448/2	0.214	1497/3	0.130
1441/3	0.053	1497/2/ख	0.130
1443/3	0.117	1564/1/ख	0.040
1448/3	0.219	1506/1	0.010
1455	0.320	1514/1	0.018
1456	0.206	1506/3	0.010
1457/1	0.113	1514/3	0.030
1457/2	0.450	1506/4	0.010
1425/2	1.488	1514/4	0.030
1432	0.470	1506/5	0.010
1434	0.154	1506/6	0.010
1458	0.640	1506/7	0.010
1459	0.376	1507	0.080
1460/1	0.162	1510/3	0.056
1460/2	0.482	1511/2	0.080
1461/2	0.405	1512/2	0.060
1465/4	0.405	1518/5	0.220
1465/2	1.619	1527/3	0.092
1466/3/क	0.466	1527/2	0.028
1465/3	1.202	146/2	0.028
1465/5	0.405	147/1/2	0.020
1466/1	1.339	148	0.040
1466/2	0.715	9/1/1	0.104
1467	0.591	7/2	0.011
1468/1	0.032	1378/1	0.022
1468/2	0.048	7/3	0.012
1468/3	0.201	1364/1	0.056
1468/4	0.104	1364/2	0.056
1469	0.090	1371/1	0.015

(1)	(2)	(1)	(2)
1373	0.028	121	0.059
1371/2	0.015	128	0.105
1371/3	0.015	138	0.113
1372	0.008	191	0.334
1378/2	0.022	215	0.008
1379/1	0.012	250	0.123
1379/2	0.012	192	0.267
1379/3	0.012	125	0.162
1377/1	0.060	118	0.062
1377/2	0.060	120	0.059
1387	0.100	126	0.845
1392	0.016	133	0.117
1391/2	0.060	135	0.073
योग . .	<u>25.963</u>	136	0.040
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बलौड़ी जलाशय योजना के निर्माण हेतु.		147	0.060
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जयसिंहनगर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.		216	0.548
		230	0.101
		232	0.656
		251	0.755
		132	0.312
		143	0.073
		145	0.036
क्र. दस-भू-अर्जन-25-अ-82-2015-16-355.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए की आवश्यक है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013” (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—		194/8	0.809
		223	0.582
		229/2	1.417
		254/2	0.405
		254/3	0.975
		229/7	1.214
		122/3	0.096
		188/3	0.147
		193/3	0.158
		233/3	0.642
		253	0.413
		1350/4	0.101
		235/3	1.416
		134	0.085
		194/3	0.607
		194/5	0.809
		129	0.299
		139	0.245
		227	0.093
		397/14	0.809
खसरा	रकबा		
नम्बर	(हेक्टर में)		
(1)	(2)		
229/6	0.809		
229/3	2.023		

(1)	(2)	(1)	(2)
123	0.101	114/1	0.020
131	0.032	122/1	0.048
127/2	0.053	130	0.028
189/1	0.125	233/1	0.641
194/6	0.708	229/5	2.630
124	0.101	235/2	0.405
197	0.312	229/8	1.619
226	0.198	229/9	0.405
231	0.437	397/2	0.809
194/2	1.011	193	0.128
114/2	0.741	137/1	0.008
188/2	0.147	140/1	0.096
193/2	0.128	228/1	0.116
233/2	0.642		योग . . . 39.058
122/2	0.096		
137/3	0.008		
228/3	0.116		
148/2	0.061		
397/13	0.809		
137/2	0.008		
228/2	0.116		
234	0.777		
252	0.466		
122/4	0.096		
193/1	0.157		
193/4	0.159		
233/4	0.641		
127/5	0.053		
194/12	0.708		
194/9	0.202		
225	0.198		
127/3	0.053		
189/2	0.125		
194/10	0.708		
229/4	0.405		
194/4	0.506		
194/5	0.809		
127/4	0.053		
189/3	0.067		
194/7	0.506		
194/11	0.202		
235/4	0.202		
		खसरा	रकबा
		नम्बर	(हेक्टर में)
		(1)	(2)
		2515/6ख	0.162
		2515/5/2	0.122

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बलौड़ी जलाशय योजना के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जयसिंहनगर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-23-अ-82-2015-16-356.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए की आवश्यक है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013” (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—शहडोल

(ख) तहसील—जयसिंहनगर

(ग) ग्राम—बराछ

(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—1.263 हे.

(भूमि/परिसम्पत्ति).

(1)	(2)	(1)	(2)
2515/5/1	0.101		
2514/10	0.244	333/8/क	0.030
2514/6/1	0.142	255/2	0.020
2514/5/2	0.101	255/3	0.060
2514/4/ग/3	0.022	311/6	0.060
2514/3/ग/1	0.008	266	0.140
2435	0.060	267	0.048
2514/4/ग/4	0.022	255/4	0.080
2514/3/ग/2	0.008	311/4	0.200
2514/4/घ	0.020		योग . . . 0.738
2514/3/घ	0.025		
2514/3/ख/4	0.016		
2514/3/ङ	0.053		
2514/2	0.153		
2514/1	0.064		
2437	0.040		
	योग . . . 1.363		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बलौड़ी जलाशय योजना के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जयसिंहनगर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-32-अ-82-2015-16-358.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए की आवश्यक है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013” (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—शहडोल
(ख) तहसील—जयसिंहनगर
(ग) ग्राम—मढ़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—0.738 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
333/4	0.035
333/5	0.065

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बिछली नाला जलाशय योजना के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जयसिंहनगर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-33-अ-82-2015-16-359.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए की आवश्यक है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013” (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—शहडोल
(ख) तहसील—जयसिंहनगर
(ग) ग्राम—ढोलर
(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—2.290 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
518/2	0.049
518/3	0.048
518/4	0.099
511/3/क	0.035
511/3/ख	0.045
503	0.008
465	0.008
458	0.026

(1)	(2)	(1)	(2)
491/2	0.015	253/2	0.020
485/2	0.010	239/3	0.070
484/2	0.010	240/1/क	0.020
553/2	0.064	236/2	0.032
487	0.036	236/1	0.032
478/3	0.070	235	0.028
477	0.002	546	0.013
348/1	0.016	551/1/ख	0.008
348/2	0.016	551/2/क	0.020
396	0.024	585	0.040
349/1	0.040	551/2/ख	0.020
397	0.008	552/1	0.028
214	0.029	552/2	0.028
349/2	0.020	586	0.024
203	0.024	587	0.005
200	0.008	582	0.048
350	0.036	668/2	0.085
351/1	0.045	668/7/ख	0.043
351/2	0.045	630/2/ख	0.027
428	0.060	630/2/ग	0.027
429	0.032	630/2/घ	0.026
426	0.024	270/2/ख	0.070
425	0.020	270/3	0.105
398	0.030	270/4	0.105
389	0.036	149/2/क	0.071
287	0.070	149/2/ख	0.071
207/2	0.060	149/2/ग	0.071
201	0.008	149/2/घ	0.071
223	0.024	149/3/क	0.030
221/1	0.008	149/3/ख	0.071
222/1	0.022	149/3/ग	0.112
630/3	0.080	149/3/घ	0.004
222/2	0.022	योग . . .	3.024
123/2	0.016	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बिछली	
230	0.060	नाला जलाशय योजना के निर्माण हेतु.	
184/5/क	0.052	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी	
184/5/ख	0.080	(राजस्व), जयसिंहनगर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन	
248	0.020	संभाग क्र. 2, शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया	
253/1	0.020	जा सकता है.	

क्र. दस-भू-अर्जन-34-अ-82-2015-16-361.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013” (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—शहडोल

(ख) तहसील—जयसिंहनगर

(ग) ग्राम—मोहनी

(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—54.623 हे.

खसरा

नम्बर

(1)

रकबा

(हेक्टर में)

(2)

1179/1

1325/4/1

1173/2/1

1172/2

1176/2

1325/4/2

1173/2/2

1113/2

1325/4/3

1173/2/3

1182

1203

1191

1180/1

1183/1

1154

1152

1192/1

1271/2/1

0.041

0.337

0.024

0.014

0.040

0.337

0.024

0.060

0.337

0.024

0.680

0.287

0.476

0.181

0.061

0.004

0.080

0.506

0.404

(1)

1037/1

1192/3

1194

1195

1196

1201

1202/1

1197

1198

1211/2

1199/1

1202/2

1238

1240

1245

1249/1410/3

1253

1254

1257

1114

1148

1046

1199/2

1221

1222

1223

1224

1225

1226

1227

1229

1241/1

1242

1243

1246

1202/3

1206/3

(2)

0.008

0.466

0.214

0.121

0.239

0.162

0.440

0.854

0.138

0.833

0.405

0.405

0.178

0.077

0.170

0.162

0.150

0.678

0.636

0.004

0.020

0.052

0.405

0.291

0.146

0.081

0.077

0.231

0.121

0.255

0.129

0.057

0.125

0.154

0.162

0.405

0.027

(1)	(2)	(1)	(2)
1212/2	0.061	1249/1	0.101
1218	0.182	1249/2	1.509
1220/2	0.242	1116/2	0.040
1230	0.097	1249/1410/1	0.166
1231	0.053	1045/1	0.016
1239	0.097	1249/1410/2	0.166
1204	0.154	1249/1410/4	0.323
1205	0.318	1256	0.424
1206/2	1.019	1258	0.633
1234	0.036	1385	0.101
1235	0.049	1269	0.061
1236	0.494	1293	0.045
1237	0.178	1299	0.077
1206/1	0.405	1320	0.182
1324/1	0.243	1353/2	0.110
1371	0.198	1270/2	0.197
1372	0.024	1328/2	0.135
1373	0.077	1270/3	0.049
1374/3	0.020	1353/3	0.101
1212/1	0.101	1270/4	0.049
1214	0.131	1032/2/ख	0.032
1215/1	0.150	1353/4	0.101
1215/3	0.057	1270/5	0.049
1216/2	0.084	1041/2/ग	0.020
1217/2	0.057	1270/6	0.050
1220/3	0.154	1271/2/2	0.405
1232	0.117	577/2	0.030
1233	0.166	1034/3	0.026
1212/3	0.055	1271/3	1.214
1215/2	0.060	1272/1	0.340
1216/1	0.057	1272/2	0.303
1216/3	0.222	1274/1	0.182
1217/1	0.048	1326/1	0.041
1219	0.125	1329/1	0.222
1220/1	0.154	1313/1	0.097
1241/2	0.186	1274/2	0.182
1244/14/2	1.256		

(1)	(2)	(1)	(2)
1275/2	0.405	1280/2	0.069
1276/1	0.040	1282/2	0.154
1277/1	0.162	1337/4	0.069
1278	0.117	1346/4	0.028
1306	0.154	1282/3	0.243
1307	0.180	1337/5	0.073
1311/1	0.210	1346/5	0.028
1312	0.040	1285	0.393
1337/1	0.101	1290	0.198
1345	0.117	1291	0.162
1346/1	0.206	1292	0.150
1355/1415/1	0.182	1297	0.081
457	0.061	1298	0.121
469	0.089	1300	0.178
471	0.129	1301	0.178
1275/3/क	0.238	1316/2	0.174
1283/1	0.186	626/1	0.018
1287/1	0.377	1294	0.085
1275/3/ख	0.810	1153	0.060
1283/2	0.162	1295/1	0.100
1284	0.024	1366	0.020
1286	0.109	1367	0.105
1287/2	0.024	1368	0.024
1289/2	0.145	1369	0.045
1275/4	0.101	1374/1	0.061
1276/2	0.162	1158/1	0.020
1279/1	0.121	574/1	0.028
1277/2	0.085	1295/2	0.100
1279/2	0.146	1295/3	0.022
1280/3	0.073	1158/3	0.010
1337/6	0.069	1295/4	0.021
1346/6	0.024	1158/4	0.010
1280/1	0.069	1302	0.495
1281	0.065	1317	0.077
1282/1	0.105	1303	0.368
1337/3	0.069	1330/1	0.688
1346/3	0.024	627	0.038

(1)	(2)	(1)	(2)
629	0.012	1340/1	0.055
1149	0.020	1339/4	0.046
1304/1	0.146	1340/2	0.054
1305/1	0.443	1348	0.263
1333/1	0.100	1350/1	0.162
1341	0.282	1350/2	0.081
1343	0.170	1352	0.085
472	0.190	1353/1	0.032
1304/2	0.145	1032/2/क/2	0.016
1305/2	0.140	1355/2	0.809
1331	0.490	1355/2/1	0.271
1333/2	0.062	1358	0.259
573	0.064	1360	0.198
1354	0.093	1361	0.154
1351	0.170	1362	0.121
1311/2	0.065	1363	0.081
1313/2	0.093	1364	0.020
1314	0.190	1364/1391	0.089
1315	0.190	1365	0.105
1318	0.117	1380/2	0.361
1319	0.356	1380/3/क	0.405
1322	0.206	1380/3/ख	0.172
1323	0.259	1381/1	0.073
1324	0.243	1381/2	0.073
572	0.032	1381/3	0.077
1316/1	0.093	1384/3/1	0.607
1321	0.239	1384/3/2	0.405
1356	0.652	470	0.174
1325/2	1.011	1275/3/क/2	0.631
1325/3	0.729	1288	0.121
1337/2	0.073	1289/1	0.057
1346/2	0.024	1189/2	0.064
1326/2	0.041	1190	0.060
1329/2	0.167	1188	0.028
1327	0.405	1094/3	0.092
1330/2	0.688	1172/1	0.014
1339/1	0.101	1171	0.020
1339/2	0.058	1176/1	0.040
1346/7	0.045	1159/1	0.020
1339/3	0.046	1158/2	0.020

(1)	(2)
1145	0.028
1116/1	0.040
1113/1/क	0.030
1113/1/ख	0.030
568/1	0.036
547	0.032
563	0.012
564	0.041
577/1	0.030
626/2	0.018
1042	0.024
1034/2	0.026
1035	0.008
1036/3	0.022
1036/4	0.022
1066/6	0.101
1066/5	0.028
1068/2	0.080
1094/2	0.100
1067/6	0.056
1067/7	0.056
1067/8	0.200
1092/3/क	0.105
1092/3/ख	0.012
1092/3/घ	0.048
1092/3/ग	0.024
1092/3/ङ	0.064
1092/4	0.064
1094/4	0.048
1270/1	0.197
कुल योग . .	<u>54.623</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बिछली नाला जलाशय योजना के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जयसिंहनगर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-31-अ-82-2015-16-362.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए की आवश्यक है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013” (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—शहडोल
 (ख) तहसील—जयसिंहनगर
 (ग) ग्राम—तेन्दुहा
 (घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—0.676 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
162/4	0.220
162/6	0.160
163/2/ख	0.160
163/3/क/1/क	0.136
योग . .	<u>0.676</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बिछली नाला जलाशय योजना के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जयसिंहनगर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश कुमार शुक्ल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

Jabalpur, the 25th January 2017

No. 131-Confdl.-2017-II-3-1-2017.—Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur is conducting **Second Refresher Course for the Civil Judges Class II from 2013 Batch (First Batch) from 6th February 10th February 2017 in the Academy. Civil Judges, whose names and postings figure in the endorsement, are directed to attend the aforesaid course.**

Conditions for the course :—

1. Barring exceptional circumstances, the participants nominated for the **Course** shall not pray for adjustment.
2. The participants shall report by 9.30 a.m. on 6 February 2017 in the Lecture Room of Madhya Pradesh State Judicial Academy, Jabalpur.
3. During the Course, the participants shall wear prescribed uniform (i.e. Black coat, white shirt, grey trousers and black tie). The lady judicial officers may be directed to wear white saree and blouse with black coat.
4. The participants shall send only soft copies of the following to the Academy sufficiently in advance on email mpsja@mpjc.in prior to ten days before commencement of the Course :—
 - (i) Judgment in Civil and Criminal cases (contested) (one each);
 - (ii) Issues (one);
 - (iii) Charges (one);
 - (iv) Questionnaire of examination of accused
5. The participants may send legal problems which they want to be addressed during the course to the Academy either by fax (No. 0761-2628679) or email at mpsja@mpjc.in sufficiently in advance.
6. T. A. & D. A. of the participants is reimbursable only as per Government Rules.

7. The Academy shall endeavour to make best possible arrangements for reception, lodging and boarding of the participants in the Guest House of the Academy.

Date, mode and time of arrival of the participants may be conveyed to **Shri Pramod Kumar Chaturvedi**, A. G. I on Mobile No. 08878747939 or to **Shri Gyan Prakash Tekam**, A. G. III on telephone No. 0761-2628679 or to **Shri Pramod Kushwaha**, A. G. III on Mobile No. 09713717147 at least a day in advance, so that proper arrangement for their reception may be made.

It may however be noted that the participants will have to make arrangement to carry their baggage to the parked vehicles. The official vehicle of the State Judicial Academy shall remain parked at the Main Entrance of Railway Station, Jabalpur (Platform No. 1 only) as per the programme conveyed by the participants in advance.

Arrangement of vehicle will not be made without prior intimation of arrival and departure programme received from the participants.

8. The participants in need of care shall be accommodated on the ground floor of the Guest House on prior intimation. The participants in need of special care may, with prior permission of the Academy, stay at accommodation of their choice. In such a case participants shall be entitled to T. A. & D. A. as per rules. Kindly note that it would not be possible for the Academy to make arrangement for pick up and drop back to such place of their choice.
9. The accommodation in the Guest House of the Academy shall be available to the participants only from 12.00 noon of preceding day of commencement of Course and upto 12.00 noon on the succeeding day of the end of Course.
10. The participants shall be provided with tea, breakfast, lunch and dinner during their period of stay for the Course, free of charge, as per the rules of the Academy.

No. 127-Confdl.-2017-II-2-5-17.—Madhya Pradesh State Judicial Academy (MPSJA) is organizing five Regional Workshops in this financial year from 1 January 2017 to 19th March 2017 on closed Saturdays and Sundays, as per the action plan of XIV Finance Commission for Training of Judicial Officers, with the funds allocated by the State Government under the Head—"Training & Training Material" to the High Court.

In this connection, the first Regional Workshop on—Family Laws is being organized on 4 February 2017 at Chhindwara in which Principal & Additional Principal Judges of Family Courts and Judges dealing with matrimonial cases from Balaghat, Betul, Chhindwara, Harda, Hoshangabad, mandla, Narsinghpur and Seoni (19 Officers in all), whose names are shown in the endorsement will participate, as per the following conditions :—

1. Barring exceptional circumstances, the participants nominated for the Workshop shall not pray for adjustment. Principal Judge of Family Court/District & Sessions Judges of the respective districts are authorized to deal with the letter of adjustment, if any and exempt the said Judicial Officer loading to his/her exigency under intimation to the academy.
2. The Judicial Officers included in the workshop shall have to report for training on 4 February 2017 at 9.30 a.m. at the venue intimated by the District & Sessions Judge, Chhindwara.
3. The participants shall come soberly dressed during entire duration of the Workshop. Proper attire with blazer/coat/suit would be required for group photograph.
4. Judicial Officers who will come from places other than the venue of Regional Workshop (Headquarters) may come by their official vehicle or private vehicle. Cost of fuel charges of private vehicles shall be reimbursed to them as per their entitlement according to circular No. F 4-2/2016/Rules/ four dated 5th November 2016 of Government of Madhya Pradesh, Finance Department, Vallabh Bhawan @ Rs. 6/- per km to attend the workshop.

Respective District & Sessions Judges from whose districts Judicial Officers have been nominated for the Workshop shall be allotted fund for

reimbursement of TA bills of the participant Judicial Officers.

5. The District & Sessions Judge, Chhindwara has to provide all logistic support like arranging public address system, conference hall having capacity to accommodate atleast 20 Judicial Officers etc. required for conducting the said workshop, stay arrangements of the participants/ Officers & Staff of MPSJA, catering services, etc.
6. During Workshop, breakfast, working lunch and tea twice with light snacks shall be served. The outstation participants shall be provided dinner packs, on request.
7. Stay arrangement shall be provided on single/ twin sharing basis for the participants.
8. The District Judge may utilize the services of two of the Judges from District Judiciary for logistic support and they shall be paid remuneration of Rs. 1,000/- per head and the District Judge shall be paid remuneration of Rs. 1,500/- for guidance and providing logistic support, which shall be adjusted towards their honorarium paid as guest faculty.

Class III and Class IV employees (two each) of the District Headquarters whose services will be utilized during the workshop, an incentive of Rs 450/- to Class III employees and Rs. 250/- to Class IV Employees shall be provided.

9. Judicial Officers at regional headquarters or from other places, whose services are utilized as Guest Faculty for the purpose of workshop, shall be paid honorarium as per High Court Order dated 26-08-2016.

Jabalpur, the 27th January 2017

No. 147-Confdl.-2017.—The Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur in association with PC & PNDT, Madhya Pradesh is conducting a day long **Workshop on —Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994** for Judicial Magistrates dealing cases under the Act on 12-02-2017 in the Academy, Judges, whose names and posting figure in the endorsement, are directed to attend the foresaid Workshop.

Conditions for the Workshop :—

1. Barring exceptional circumstances, the participants nominated for the Workshop shall not pray for adjustment.
2. The participants report by 9.30 a. m. on 12th February 2017 in the Lecture Room of Madhya Pradesh State Judicial Academy, Jabalpur.
3. The participants shall come soberly dressed during entire duration of the Workshop. Proper attire with blazer/coat/suit would be required for group photograph.
4. T. A. & D. A. of the participants is reimbursable only as per Government Rules.
5. The Academy shall endeavour to make best possible arrangements for reception, lodging and boarding of the participants in the Guest House of the Academy.

Date, mode and time of arrival of the participants may be conveyed on Office telephone No. 0761-2628679 or to **Shri Pramod Kumar Chaturvedi, A. G. I** on Mobile No. 08878747939 or to **Shri Pramod Kushwaha, A. G. III** on Mobile No. 09713717147 at least a day in advance, so that proper arrangement for their reception may be made.

It may, however, be noted that the participants will have to make arrangement to carry their baggage to the parked vehicles. The official vehicle of the State Judicial Academy shall remain parked at the Main Entrance of Railway Station, Jabalpur (Platform No. 1 only) as per the programme conveyed by the participants in advance.

Arrangement of vehicle will not be made without prior intimation of arrival and departure programme received from the participants.

6. The participants in need of care shall be accommodated on the ground floor of the Guest House on prior intimation. The participants in need of special care may, with prior permission of the Academy, stay at accommodation of their

choice. In such a case participants shall be entitled to T. A. & D. A. as per rules. Kindly note that it would not be possible for the Academy to make arrangement for pick up and drop back to such place of their choice.

7. The accommodation in the Guest House of the Academy shall be available to the participants only from 12.00 noon of preceding day of commencement of training and upto 12.00 noon of the succeeding day of the end of Training.
8. The participants shall be provided with tea, breakfast, lunch and dinner during their period of stay for the Workshop free of charge, as per the rules of the Academy.
9. The participants shall send atleast three article/presentation/research paper/ judgment/order (if any) authored by them relevant to the subject for sharing and discussion in the Workshop only on official email of the State Judicial Academy i. e. mpsja@mphc.in atleast three days prior to the Schedule of workshop Please do not send hard copies of the same.

By order of Hon'ble the Acting Chief Justice,
MANOHAR MAMTANI, Registrar General.

जबलपुर, दिनांक 23 जनवरी 2017

क्र. A-84-दो-2-14-2014.—श्री अमर नाथ, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को दिनांक 28 से 31 दिसम्बर 2016 तक चार दिन का शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 1 से 2 जनवरी 2017 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अमर नाथ, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है।

शीतकालीन/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अमर नाथ, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-95-दो-2-34-2013.—श्रीमती विभावरी जोशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को दिनांक 2 से 4 नवम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती विभावरी जोशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को विदिशा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती जोशी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. A-97-दो-2-24-2014.—श्री अरूण कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ को दिनांक 19 से 22 दिसम्बर 2016 तक चार दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ को टीकमगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 24 जनवरी 2017

क्र. B-511-दो-2-14-2013.—श्री व्ही. के. दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को दिनांक 15 से 17 नवम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. के. दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री व्ही. के. दुबे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-513-दो-2-43-2013.—श्री श्रीराम शर्मा, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 24 से 27 अक्टूबर 2016 तक चार दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 28 अक्टूबर से 1 नवम्बर 2016 तक के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री श्रीराम शर्मा, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्रीराम शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-515-दो-2-11-2012.—श्री प्रद्युम्न सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को दिनांक 15 से 18 नवम्बर 2016 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 19 से 20 नवम्बर 2016 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री प्रद्युम्न सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रद्युम्न सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-519-दो-2-44-2012.—श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिम निमाड़ मण्डलेश्वर को दिनांक 27 से 28 दिसम्बर 2016 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिम निमाड़ मण्डलेश्वर को पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-525-दो-2-28-2016.—श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को दिनांक 3 से 10 नवम्बर 2016 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-529-दो-2-25-2016.—श्री डी. आर. गुजरकर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, छिन्दवाड़ा को दिनांक 26 से 27 दिसम्बर 2016 तक दो दिन का शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 28 से 31 दिसम्बर 2016 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 दिसम्बर 2016 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 जनवरी 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री डी. आर. गुजरकर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, छिन्दवाड़ा को छिन्दवाड़ा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री डी. आर. गुजरकर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-806-दो-2-28-2016.—श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को दिनांक 15 से 27 अक्टूबर 2016 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 28 से 31 अक्टूबर 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-814-दो-2-41-13.—श्री अशोक कुमार तिवारी, जिला न्यायाधीश (निरीक्षण), उच्च न्यायालय, ग्वालियर, खण्डपीठ ग्वालियर को दिनांक 7 से 12 अक्टूबर 2016 तक आकस्मिक/सार्वजनिक अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण दिनांक 2 नवम्बर 2011 से 1 नवम्बर 2015 तक की ब्लॉक अवधि हेतु दस दिन (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666-इक्कीस-ब (एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. E-825-दो-2-32-2014.—श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को दिनांक 27 जनवरी 2017 से दिनांक 3 फरवरी 2017 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-838-दो-2-24-2014.—श्री अरूण कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ को दिनांक 2 नवम्बर 2016 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ को टीकमगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-840-दो-2-3-2017.—श्री जे. एस. कटारिया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सिवनी को दिनांक 5 से 7 दिसम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 4 दिसम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री जे. एस. कटारिया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सिवनी को सिवनी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जे. एस. कटारिया उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-844-दो-2-45-2016.—श्री अविनाश कुमार खरे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, नीमच को दिनांक 24 से 27 अक्टूबर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 28 अक्टूबर 2016 से 1 नवम्बर 2016 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अविनाश कुमार खरे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, नीमच को नीमच पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अविनाश कुमार खरे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 25 जनवरी 2017

क्र. C-437-दो-2-3-2017.—श्री जे. एस. कटारिया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सिवनी को दिनांक 2 से 5 नवम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 28 अक्टूबर से 1 नवम्बर 2016 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 6 नवम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री जे. एस. कटारिया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सिवनी को सिवनी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जे. एस. कटारिया उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-440-दो-2-10-2017.—श्री अभय कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर को दिनांक 31 दिसम्बर 2016 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 नवम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अभय कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अभय कुमार उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 27 जनवरी 2017

क्र. E-916-दो-2-43-2013.—श्री श्रीराम शर्मा, सेवानिवृत्त प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को कुटुंब न्यायालय से दिनांक 9 दिसम्बर 2016 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप दिनांक 12 जून 2015 से दिनांक 9 दिसम्बर 2016 तक लगभग सत्रह माह की अवधि हेतु अवकाश लेखा में शेष बचे अवकाश में से 21 दिवस (इक्कीस दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) एवं ज्ञापन क्रमांक 1445-630-898-इक्कीस-ब (एक) दिनांक 5 मई 2007 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 25 जनवरी 2017

क्र. C-435-दो-2-62-2013.—श्री ओंकार नाथ गुप्ता, ओ.एस.डी. उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 23से 25 जनवरी 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 22 जनवरी 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री ओंकार नाथ गुप्ता, ओ.एस.डी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ओंकार नाथ गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ओ.एस.डी. के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 27 जनवरी 2017

क्र. E-914-दो-3-130-2009.—श्री आनन्द व्ही. मण्डलोई, बजट ऑफिसर, उच्च न्यायालय, इन्दौर खण्डपीठ, इन्दौर को दिनांक

17 से 18 अक्टूबर 2016 तक दो दिन का अर्द्धवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री आनन्द व्ही. मण्डलोई, बजट ऑफिसर, उच्च न्यायालय इन्दौर खण्डपीठ, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आनन्द व्ही. मण्डलोई उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते बजट ऑफिसर के पद पर कार्यरत रहते।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
यू. एम. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 24 जनवरी 2017

क्र. 121-गोपनीय-2017-दो-3-250/57 (भाग-35).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 11 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर निम्न सारणी में दर्शित अभ्यर्थियों को, जिन्हें मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश पृष्ठांकन क्रमांक 3 (बी) 3-2015-इक्कीस-ब (एक) दिनांक 6/7 जनवरी 2017 द्वारा अस्थायी तौर से (दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर नियुक्त किया गया है, को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक (4) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :-

सारणी

क्रमांक	नाम	प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना का स्थान	न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सुश्री नेहा अग्रवाल (मेरिट क्रमांक 06)	भोपाल	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, भोपाल के न्यायालय के सप्तम् अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
2	सुश्री प्रीति अग्रवाल (मेरिट क्रमांक 09)	दतिया	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, दतिया के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
3	श्री अनिरुद्ध जैन (मेरिट क्रमांक 19)	मंदसौर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, मंदसौर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
4	श्री रामवतार पटेल (मेरिट क्रमांक 42)	पन्ना	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, पन्ना के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
5	श्री जितेन्द्र सिंह परमार (मेरिट क्रमांक 43)	मण्डलेश्वर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, मण्डलेश्वर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
6	सुश्री अरून्धती काकोडिया (मेरिट क्रमांक 64)	जबलपुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, जबलपुर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
7	सुश्री आकांक्षा तेकाम (मेरिट क्रमांक 68)	शहडोल	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, शहडोल के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
8	सुश्री कृतिका सिंह (मेरिट क्रमांक 69)	मण्डला	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, मण्डला के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
9	श्री अभिजीत सिंह वास्कले (मेरिट क्रमांक 71)	झाबुआ	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, झाबुआ के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).

(1)	(2)	(3)	(4)
10	सुश्री नंदिनी उईके (मेरिट क्रमांक 75)	बालाघाट	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, बालाघाट के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
11	सुश्री कविता कवड़े (मेरिट क्रमांक 86)	छिन्दवाड़ा	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, छिन्दवाड़ा के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).
12	श्री मेहताब सिंह बघेल (मेरिट क्रमांक 90)	उज्जैन	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, उज्जैन के न्यायालय के षष्ठम् अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).

जबलपुर, दिनांक 27 जनवरी 2017

क्र. 133-गोपनीय-2017-दो-3-250-57 (भाग-35).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 11 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर निम्न सारणी में दर्शित अभ्यर्थी को, जिन्हें मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश पृष्ठांकन क्रमांक 3 (बी) 3-2015-इक्कीस-ब (एक) दिनांक 4 जनवरी 2017 द्वारा अस्थायी तौर से (दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर नियुक्त किया गया है, को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक (4) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :-

सारणी

क्रमांक	नाम	प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना का स्थान	न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती चंचल राठौर (मेरिट क्रमांक 15)	इंदौर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, इंदौर के न्यायालय के षष्ठम् अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).

जबलपुर, दिनांक 29 दिसम्बर 2016

क्र. 1337-गोपनीय-2016-दो-3-250-57 (भाग-34).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 11 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर निम्न सारणी में दर्शित अभ्यर्थी को, जिन्हें मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश पृष्ठांकन क्रमांक 3 (बी) 02-2014-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 56) दिनांक 30 नवम्बर 2016 द्वारा अस्थायी तौर से (दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर नियुक्त किया गया है, को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक (4) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :-

सारणी

क्रमांक	नाम	प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना का स्थान	न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री अरविंद गुर्जर	गुना	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, गुना के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).

टिप्पणी.— मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. क्रमांक 3(बी)02/2014/21-ब(एक), दिनांक 30-11-2016 द्वारा की गयी श्री अरविंद गुर्जर की नियुक्ति, रिट याचिका क्रमांक 5887/16 में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27 अक्टूबर 2016 के अनुसार याचिकाकर्ता श्री अरविंद गुर्जर को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर मूल वरिष्ठता के साथ नियुक्ति दी गई है. वे "कार्य नहीं वेतन नहीं" के सिद्धांत के आधार पर वेतन का बकाया पाने के पात्र नहीं होंगे किन्तु पारिणामिक सेवालाभ पाने के पात्र होंगे.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
मनोहर ममतानी, रजिस्ट्रार जनरल.